

8वीं वार्षिक आम बैठक

2024-25

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

(CIN-U74999DL2017GOI327372)

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

विषय-वस्तु

विवरण	पृष्ठ सं.
कंपनी की सूचना	**1**
अध्यक्षीय संबोधन	**2-3**
वार्षिक आम सभा बैठक का नोटिस	**4-25**
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	**26-55**
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ साथ ही प्रबंधन की प्रतिक्रिया	**56-62**
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट	**63-84**
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण	**85-124**

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

कंपनी की सूचना

निदेशक मंडल:

1. श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अध्यक्ष, आईआईसीसीएल;
2. श्री वुमलुनमांग वुआलनम, सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय; निदेशक, आईआईसीसीएल;
3. श्री सतिंदर पाल सिंह, अतिरिक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; निदेशक, आईआईसीसीएल;
4. सुश्री निगार फातिमा हुसैन, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; निदेशक, आईआईसीसीएल;
5. श्री नीरज खरवाल, प्रबंध निदेशक, आईटीपीओ; निदेशक, आईआईसीसीएल; एवं
6. श्री रजत कुमार सैनी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईआईसीसीएल;

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

आंतरिक लेखापरीक्षक
मैसर्स जे मंडल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव

बैंकरः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
कॉरपोरेट एकाऊंट्स ग्रुप-II ब्रांच,
नई दिल्ली-110001

मुख्य वित्तीय अधिकारी: श्री निखिल जैन
कंपनी सचिव: श्रीमती ऋद्धि मदान गौड़

पंजीकृत कार्यालयः
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
यशोभूमि -पांचवीं मंजिल, प्रबंधन कार्यालय, , सेक्टर - 25
द्वारका, नई दिल्ली-110077

अध्यक्ष की ओर से संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके समक्ष इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसीएल) का आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाने के उपरांत, यशोभूमि में दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से आयोजन संबंधी गतिविधियाँ प्रारंभ हुईं। तब से अब तक इस परिसर में 450 से अधिक आयोजनों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है। इन आयोजनों में देश एवं विदेश से 20 लाख से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यशोभूमि ने अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन कर वैश्विक कन्वेंशन एवं प्रदर्शनी गंतव्य के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ किया। प्रमुख आयोजनों में भारत टेक्स 2024, जो भारत की सबसे बड़ी वस्त्र एवं परिधान प्रदर्शनियों में से एक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, ऑटो कंपोनेंट्स शो तथा दक्षिण एशिया की अग्रणी यात्रा एवं पर्यटन प्रदर्शनी सैटे 2025 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परिसर में अनेक औद्योगिक सम्मेलन, व्यापार मेले, कॉर्पोरेट सम्मेलन तथा व्यावसायिक नेटवर्किंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन आयोजनों में देश-विदेश से व्यापक भागीदारी रही, जिससे यशोभूमि की विश्वस्तरीय मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एवं एग्ज़िबिशन (एमआईसीई) गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा और सुदृढ़ हुई तथा क्षेत्र में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला।

हमारे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, मिश्रित उपयोग विकास (एमयूडी) की अनुमोदित रणनीतियों के अंतर्गत चिन्हित भूखंडों की नीलामी एवं आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकी। इस पहल के प्रति देश एवं विदेश की अनेक अग्रणी कंपनियों ने गहरी रुचि दिखाई है। प्रथम भूखंड का आवंटन मैसर्स आईटीसी होटल्स लिमिटेड को तीन सितारा होटल के विकास हेतु किया गया है। हमें विश्वास है कि शेष भूखंडों की नीलामी एवं आवंटन भी चरणबद्ध तथा शीघ्रता से संपन्न किया जाएगा।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आईआईसीसीएल सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सतत विकास के सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने की डीपीई की परिकल्पना के अनुरूप, हम नवाचार, उत्तरदायी व्यावसायिक कार्यप्रणाली तथा ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

आईआईसीसीएल ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। इस आचार संहिता के अनुपालन की वार्षिक पुष्टि सभी संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है।

आईआईसीसीएल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित समस्त जानकारी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित की गई है तथा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण-पत्र भी निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। कंपनी डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के आधार पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी देयता शून्य थी। अतः कंपनी द्वारा इस अवधि में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कोई व्यय नहीं किया गया।

अंत में, मैं निदेशक मंडल एवं कंपनी की ओर से उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अन्य सरकारी प्राधिकरणों, विभिन्न विभागों तथा कंपनी के सभी हितधारकों द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए निरंतर सहयोग एवं समर्थन के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का कंपनी की प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

ह/-

(अमरदीप एस. भाटिया)

अध्यक्ष

डीआईएन: 10776570

वार्षिक आम बैठक की सूचना

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: पांचवीं मंजिल, प्रबंधन कार्यालय, , सेक्टर - 25

द्वारका, नई दिल्ली-110077

(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 08वीं वार्षिक आम बैठक की स्थगित बैठक गुरुवार, दिनांक **18** जून, **2026** को अपराह्न **3:45** बजे समिति कक्ष संख्या **225,** उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-**110011** में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में **31** दिसंबर, **2025** को आयोजित मूल वार्षिक आम बैठक में अनिर्णीत रह गए निम्नलिखित कार्यों तथा अतिरिक्त विशेष कार्यों का निष्पादन किया जाएगा:

सामान्य कार्य:

1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित निदेशक मंडल और तत्संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना एवं इस संबंध में एक साधारण संकल्प के रूप निम्नलिखित संकल्प को पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्टें जो इस बैठक में रखी गई है, उनको अनुमोदित किया जाता है और स्वीकार किया जाता है।**"**

विशेष कार्य

2) श्री रजत कुमार सैनी (डीआईएन: 10264275) की कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति का नियमितीकरण करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो आवश्यक संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित लागू अन्य प्रावधानों, समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री रजत कुमार सैनी (डीआईएन: 10264275), जिन्हें

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 40022/1/2018/ID-I-PART-I दिनांक 27 अप्रैल, 2026 के अनुसरण में दिनांक 28 अप्रैल, 2026 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था तथा जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

3) सुश्री निगार फातिमा हुसैन (डीआईएन: 11688785) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का नियमितीकरण करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो आवश्यक संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित लागू अन्य प्रावधानों, समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, सुश्री निगार फातिमा हुसैन (डीआईएन: 11688785), जिन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या A-12022/2/2025-Estt. G. दिनांक 8 अप्रैल, 2026 के अनुसरण में दिनांक 27 अप्रैल, 2026 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था तथा जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगी, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

4) श्री नीरज खरवाल (DIN: 07973060) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का नियमितीकरण करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो आवश्यक संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित लागू अन्य प्रावधानों, समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री नीरज खरवाल (DIN: 07973060), जिन्हें उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 40022/1/2018/ID-I-PART-I दिनांक 27 अप्रैल, 2026 के अनुसरण में दिनांक 30 अप्रैल, 2026 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था तथा जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5) श्री सतिंदर पाल सिंह (डीआईएन: 07490296) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का नियमितीकरण करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो आवश्यक संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित लागू अन्य प्रावधानों, समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः

अधिनियमन तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री सतिंदर पाल सिंह (डीआईए : 07490296), जिन्हें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या A-117024/115/2022/Admin-I-MoHUA दिनांक 01.01.2026 के अनुसरण में दिनांक 30 जनवरी, 2026 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था तथा जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांक: 18.06.2026

ह/-
(ऋद्धि मदान गौड़)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
5वीं मंजिल, प्रबंधन कार्यालय,
यशोभूमि, सेक्टर-25,
द्वारका, नई दिल्ली-110077

टिप्पणियां

1. कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **102** के अनुसार बैठक में संपादित किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित स्पष्टीकरणात्मक विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है तथा इसका अभिन्न अंग है।
2. **31** मार्च, **2025** को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी की **08**वीं वार्षिक आम बैठक, जो मूल रूप से 31 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई थी, में सदस्यों द्वारा विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि उस समय तक वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण पूर्ण नहीं हुआ था तथा कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **143(6)** के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं। उक्त बैठक में अन्य सभी कार्यसूची मदों पर विचार करने के पश्चात सदस्यों ने बैठक को "अनिश्चितकाल के लिए स्थगित" करने का निर्णय लिया, ताकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात बैठक पुनः आयोजित की जा सके। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 1 जून, 2026 को प्राप्त हो चुकी हैं तथा उनकी प्रति इस सूचना के साथ संलग्न है। अब स्थगित **08**वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यसूची मद पर विचार करने हेतु आयोजित की जा रही है, जिसमें कंपनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण, साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट/टिप्पणियां सम्मिलित हैं, पर विचार किया जाएगा। वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य वैधानिक अनुबंध सम्मिलित हैं, स्थगित **08**वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ सदस्यों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को (जहां लागू हो) ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।
3. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठक संबंधी सचिवीय मानक (एसएस-2) के मानक संख्या **15.2** के प्रावधानों के अनुसार, चूंकि बैठक को "अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (साइन डाई)" किया गया था, अतः इस स्थगित बैठक के लिए कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों के अनुसार नई सूचना जारी की जा रही है।
4. कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **105** के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे सदस्यों द्वारा धारित कुल अंश पूंजी कंपनी की मतदान अधिकारयुक्त कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो।
5. कंपनी की मतदान अधिकारयुक्त कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक धारित करने वाला कोई सदस्य एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा अंशधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
6. कंपनी की किसी बैठक में अथवा उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार रखने वाला प्रत्येक सदस्य, बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पूर्व से लेकर बैठक की समाप्ति तक की अवधि में, कंपनी के कार्य समय के दौरान जमा किए गए प्रॉक्सी प्रपत्रों का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा, बशर्ते कि निरीक्षण करने के आशय की सूचना कंपनी को कम-से-कम तीन दिन पूर्व लिखित रूप में दी गई हो।

7. नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशकों का विवरण इस सूचना के अनुबंध-क में संलग्न है तथा यह सूचना का अभिन्न अंग है।

8. इस सूचना में संदर्भित सूचना एवं अन्य दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य दिवसों के दौरान सामान्य कार्यालय समय में तथा वार्षिक आम बैठक के अवसर पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

****

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण

मद संख्या 2

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या **P-40022/1/2018-ID-1-(Part-I)** दिनांक **27** अप्रैल**, 2026** के अनुसरण में, श्री रजत कुमार सैनी**,** आईएएस **(**डीआईएन **-10264275)** ने सुश्री गुरनीत तेज के स्थान पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,** आईआईसीसीएल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, श्री रजत कुमार सैनी को दिनांक **28** अप्रैल**, 2026** से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की सामान्य बैठक में की जानी आवश्यक है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, श्री रजत कुमार सैनी (डीआईएन -10264275) की कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के नियमितीकरण हेतु अंशधारकों की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।
निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

सचिवीय मानक-2 के अनुसार श्री रजत कुमार सैनी का विवरण इस सूचना के अनुबंध-क में संलग्न है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है, सिवाय उस सीमा तक, जहां वह कंपनी के निदेशक और/या अंशधारक हैं।

मद संख्या 3

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या **40022/1/2018/ID-I-PART-I** दिनांक **27** अप्रैल**, 2026** के अनुसरण में, श्री नीरज खरवाल**,** आईएएस**,** प्रबंध निदेशक**,** आईटीपीओ **(**डीआईएन**-07973060)** को आईआईसीसीएल के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, श्री नीरज खरवाल को दिनांक **30** अप्रैल**, 2026** से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की सामान्य बैठक में की जानी आवश्यक है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, श्री नीरज खरवाल**,** आईएएस**,** प्रबंध निदेशक**,** आईटीपीओ **(**डीआईएन **-07973060)** की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के नियमितीकरण हेतु अंशधारकों की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।
निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

सचिवीय मानक-2 के अनुसार श्री नीरज खरवाल का विवरण इस सूचना के अनुबंध-क में संलग्न है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है, सिवाय उस सीमा तक, जहां वह कंपनी के निदेशक और/या अंशधारक हैं।

मद संख्या 4

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **A-12022/2/2025-Estt. G.** दिनांक **8** अप्रैल**, 2026** के अनुसरण में, सुश्री निगार फातिमा हुसैन (डीआईएन**: 11688785)** ने अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार**,** डीपीआईआईटी तथा निदेशक**,** आईआईसीसीएल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सुश्री निगार फातिमा हुसैन को दिनांक **27** अप्रैल**, 2026** से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की सामान्य बैठक में की जानी आवश्यक है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सुश्री निगार फातिमा हुसैन**,** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार**,** डीपीआईआईटी **(**डीआईएन **-11688785)** की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के नियमितीकरण हेतु अंशधारकों की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

सचिवीय मानक-2 के अनुसार सुश्री निगार फातिमा हुसैन का विवरण इस सूचना के अनुबंध-क में संलग्न है।
कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है, सिवाय उस सीमा तक, जहां वह कंपनी के निदेशक और/या अंशधारक हैं।

मद संख्या 5

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या **A-117024/115/2022/Admin-I-MoHUA** दिनांक **01.01.2026** के अनुसरण में, श्री सतींदर पाल सिंह**,** अपर सचिव**,** एमओएचयूए **(**डीआईएन**: 07490296)** को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार दिनांक **30** जनवरी**, 2026** से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की सामान्य बैठक में की जानी आवश्यक है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, श्री सतींदर पाल सिंह**,** अपर सचिव**,** एमओएचयूए **(**डीआईएन**: 07490296)** की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के नियमितीकरण हेतु अंशधारकों की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।
निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

सचिवीय मानक-2 के अनुसार श्री सतींदर पाल सिंह का विवरण इस सूचना के अनुबंध-क में संलग्न है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है, सिवाय उस सीमा तक, जहां वह कंपनी के निदेशक और/या अंशधारक हैं।

****

अनुबंध-क

कंपनी की **18** जून**, 2026** को आयोजित होने वाली स्थगित **08**वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या (**3**) के अंतर्गत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशकों का विवरण

(सामान्य बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक-**2** के अनुसार)

नाम	**श्री रजत कुमार सैनी**	**श्री नीरज खरवाल**
डीआईएन	10264275	09744915
जन्म तिथि	02.12.1983	28.09.1979
उम्र	42 वर्ष	46 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	28 अप्रैल, 2026	30 अप्रैल, 2026
नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, जिसमें पारिश्रमिक भी सम्मिलित है	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार।	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार।
शैक्षणिक योग्यता	इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से बी.टेक. तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विकास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।	इन्होंने एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक से एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्राप्त की है।
विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	ये तेलंगाना कैडर के वर्ष **2007** बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं तथा वर्तमान में दिनांक **20** जुलाई**, 2023** से एनआईसीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। एनआईसीडीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से नीतियों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य एवं स्थानीय सरकारों के स्तर पर कार्यकारी नेतृत्व के वरिष्ठ पदों पर **16** वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त है।	ये उत्तराखंड कैडर के वर्ष **2007** बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं तथा वर्तमान में आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। अपने सेवाकाल के दौरान इन्होंने अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, संयुक्त निर्वाचन अधिकारी, अपर सचिव एवं सचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

नाम	श्री रजत कुमार सैनी	श्री नीरज खरवाल
अन्य कंपनियों में वर्तमान में धारित निदेशक पद	1) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड - मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक 2) एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड - प्रबंध निदेशक 3) डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड - निदेशक 4) महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड - निदेशक 5) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड - निदेशक 6) धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड - निदेशक 7) एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड - निदेशक 8) एकेआईसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आगरा-प्रयागराज लिमिटेड - निदेशक 9) एनआईसीडीसी हरियाणा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार प्रोजेक्ट लिमिटेड - नामित निदेशक 10) धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड - नामित निदेशक	**1)** भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (इंडियन ट्रेड प्रोमोशन ओर्गेनाइज़ेशन) **2)** तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन ओर्गेनाइज़ेशन) **3)** कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन ओर्गेनाइज़ेशन)
वर्तमान में समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड की सीएसआर, ऑडिट एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के अध्यक्ष।	शून्य
कंपनी में वर्तमान में धारित अंशों की संख्या	शून्य	शून्य

नाम	श्री रजत कुमार सैनी	श्री नीरज खरवाल
वित्तीय वर्ष 2024-25 **के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने की संख्या**	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है।	अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है।

अनुबंध-क

18 जून, **2026** को आयोजित होने वाली कंपनी की स्थगित **08**वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या (**3**) के अंतर्गत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशकों का विवरण

(सामान्य बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक-**2** के अनुसार)

नाम	**सुश्री निगार फातिमा हुसैन**	**श्री सतींदर पाल सिंह**
डीआईएन	11688785	07490296
जन्म तिथि	30.06.1968	05.07.1968
उम्र	57 वर्ष	57 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	27 अप्रैल, 2026	30 जनवरी, 2026
नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, जिसमें पारिश्रमिक भी सम्मिलित है	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार।	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार।
शैक्षणिक योग्यता	इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान में बी.एससी. (ऑनर्स), दिल्ली विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. तथा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।	इन्होंने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी), श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की है तथा ब्रुनेल विश्वविद्यालय, लंदन से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। श्री सिंह ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पुलिस प्रबंधन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है।
विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	ये वर्ष **1996** बैच की भारतीय रक्षा संपदा सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने रुड़की, झांसी, देवली और महू छावनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। ये रक्षा संपदा महानिदेशालय में उप महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत रही हैं, जहां इन्होंने विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों का कार्यभार संभाला। इसके अतिरिक्त,	ये वर्ष **1995** बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में ये भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में वरिष्ठ पदों पर सेवाएं प्रदान की हैं, जिसमें राज्य भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख का पद भी शामिल है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्ति से पूर्व, श्री सिंह ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त

नाम	**सुश्री निगार फातिमा हुसैन**	**श्री सतींदर पाल सिंह**
	अपर महानिदेशक, रक्षा संपदा के रूप में इन्होंने देशभर की रक्षा भूमि से संबंधित मामलों का दायित्व संभाला। इन्होंने भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निदेशक तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी सेवाएं प्रदान की हैं।	सचिव तथा आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।
अन्य कंपनियों में वर्तमान में धारित निदेशक पद	**1)** भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड **2)** एमएमटीसी लिमिटेड **3)** एचएमटी लिमिटेड	मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
वर्तमान में समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	• एमएमटीसी की लेखा परीक्षा एवं सीएसआर समिति • एचएमटी लिमिटेड की लेखा परीक्षा एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	शून्य
कंपनी में वर्तमान में धारित अंशों की संख्या	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष **2024-25** के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है।	अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड के सदस्यों की 08वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को सायं 6:00 बजे समिति कक्ष संख्या 225, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों पर विचार करना, उन्हें प्राप्त करना एवं अंगीकृत करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा उन पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें, साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, जो इस बैठक के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, एतद्द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत की जाती हैं।"

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा नामित कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना:

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो आवश्यक संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के, साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा उसके अंतर्गत लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को एतद्द्वारा अभिलेखित किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु पृथक-पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

<u>विशेष कार्य</u>

3. श्री वुमलुनमांग वुआलनम (डीआईएन: 09744915) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का नियमितीकरण करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो आवश्यक संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, उनके अधीन बनाए गए नियमों, समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन तथा कंपनी के अंतर्नियम के अनुसार, श्री वुमलुनमांग वुआलनम (डीआईएन: 09744915), जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 36/01/2018-EO(SM-I) दिनांक 18 अप्रैल, 2025 के अनुसरण में दिनांक 18 अगस्त, 2025 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था तथा जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.12.2025

ह/-
(ऋद्धि मदान गौड़)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी वाणिज्य
एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

टिप्पणियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार बैठक में संपादित किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित स्पष्टीकरणात्मक विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है तथा इसका अभिन्न अंग है।

2. बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने का अधिकार रखने वाला प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकारी होगा तथा ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी प्रपत्र को विधिवत् पूर्ण कर वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। रिक्त प्रॉक्सी प्रपत्र इस सूचना के साथ संलग्न है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि वे सदस्य सामूहिक रूप से कंपनी की मतदान अधिकारयुक्त कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व न करते हों।

4. कंपनी की मतदान अधिकारयुक्त कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक धारित करने वाला कोई सदस्य एक ही व्यक्ति को अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य सदस्य अथवा अंशधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

5. कंपनी की किसी बैठक में अथवा उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार रखने वाला प्रत्येक सदस्य, बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पूर्व से लेकर बैठक की समाप्ति तक की अवधि में, कंपनी के कार्य दिवसों के सामान्य कार्यालय समय के दौरान जमा किए गए प्रॉक्सी प्रपत्रों का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा, बशर्ते कि निरीक्षण करने के आशय की कम-से-कम तीन दिन पूर्व लिखित सूचना कंपनी को दी गई हो।

6. नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशक का विवरण इस सूचना के साथ अनुबंध-क के रूप में संलग्न है तथा इसका अभिन्न अंग है।

7. इस सूचना में उल्लिखित सूचना एवं अन्य संदर्भित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य दिवसों के दौरान सामान्य कार्यालय समय में तथा वार्षिक आम बैठक के अवसर पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

8. उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी प्रपत्र तथा वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल का मार्ग मानचित्र (रूट मैप) इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में निदेशकों के क्रमिक सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। तथापि, **13** जून**, 2017** की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ऐसी असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम-से-कम **51** प्रतिशत केंद्र सरकार के पास है, उक्त प्रावधान से मुक्त हैं। अतः कंपनी के लिए निदेशकों का क्रमिक सेवानिवृत्ति द्वारा पदमुक्त होना अपेक्षित नहीं है।

****

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 **की धारा** 102 **के अनुसार स्पष्टीकरणात्मक विवरण**

मद संख्या -3

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या **36/01/2018-EO(SM-I)** दिनांक **18** अप्रैल**, 2025** के अनुसरण में श्री वुमलुनमांग वुआलनम**,** भा.प्र.से. (डीआईएन**-09744915)** ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें **18** अगस्त**, 2025** से प्रभावी कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की सामान्य बैठक में की जानी आवश्यक है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के **अनुसार** वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव श्री वुमलुनमंग वुअलनाम (डीआईएन **-09744915)** की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के नियमितीकरण हेतु अंशधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

निदेशक मंडल सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे उक्त साधारण प्रस्ताव को अनुमोदित करें।

सामान्य बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक-**2** के अनुसार श्री वुमलुनमंग वुअलनाम का विवरण इस सूचना के अनुबंध-क में संलग्न है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई हित या सरोकार नहीं है, सिवाय इसके कि वे कंपनी के निदेशक और/अथवा अंशधारक हों।

****

अनुबंध-क

31 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाने वाली कंपनी की 08वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के मद संख्या (3) के अंतर्गत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशक का विवरण

(सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 के अनुसार)

नाम	**श्री वुमलुनमांग वुआलनम**
डीआईएन	09744915
जन्म तिथि	20.07.1968
आयु	58 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	18 अगस्त, 2025
नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, जिनमें पारिश्रमिक भी सम्मिलित है	भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों एवं-शर्तों के अनुसार।
शैक्षणिक योग्यताएँ	इन्होंने ओ जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय से लेखांकन .पी.)अकाउंटेंसी) में बी) तथा लोक नीति .कॉम.पब्लिक पॉलिसी) में एमकी उपाधि प्राप्त की है। .ए.
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री वुमलुनमंग वुअलनाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) के 1992 बैच के मणिपुर कैडर के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव के पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। इससे पूर्व वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में 31 वर्ष से अधिक का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। भारत सरकार में उन्होंने वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राज्य सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त तथा परिवहन निदेशक सहित विभिन्न प्रमुख दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है, जो प्रशासन, लोक नीति तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव एवं विशेषज्ञता को दर्शाता है।
वर्तमान तिथि के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशक पद	शून्य

नाम	**श्री वुमलुनमांग वुआलनम**
वर्तमान तिथि के अनुसार समितियों की सदस्यताअध्यक्षता/	शून्य
वर्तमान तिथि के अनुसार कंपनी में धारित अंशों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	लागू नहीं
अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

उपस्थिति पर्ची

08वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) जो बुधवार, दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को सायं 6:00 बजे आयोजित की जाएगी।

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम	
फोलियो संख्या	
धारित अंशों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम यदि सदस्य के स्थान पर) (प्रॉक्सी उपस्थित हो रहा हो तो भरा जाए	

मैं, एतद्द्वारा कंपनी की 08वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ, जो बुधवार, दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को सायं 6:00 बजे समिति कक्ष संख्या 225, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की गई।

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

उद्योग भवन, नई दिलली-110011

(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

फार्म सं. एमजीटी-**11**

प्रॉक्सी फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य(यों) के नाम:	
पंजीकृत पता:	
फोलियो सं./डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी:	
ईमेल आईडी	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम, उपरोक्त उल्लिखित कंपनी के..... शेयर होने के कारण, एतद्वारा नियुक्त करते हैं:

1		नाम:		हस्ताक्षर:	
		पता:			
		ई-मेल आईडी:			
अथवा अनुपस्थित होने पर					
2		नाम:		हस्ताक्षर:	
		पता:			
		ई-मेल आईडी:			
अथवा अनुपस्थित होने पर					
3		नाम:		हस्ताक्षर:	
		पता:			
		ई-मेल आईडी:			

बुधवार , 31 दिसंबर, 2025 को सायं 6:00 बजे कमरा सं. 225, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की 08वीं वार्षिक आम सभा बैठक में प्रॉक्सी को बैठक में शामिल होने और मेरे/हमारे लिए वोट (चुनाव में) और इन संकल्पों जो नीचे बताए गए है, उनके संबंध में तत्संबंधी किसी भी स्थगन के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी:

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....

रेवन्यू टिकट चिपकाए

हस्ताक्षरित दिनांक , 2025

शेयर धारक के हस्ताक्षर _____प्राक्सी(यों) का/के हस्ताक्षर_____

नोट: यह प्रॉक्सी फार्म विधिवत रूप से भरा होना चाहिए और बैठक शुरू होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा होना चाहिए।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

बुधवार, दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को सायं 6:00 बजे समिति कक्ष संख्या 225, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित की जाने वाली 08वीं वार्षिक आम बैठक का मार्ग मानचित्र



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशक मंडल को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वह कंपनी के कार्यकलापों पर अपना आठवाँ (08वाँ) निदेशक मंडल प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

1. वित्तीय मुख्य बिंदु

(रुपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
अधिकृत शेयर पूंजी	5,00,000.00	5,00,000.00
चुकता शेयर पूंजी	2,44,239.00	2,44,239.00
कुल आय	4699.92	950.13
प्रचालन आय	4604.55	777.24
व्यय	55,414.43	34,602.29*
कर-पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(50,447.51)	(33,652.18)*
कर के लिए प्रावधान / कर व्यय	(17,983.68)	(4,087.66)*
कर पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	(32,463.83)	(29,564.50)*
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर ₹10 के अंकित मूल्य के आधार पर)		
- मूल (₹ में)	-1.33	-1.21*
- डायल्यूटेड आय (₹ में)	-1.33	-1.21*

* *31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पुनः प्रस्तुत आंकड़े।*

2. पूंजी संरचना

31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी तथा चुकता शेयर पूंजी ₹2,442.39 करोड़ थी, जिसमें ₹10/- प्रत्येक मूल्य के 244,23,90,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा उनके नामित व्यक्तियों के माध्यम से, कंपनी की संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी धारण करते हैं।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की इक्विटी संरचना निम्नानुसार है:

विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि (₹ लाख में)**
अधिकृत शेयर पूंजी	5,00,00,00,000	5,00,000
निर्गमित शेयर पूंजी	**2,44,24,00,000**	**2,44,240**
अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी	**2,44,23,90,000**	**2,44,239**

3. कंपनी के कार्यों की स्थिति:

परियोजना के बारे में:

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य आकार और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से विश्वभर में उद्योग के सर्वश्रेष्ठ मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक, विश्वस्तरीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सुविधा का निर्माण करना है। आईआईसीसी की सुविधाएँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और बैठकों के आयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वैश्विक मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एवं एग्जीबिशन्स (एमआईसीई) बाजार के लिए भारत में आगंतुकों एवं व्यवसाय को आकर्षित किया जा सके।

₹26,331 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना सेक्टर-25, द्वारका में विकसित की जा रही है तथा इसकी परिकल्पना केंद्रीय व्यापार जिला (सीबीडी) के स्तर पर की गई है, जिसमें लगभग 3,03,000 वर्ग मीटर प्रदर्शनी क्षेत्र, 60,000 वर्ग मीटर कन्वेंशन क्षेत्र, 50,000 वर्ग मीटर बहुउद्देशीय एरीना के साथ-साथ खुदरा, वाणिज्यिक एवं कार्यालय स्थलों, आतिथ्य, मनोरंजन तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए जीवनशैली सुविधाओं का सहायक विकास शामिल है। यह देश में अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसमें प्रदर्शनी हॉल बड़े कॉलम-रहित स्थानों के साथ निर्मित किए गए हैं तथा बड़े पैमाने पर रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनों की मेजबानी करने की क्षमता रखते हैं। कन्वेंशन सेंटर परिसर में 10,000 प्रतिनिधियों को समायोजित करने की क्षमता है, जिसमें लगभग 6,000 व्यक्तियों की क्षमता वाला विश्वस्तरीय प्लेनरी हॉल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बहुउद्देशीय एरीना, जिसमें लचीला स्थान एवं वापस खींची जा सकने वाली छत प्रणाली होगी, खेल आयोजनों, व्यापार एवं फैशन शो तथा राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए लगभग 20,000 व्यक्तियों की क्षमता रखेगा।

यह परियोजना आईजीआई हवाई अड्डे के निकट स्थित है तथा डीएमआरसी द्वारा एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के विस्तार के माध्यम से मेट्रो और सड़क संपर्क से अच्छी तरह जुड़ी हुई है, जो परिसर के केंद्र तक पहुँच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे एवं यूईआर-II के साथ आईआईसीसी परिसर के निकट समर्पित इंटरचेंज विकसित किए गए हैं।

एनएचएआई द्वारा सितंबर, 2023 में सतही (एट-ग्रेड) सड़क संपर्क उपलब्ध कराया गया था तथा एनएचएआई द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II के विकास कार्यों के पूर्ण होने के साथ, अगस्त, 2025 से आईआईसीसी परिसर के लिए सड़क संपर्क पूर्ण रूप से संचालित हो गया है।

यशोभूमि के लिए मेट्रो संपर्क डीएमआरसी द्वारा 17 सितंबर, 2023 को शुरू किया गया था और तब से यह आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनी क्षेत्र तक आगंतुकों की सुविधा के लिए डीएमआरसी द्वारा पैदल यात्री सुरंग में ट्रैवलेटर्स भी स्थापित किए गए हैं।

परियोजना के चरण-1, जिसमें मुख्य अवसंरचना के साथ दो प्रदर्शनी हॉल एवं कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं, को पूरा कर लिया गया है तथा 17 सितंबर, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसे "यशोभूमि" नाम दिया गया।

आईआईसीसी सुविधाओं का संचालन केआईएनईएक्सआईएन कन्वेन्शन मैनेजमेंट प्रा. लि. (कोरिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (केआईएनटीईएक्स) और ई-सैन्ग नेटवर्क्स कंपनी लिमिटेड के संघ द्वारा गठित संस्था) द्वारा प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर के स्थल संचालक के रूप में किया जा रहा है। ऑपरेटर सेवा समझौता वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) अर्थात 1 अक्टूबर, 2023 से प्रारंभ होकर 20 वर्षों की अवधि के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर निष्पादित किया गया है। केआईएनईएक्सआईएन द्वारा यशोभूमि में नियमित कार्यक्रम जैसे शो, प्रदर्शनियाँ एवं कन्वेंशन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक यशोभूमि में 450 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों की उपस्थिति रही है।

अपडेटर सर्विसेज़ प्रा. लि. (यूडीएस) को यशोभूमि परिसर में विद्यमान सभी सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए संपत्ति प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति 39 माह की अवधि (जिसमें 3 माह की संक्रमण अवधि शामिल है) के लिए की गई है।

एनआईसीडीसी, आईआईसीसी और एनआईसीडीसी के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के विकास के लिए आईआईसीसी के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पालडी-अहमदाबाद द्वारा आईआईसीसी परियोजना की दृश्य पहचान अर्थात लोगो विकसित किया गया, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर, 2023 को परियोजना के उद्घाटन अवसर पर किया गया।

परियोजना के चरण-2 में तीन अतिरिक्त प्रदर्शनी हॉल एवं एरीना का विकास प्रस्तावित है। होटल, खुदरा क्षेत्र एवं कार्यालयों के विकास से संबंधित घटक उप-पट्टा समझौते (सब-लीज़ एग्रीमंट) के माध्यम से डेवलपर्स द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

4. आरक्षित निधि

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है।

5. लाभांश

कंपनी ने डीपीआईआईटी के माध्यम से वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मई, 2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-Policy के माध्यम से जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीसीई) के पूंजी पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट हेतु अनुरोध किया था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों में इस संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए गए हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है।

6. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

कंपनी के वित्तीय विवरण जिन वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।

8. वार्षिक विवरणी का सारांश

अधिनियम की धारा 92(3) को धारा 134(3)(a) के साथ पठित करने के अनुसार, 31 मार्च, 2025 की स्थिति में वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट (https://iiccl.dpiit.gov.in/) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

9. निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्त या पदमुक्त किए गए तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात और रिपोर्ट की तारीख तक नियुक्त या पदमुक्त किए गए निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
1.	श्री अमरदीप सिंह भाटिया	अध्यक्ष	14.09.2024	-
2.	श्रीमती आरती भटनागर	निदेशक	14.02.2023	30.09.2025
3.	श्री भामिडिपति वेंकट रामा सुब्रह्मण्यम	निदेशक	20.02.2023	_
4.	श्री राजीव सिंह ठाकुर	निदेशक	14.09.2023	27.12.2024
5.	श्री अजय सेठ	निदेशक	13.09.2021	30.04.2025
6.	श्री वी. वुलनाम	निदेशक	18.08.2025	-
7.	श्री सतिंदर पाल सिंह	निदेशक	30.01.2026	-
8.	सुश्री निधि केसरवानी	अतिरिक्त निदेशक	16.01.2026	27.04.2026
9.	सुश्री गुरनीत तेज	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	25.11.2024	28.04.2026
10.	सुश्री निगार फातिमा हुसैन	निदेशक	27.04.2026	-
11.	श्री रजत कुमार सैनी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	28.04.2026	-
12.	श्री नीरज खरवाल	निदेशक	30.04.2026	-

13.	श्री निखिल जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29.03.2019	--
14.	सुश्री रिद्धि मदन गौर	कंपनी सचिव	17.02.2025	--

10. बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की तारीख
1.	27वीं बोर्ड बैठक	4 जुलाई, 2024
2.	28 वीं बोर्ड बैठक	27 सितंबर, 2024
3.	29 वीं बोर्ड बैठक	30 दिसंबर, 2024
4.	30 वीं बोर्ड बैठक	21 मार्च, 2025

11. बोर्ड की समितियाँ

चूंकि आईआईसीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है, अतः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है। स्वतंत्र निदेशकों की वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।

स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षा समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन केवल गैर-स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित करते हुए किया गया था। वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की केवल एक बैठक 27 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई। बाद में, अपर्याप्त कोरम के कारण इन समितियों को भंग कर दिया गया।

कंपनी के बोर्ड में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की विधिवत नियुक्ति किए जाने के पश्चात, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में इन समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

जहां तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का संबंध है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, आपकी कंपनी के लिए सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक नहीं है तथा ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन स्वयं बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

12. स्वतंत्र निदेशक(कों) द्वारा घोषणा

चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संबंधित अनुपालन आवश्यकता लागू नहीं होती है।

13. निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक संबंधी कंपनी की नीतियाँ, जिसमें योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अन्य विषयों के निर्धारण के मानदंड शामिल हैं

चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार सरकारी पदों पर आसीन पदेन निदेशक शामिल हैं, अतः कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार की जाती है।

साथ ही, दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर धारा 178 की उप-धाराएँ (2), (3) एवं (4) लागू नहीं होती हैं, सिवाय वरिष्ठ प्रबंधन एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में।

14. बोर्ड, उसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का विवरण

एमसीए द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन से छूट प्रदान की गई है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय द्वारा अपनी निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

15. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा न तो कोई ऋण/गारंटी प्रदान की गई है और न ही कोई निवेश किया गया है।

16. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अंतर्गत कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्था नहीं की गई है। सदस्य, लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित पक्षकार लेन-देन के विवरण के लिए लेखों से संबंधित टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं।

17. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का विवरण

कंपनी ने प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के रखरखाव के संबंध में प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। इस संबंध में, निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मैसर्स जे. मंडल एंड कंपनी को नियुक्त किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीति को भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

18. सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 000397N) को नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उनकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ स्वयं स्पष्ट हैं, अतः निदेशकों की ओर से किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ

सरकारी लेखा परीक्षा दल द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईसीसी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की जाएगी। अनुपूरक लेखा परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, सीएंडएजी का कार्यालय 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की समीक्षा एवं टिप्पणियाँ (यदि कोई हों) वित्तीय विवरणों का भाग होंगी।

20. सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु मैसर्स जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उनकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-'I' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का भाग है।

21. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता/आरक्षण/प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर बोर्ड के स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियाँ

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई योग्यताओं/आरक्षणों/प्रतिकूल टिप्पणियों/अस्वीकरणों पर बोर्ड के स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियाँ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं। सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ/उत्तर सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं तथा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-'I' में सम्मिलित हैं।

22. धारा 143 के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

23. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत अपेक्षित लागत अभिलेखों का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

24. जोखिम प्रबंधन

परियोजना 01 अक्टूबर, 2023 से परिचालन में है। कंपनी द्वारा नियमित आधार पर जोखिमों की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। वित्तीय जोखिमों के संबंध में, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाए गए हैं तथा कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बाहरी फर्म को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सीएंडएजी लेखा परीक्षा दल द्वारा आंतरिक नियंत्रणों एवं उपायों में सुधार हेतु दिए गए सुझावों को समय-समय पर लागू किया जाता है।

25. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति का संक्षिप्त विवरण तथा वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी द्वारा की गई पहलों का विवरण, कंपनी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-'II' में संलग्न सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

26. कॉर्पोरेट प्रशासन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-'III' में दी गई है।

27. सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी बनी हो अथवा इन श्रेणियों से बाहर हुई हो।

28. जमा राशि

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया तथा कोई जमा राशि अवैतनिक अथवा दावा न की गई स्थिति में नहीं थी।

29. कंपनी के निरंतर संचालन की स्थिति एवं भविष्य के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामक प्राधिकरणों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, विनियामक प्राधिकरणों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी के निरंतर संचालन की स्थिति अथवा भविष्य के संचालन को प्रभावित करता हो।

30. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणी

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2025 की स्थिति में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कंपनी के निरंतर संचालन (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किया है; तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

31. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

क) ऊर्जा संरक्षण -

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम अथवा उसका प्रभाव:

आईआईसीसी परिसर में ऊर्जा संरक्षण के परियोजना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना को IGBC ग्रीन कैंपस प्लेटिनम प्रमाणन मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के अनुरूप, परियोजना के चल रहे चरण-1 विकास में देश का अपनी तरह का पहला आईजीबीसी प्लेटिनम अनुरूप प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन परिसर विकसित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना को वर्ष 2024 में 5 वर्षों के संचालन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है।

(ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

प्रदर्शनी हॉलों के लिए नवीनतम टियर-1 तकनीक एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सौर ऊर्जा प्रणालियाँ, पीवी पैनल, इनवर्टर, पैनल, केबल एवं अन्य घटक आदि उपलब्ध कराए गए हैं। आईआईसीसी परिसर के कार्य क्षेत्र में कुल विद्युत मांग का कम से कम 1% पूरा करने हेतु सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था की गई है। वाणिज्यिक एवं संस्थागत भवनों की गर्म पानी की कुल मांग का 20% पूरा करने हेतु अथवा स्थानीय भवन उपविधियों की आवश्यकताओं के अनुसार सौर जल तापन प्रणाली को परियोजना के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है।

पूरी परियोजना के लिए सेवा प्रदान करने हेतु एक जिला शीतलन संयंत्र विकसित किया गया है, ताकि भवनों के विभिन्न उपयोगों के बीच उपलब्ध समन्वय का लाभ उठाया जा सके तथा एचवीएसी उपकरणों की स्थापना एवं रखरखाव से संबंधित उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधाओं (शोर, कंपन, एचवीएसी उपकरणों से मुक्त भवन छत आदि) को न्यूनतम किया जा सके।

परियोजना को यथासंभव जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन से बचने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

एमयूडी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

उपरोक्त सभी सुविधाओं हेतु कुल पूंजी निवेश चरण-1 परियोजना के EPC अनुबंध की लागत में शामिल है।

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण हेतु किए गए प्रयास: परियोजना के संपूर्ण परिसर के लिए न्यूमेटिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संग्रह प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन से प्राप्त लाभ: लागू नहीं

(iii) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में: लागू नहीं

- (a) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण: लागू नहीं
- (b) आयात का वर्ष: लागू नहीं
- (c) क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप से अवशोषण किया गया है: लागू नहीं
- (d) यदि पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहाँ अवशोषण नहीं हुआ है तथा उसके कारण: शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

ग) आयात, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय आदि से संबंधित सूचना (विदेशी मुद्रा के रूपांतरण पर विनिमय अंतर को छोड़कर)

i) वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर अर्जित विदेशी मुद्रा: शून्य

ii) वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी मुद्रा व्यय: शून्य (NIL)

32. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

आईआईसीसी लिमिटेड में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आईआईसीसी में केवल 5 कर्मचारी होने के कारण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अध्याय III के खंड 6(1) के प्रावधानों के अंतर्गत यह लागू नहीं है। कंपनी कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बिना महिलाओं सहित सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करती है। आज तक इस संबंध में कंपनी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

33. सूचना का अधिकार (आरटीआई)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है:

सूचना का अधिकार आवेदन / अपीलें	सूचना का अधिकार आवेदन			
	प्राप्त	अस्वीकृत	प्रदान की गई सूचना	31.03.2025 की स्थिति में लंबित
आवेदन	13	0	13	0
अपीलें	2	0	2	0

34. सचिवीय मानक

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपालन किया गया है।

35. कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट प्रदान की गई है। अतः कर्मचारियों के विवरण एवं संबंधित प्रकटीकरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।

36. सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों को कंपनी (बोर्ड की बैठकों एवं उसकी शक्तियों) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित करने के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र संबंधी नीति को अनुमोदित किया गया है तथा इसे कंपनी की वेबसाइट https://iiccl.dpiit.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सतर्कता मामला रिपोर्ट नहीं किया गया तथा कंपनी में कोई पूर्व लंबित सतर्कता मामला भी नहीं है।

37. आभार ज्ञापन

कंपनी का निदेशक मंडल विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के सभी हितधारकों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा एवं आभार व्यक्त करता है।

कंपनी का निदेशक मंडल सभी स्तरों पर कार्यरत टीम की प्रतिबद्धता एवं समर्पण को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है, जो कंपनी के व्यवसाय के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निदेशक मंडल की ओर से

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

ह/-

(अमरदीप एस. भाटिया)

अध्यक्ष

डीआईएन: 10776570

बंगला संख्या 17, न्यू मोती बाग,

ईस्ट नेताजी नगर, नई दिल्ली - 110023

दिनांक: 18.06.2026

स्थान: नई दिल्ली

	जतिन गुप्ता और एसोसिएट्स कंपनी सचिव कार्यालय: 109, प्रथम तल, ऋषभ आईपीएक्स मॉल, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092 (मैक्स अस्पताल के सामने) फोन: +91-11-45104789 ई-मेल: jatinfcs@gmail.com

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2025 के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में]

प्रति,

सदस्य

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड

नई दिल्ली

हमने इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड (CIN: U74999DL2017GOI327372) (जिसे आगे 'कंपनी/आईआईसीसीएल' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इसने हमें कंपनी के कॉर्पोरेट आचरण और वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी द्वारा रखे गए रजिस्टर, रिकॉर्ड, पुस्तिकाएँ, पत्र, बैठक अभिलेख (मिनट बुक), भरे गए फॉर्म और रिटर्न, तथा अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है। साथ ही, कंपनी के पास उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जिस सीमा तक, जिस प्रकार से और जिस प्रकार की रिपोर्टिंग नीचे प्रस्तुत की गई है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए पुस्तिकाओं, पत्र, बैठक अभिलेख भरे गए फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड का निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति संविदा (नियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लागू नहीं);
3. डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, जहाँ लागू हों;

5. भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

    क) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और टेकोवर) विनियम, 2011: (लागू नहीं)

    ख) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 1992; (लागू नहीं)

    ग) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; (लागू नहीं)

    घ) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

    च) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008; (लागू नहीं)

    छ) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 - कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित लेनदेन; (लागू नहीं)

    ज) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (लागू नहीं)

    झ) भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की बायबैक) विनियम, 1998; (लागू नहीं)

निम्नलिखित कानून/अधिनियम विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
3. दिल्ली दुकानें और स्थापनाएँ अधिनियम, 1954
4. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899
5. औद्योगिक, श्रम और पर्यावरण कानून
6. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी समीक्षा की है:

(I) भारत में कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक के लागू प्रावधान।

(II) समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी को सूचीबद्ध समझौता और/या भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम के प्रावधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध और सीमित सार्वजनिक कंपनी है।

साथ ही, हमने कंपनी द्वारा अपनाए गए कोड और नीतियों सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए "सार्वजनिक उद्यम विभाग", भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगम शासकीय प्रबंधन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की, सिवाय इसके कि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित निगम शासकीय प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन अभी किया जाना शेष है।

कंपनी ने ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि का पालन किया है, साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, अधिसूचनाएँ और संशोधित नियम, विनियम, मानक आदि का भी पालन किया गया है।

नोट: कृपया ऊपर दिए गए प्रत्येक अनुच्छेद के संदर्भ में विशिष्ट अनुपालन विहीनताएँ / टिप्पणियाँ / लेखापरीक्षा योग्यताएँ, आपत्ति या नकारात्मक टिप्पणियाँ रिपोर्ट करें - स्वतंत्र निदेशक से संबंधित पूर्व उल्लिखित अपवाद को छोड़कर कोई योग्यताएँ नहीं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल उचित रूप से गठित है, सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भी स्वतंत्र निदेशकों के बिना गठित हैं। इस कारण हमारी रिपोर्ट को इस उद्देश्य के लिए फिर से योग्य माना जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 और 178 का उल्लंघन करती है। पिछली वर्ष की स्थिति में भी यही स्थिति थी, जब रिपोर्ट को योग्य किया गया था।

साथ ही, समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल में हुए बदलाव कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का समय निर्धारित करने हेतु पर्याप्त सूचना दी जाती है, बैठक के एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट पहले ही भेज दिए जाते हैं और दस्तावेज़ों को निदेशक मंडल के सदस्यों के अवलोकन के लिए हाथों से तथा ईमेल द्वारा वितरित किया जाता है। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की एक प्रणाली मौजूद है, ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

अधिकांश निर्णयों को अपनाया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है।

सभी निर्णय बोर्ड/समिति/सामान्य बैठकों में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जैसा कि बोर्ड/समिति/सामान्य बैठकों की कार्यवृत्तियों में दर्ज है। यह ध्यान देने योग्य है कि 31.03.2024 के वित्तीय वर्ष की वार्षिक बैठक (एजीएम) समय सीमा के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के तहत डिफ़ॉल्ट उत्पन्न हुआ।

कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारी इस अपराध के निपटान (कंपाउंडिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने के उत्तरदायी हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और संबंधित दस्तावेज़ों तथा रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के पालन की निगरानी और सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।
नोट: कृपया निदेशक मंडल की संरचना/प्रणाली और लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित प्रक्रियाओं के संदर्भ में विशिष्ट टिप्पणियाँ / योग्यताएँ / आपत्तियाँ या नकारात्मक टिप्पणियाँ रिपोर्ट करें।
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन के संदर्भ में कंपनी के मामलों पर कोई विशेष घटना/क्रिया जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो, नहीं हुई।

जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
जतिन गुप्ता
एफसीएस,
एल.एल.बी.
सीपी. सं. 5236
सदस्यता सं. -
एफ 5651

दिनांक: 29.09.2025
स्थान: दिल्ली
यूडीआईएन: F005651G001377153
सहकर्मी समीक्षा अद्वितीय पहचान संख्या: 6856/2025

नोट: इस रिपोर्ट को हमारी उसी दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो “अनुलग्नक क” के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है। यह रिपोर्ट केवल उन कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों के वैधानिक अनुपालन तक सीमित है, जिनके संबंध में हमारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध है और जिनकी नियत तिथि 31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो गई है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित।

अनुलग्नक क

प्रति,

सदस्य

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड

नई दिल्ली

हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट और संबंधित विभागीय प्रमुख की पुष्टि, यदि कोई हो, को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

क. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ऐसे सचिवीय अभिलेखों और उनकी पर्याप्तता पर अपने विचार व्यक्त करना है, जो हमारे लेखापरीक्षण पर आधारित है।

ख. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया और संबंधित विभागीय प्रमुखों से पुष्टि प्राप्त की तथा उस पर भरोसा किया, जैसा कि हमने अभिलेखों की सही और पूर्ण स्थिति के लिए उपयुक्त माना। हमारी जांच परीक्षण आधारित और जहां आवश्यक था विस्तृत आधार पर की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रविष्टियाँ / रिटर्न आदि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं; हमें विश्वास है कि इस उद्देश्य के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ हमारे विचार के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

ग. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है, और सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा करें (जैसा और जब जारी की जाएगी)।

घ. जहाँ आवश्यक था, हमने वर्ष के दौरान कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।

ङ. निगम और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, तथा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा सचिवीय और अन्य अभिलेखों के सत्यापन तक सीमित थी, जो कंपनी पर लागू होते हैं।

च. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की स्थिरता की गारंटी है और न ही यह दर्शाती है कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी कुशलता और प्रभावशीलता से किया है।

छ. हमें विश्वास है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
जतिन गुप्ता
एफसीएस,एलएलबी
सीपी संख्या:5236
सदस्य संख्या:एफ5651

दिनांक: 29.09.2025
स्थान: दिल्ली
यूडीआईएन: F005651G001377153
सहकर्मी समीक्षा अद्वितीय पहचान संख्या: 6856/2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया इंटनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड की अनुसचिवीय लेखापरीक्षा में टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

अनुसचिवीय लेखापरीक्षा टिप्पणियां	**प्रबंधन के उत्तर**
कंपनी का निदेशक मंडल उचित रूप से गठित है, सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशक का नामांकन नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भी स्वतंत्र निदेशकों के बिना गठित हैं। हमारी रिपोर्ट को इस उद्देश्य के लिए फिर से योग्य माना जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 और 178 का उल्लंघन करती है। पिछली वर्ष की स्थिति में भी यही स्थिति थी, जब रिपोर्ट को योग्य किया गया था।	चूंकि आईआईसीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है, स्वतंत्र निदेशकों को संबंधित मंत्रालय या केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी के प्रभारी हैं। इस मामले को मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही डीपीआईआईटी से स्वतंत्र निदेशक का नामांकन प्राप्त होता है, समिति का गठन स्वतंत्र निदेशक के साथ किया जाएगा।

अनुलग्नक-"II"

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय वर्ष के लिए)

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण:

आईआईसीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) के प्रावधानों के अनुरूप समाज के सतत एवं समावेशी विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी 13 सितंबर, 2021 को आयोजित बैठक में कंपनी की सीएसआर नीति को अनुमोदित किया। यह नीति सीएसआर के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों एवं विषयों में कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख करती है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा सम्मिलित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (9), जो 22 जनवरी, 2021 से प्रभावी है, के अनुसार यदि किसी कंपनी द्वारा सीएसआर पर व्यय की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी तथा ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त छूट के मद्देनज़र, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईआईसीसी लिमिटेड के लिए सीएसआर समिति का गठन अपेक्षित नहीं था तथा ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के प्रकटीकरण का वेब-लिंक https://iiccl.dpiit.gov.in/

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में कराए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश एवं उसका वेब-लिंक (यदि लागू हो)

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर तत्क्षण पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ₹10 करोड़ अथवा उससे अधिक का औसत सीएसआर दायित्व नहीं था।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा)5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

(क) धारा 135 की उपधारा)5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **₹ (26,944.04)** लाख

(ख) धारा 135 की उपधारा)5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : शून्य

(ग) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित)सेट-ऑफ) की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ग) + (ख)]- : [(घ) : शून्य

6. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर व्ययित अथवा अव्ययित राशि

(क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय राशि (जारी परियोजना और जारी परियोजना से इतर, दोनों): शून्य

(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों)एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स) पर व्यय की गई राशि: शून्य

(ग) प्रभाव आकलन)इम्पैक्ट असेस्मेंट) पर व्यय की गई राशि :(यदि लागू हो) लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्ययित राशि [(क) + (ख) + (ग)]: लागू नहीं

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर व्ययित अथवा अव्ययित राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्ययित राशि (में .रु)	**अव्ययित राशि (में .रु)**				
	धारा 135 की उपधारा)6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई कुल राशि		**धारा 135 की उपधारा)5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की गई राशि**		
	राशि	**अंतरण की तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि**	**अंतरण की तिथि**
शून्य	शून्य				

(क) समायोजन हेतु अधिक राशि, यदि कोई हो:

क्रम संख्या	**विवरण**	**राशि (रुपयों में)**
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा)5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अतिरिक्त राशि)]ii)-(i)]	**शून्य**
(iv)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की CSR परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि)]iii)-(iv)]	

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)CSR) राशि का विवरण:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**	**8**
क्र. स.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप धारा (6) के अंतर्गत अव्ययतीत सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये में)	धारा 135 की उप धारा (6) के अंतर्गत अव्ययतीत सीएसआर खाते में शेष राशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप धारा (5) के के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची **VII** के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए अनुसार किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कुछ हो		आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	**अंतरण की तिथि**		
1	वित्तीय वर्ष-1	**कुछ नहीं**						
2	वित्तीय वर्ष-2							
3	वित्तीय वर्ष-3							

8. क्या वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)सीएसआर) राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित या अर्जित की गई है:

○ **हाँ** ◉ **नहीं**

यदि हाँ, तो सृजितअर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों/ की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	**संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा (संपत्ति का पूर्ण पता अथवा स्थान सहित)**	**संपत्ति अथवा परिसंपत्ति(यों) का पिनकोड**	**सृजन की तिथि**	**व्यय की गई सीएसआर राशि**	**पंजीकृत स्वामी कंपनी/प्राधिकरण/लाभकर्ता का ब्यौरा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
लागू नहीं					

(सभी विवरण राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार दर्ज किए जाने चाहिए। फ्लैट संख्या, मकान संख्या, नगर पालिका कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत का विवरण तथा अचल संपत्ति का क्षेत्रफल एवं सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए।)

9. धारा 135 की उपधारा)5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो उसके कारणों का उल्लेख करें: लागू नहीं

निदेशक मंडल की ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

ह/-
(रजत कुमार सैनी**)**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 10264275

दिनांक: 18.06.2026
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक- "III"

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का अभिशासन दर्शन

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जिसमें सरकार की नीतियों के प्रति सक्रिय रहते हुए प्रबंधन में न्यासिता (ट्रस्टीशिप), सशक्तिकरण एवं जवाबदेही के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। आईआईसीसी की अभिशासन प्रक्रिया, अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सुविधाओं के निर्माण एवं उपलब्धता के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी संस्था बनने के अपने मिशन की दिशा में केंद्रित है। कंपनी, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

आईआईसीसी लिमिटेड की प्रमुख गतिविधियां एवं सेवाएं निम्नलिखित हैं:

1. भारत एवं अन्य स्थानों पर विश्वस्तरीय मनोरंजन एवं अवसंरचना सुविधाओं से युक्त प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, विकास, डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, अनुरक्षण, उन्नयन, संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित व्यवसाय करना, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की वैश्विक बैठकों, कन्वेंशन, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों के आयोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डिजाइन किए गए हों। इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, एरीना, ट्रंक अवसंरचना, मेट्रो संपर्क, सड़क संपर्क, जल एवं सीवेज अवसंरचना, वित्तीय केंद्र, होटल, रेस्तरां, इन, यात्रा केंद्र, खाद्य एवं पेय प्रतिष्ठान, फूड कोर्ट, वाणिज्यिक, कार्यालय एवं रिटेल सेवाएं/स्थान, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन केंद्र, बच्चों के थीम पार्क, सुपर बाजार, आवासीय विकास आदि तथा इसी प्रकार की अन्य सभी संबद्ध आंतरिक सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, पीपीपी एवं गैर-पीपीपी मॉडल के अंतर्गत विकसित करना शामिल है।

2. भारत या विदेशों में आवासीय भवन, टाउनशिप, वाणिज्यिक परिसरों, कारखानों, विनिर्माण इकाइयों, मॉल, रिसॉर्ट, हवाई अड्डों, सभी प्रकार के भवनों, रेलवे, ट्राम मार्ग, सड़क मार्ग, रनवे, सड़कों, एयरोड्रोम, डॉक, बंदरगाह, पियर, बांध, बैराज, जलाशय, तटबंध, नहरें, सिंचाई एवं विद्युत गृह, ट्रांसमिशन लाइनें, सीवरेज, जल निकासी, जल, गैस, विद्युत, टेलीफोन एवं विद्युत आपूर्ति कार्य, होटल, आवास, बाजार एवं निजी तथा सार्वजनिक अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का निर्माण, निष्पादन, विकास, सुधार, संचालन, प्रशासन, प्रबंधन अथवा नियंत्रण करना तथा सामान्यतः बिल्डर, निर्माण अभियंता, वास्तुकार, डिजाइनर, सर्वेक्षक एवं अनुमानक के रूप में उनकी संबंधित शाखाओं में व्यवसाय करना।

3. भूमि, भवन, कार्य, खनन, खनिज, खनिज अधिकार, बागान, वन तथा उनमें निहित किसी भी अधिकार एवं हित को क्रय करना, पट्टे पर लेना, विनिमय करना, विलय, लाइसेंस या रियायत के माध्यम से अथवा अन्यथा पूर्णतः या सशर्त, अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करना तथा उनका अन्वेषण, विकास, निर्माण, अनुरक्षण, किराये पर लेना, धारण करना, सुधार करना, परिवर्तन करना, प्रबंधन करना, पट्टे पर देना, बेचना, निपटान करना या विनिमय करना।

4. निवेश अथवा पुनर्विक्रय के उद्देश्य से भूमि, मकान अथवा किसी भी प्रकार की अन्य संपत्तियों या उनमें निहित किसी भी हित का क्रय करना तथा ऐसी संपत्तियों का फ्रीहोल्ड एवं लीजहोल्ड आधार पर सृजन, बिक्री एवं अन्य प्रकार से व्यवहार करना।

5. प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर एवं अन्य मनोरंजन तथा अवसंरचना सुविधाओं के विकास से संबंधित उपकरणों, यंत्रों, मशीनरी, फिक्स्चर, उपकरणों एवं अन्य साधनों सहित सभी प्रकार के उपकरणों एवं प्रणालियों की योजना बनाना, डिजाइन करना, विकास करना, क्रय करना, विक्रय करना, उत्पादन करना, निर्माण करना, प्रसंस्करण करना, मरम्मत करना, पट्टे पर देना, स्थापित करना, आयात, निर्यात करना अथवा अन्यथा उनका व्यवसाय करना तथा उपरोक्त गतिविधियों से

संबंधित या सहायक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न होना।

6. उपक्रम का व्यवसाय चलाना और टर्नकी आधार पर परियोजना को स्थापित करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण निम्नानुसार है:

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का आकार

भारत के राष्ट्रपति के पास वर्तमान में आईआईसीसी लिमिटेड की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 100% स्वामित्व है और इस प्रकार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करेंगे।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार होगा:

क) सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) - अध्यक्ष
ख) सचिव, व्यय विभाग
ग) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
ङ) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, DPIIT
च) अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
छ) सरकार के अन्य नामित प्रतिनिधि
ज) एसपीवी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल में 5 निदेशक थे, जिनमें कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सभी निदेशक सरकार द्वारा नामित निदेशक थे।

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के अध्यक्ष के समिति कक्ष, अर्थात् वाणिज्य भवन, दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बैठकें सामान्यतः पर्याप्त समय पूर्व निर्धारित की जाती हैं तथा बैठक की सूचना, विस्तृत बोर्ड कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक बोर्ड टिप्पणियां निदेशकों को परिचालित की जाती हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच प्राप्त है। आवश्यकता पड़ने पर विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों पर अतिरिक्त जानकारी एवं सुझाव प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल 4 बैठकें आयोजित की गईं, जो क्रमशः 4 जुलाई, 2024, 27 सितंबर, 2024, 30 दिसंबर, 2024 एवं 21 मार्च, 2025 को हुईं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों द्वारा भाग ली गई निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति तथा आईआईसीसी लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य निकाय कॉर्पोरेट्स में उनके अन्य निदेशक पदों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (29 सितंबर, 2023)	अन्य निदेशक पद की संख्या (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)
		अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति		
1	श्री राजेश कुमार सिंह (20 अगस्त, 2024 तक)	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री अमरदीप सिंह भाटिया (14 सितंबर, 2024 से प्रभावी)	3	3	हाँ	3
3	श्रीमती आरती भटनागर (30 सितंबर, 2025 तक)	4	4	हाँ	6
4	श्री अजय सेठ (30 जून, 2025 तक)	4	0	नहीं	2
5	श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम	4	0	नहीं	0
6	डॉ. टी.वी. सोमनाथन (14 अगस्त, 2024 तक)	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं
7	श्री सुरेंद्रकुमार बागड़े (18 दिसंबर, 2024 तक)	2	0	लागू नहीं	लागू नहीं
8	श्री राजीव सिंह ठाकुर (27 दिसंबर, 2024 तक)	2	1	लागू नहीं	लागू नहीं
9	श्री बालामुरुगन देवराज (30 अक्टूबर, 2024 तक)	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं
10	श्रीमती गुरनीत तेज (25 नवंबर, 2024 से प्रभावी)	2	2	हाँ	3

2.4 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचनाएं:

निदेशक मंडल को कंपनी से संबंधित किसी भी सूचना तक पूर्ण पहुंच प्राप्त है। निदेशक मंडल के समक्ष नियमित रूप से निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं:

(i) वार्षिक परिचालन योजनाएं, बजट एवं उनमें किए गए अद्यतन।

(ii) वार्षिक लेखे, निदेशक मंडल की रिपोर्ट आदि।

(iii) लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

(iv) प्रमुख निवेश आदि।

(v) बड़े अनुबंधों का प्रदान किया जाना।

(vi) निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों एवं समिति पदों के संबंध में हितों का प्रकटीकरण।

(vii) विभिन्न चल रही परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति एवं बजट उपयोगिता संबंधी रिपोर्ट।

(viii) मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध आदि में कोई महत्वपूर्ण विकास।

(ix) किसी भी विनियामक एवं सांविधिक प्रावधानों का गैर-अनुपालन।

(x) अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।

(xi) कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सरकारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

(i) लेखा परीक्षा समिति; एवं

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति।

3.1 वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना, आयोजित बैठकें एवं उपस्थिति:

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन 26 सितंबर, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक 27 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**निदेशक का नाम**	**लेखा परीक्षा समिति में पद/स्थिति**	**कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या**	**बैठकों में उपस्थिति**
1	श्रीमती आरती भटनागर	अध्यक्ष	1	1
2	श्री सुरेंद्रकुमार बागड़े (18 दिसंबर, 2024 तक)	सदस्य	1	0
3	श्री राजीव सिंह ठाकुर (27 दिसंबर, 2024 तक)	सदस्य	1	1

* श्री राजीव सिंह ठाकुर एवं श्री सुरेंद्रकुमार बागड़े के निदेशक पद से पदमुक्त होने के पश्चात समिति को भंग कर दिया गया।

3.2 वर्ष 2024-2025 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना, आयोजित बैठकें एवं पारिश्रमिक समिति में उपस्थिति

कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन **26** सितंबर, **2023** को किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। श्री राजीव सिंह ठाकुर एवं श्री सुरेंद्रकुमार बागड़े के निदेशक पद से पदमुक्त होने के पश्चात समिति को भंग कर दिया गया।

4. **निदेशकों का पारिश्रमिक**

कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं। पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के कारण उन्हें कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है।

5. **वार्षिक आम बैठकें**

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन की तिथि, समय एवं स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**बैठक की तिथि**	**समय**	**स्थान**	**पारित विशेष प्रस्ताव**
2021-22	26.12.2022	05.00 शाम	समिति कक्ष संख्या 225, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011	-
2022-23	29.09.2023	3.00 शाम	यथोक्त	-
2024-25	30.12.2024	6.00 शाम	यथोक्त	-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 27 सितंबर, 2024 को एक असाधारण आम बैठक आयोजित की गई।

6. **प्रकटीकरण**

संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है।

आईआईसीसी लिमिटेड लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन कर रही है। सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा के उपरांत ही वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले में सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अधिरोपित नहीं की गई है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात नीति तैयार एवं कार्यान्वित की गई है।

आईआईसीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन का ऐसा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, जो कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप से टकराव उत्पन्न करता हो।

संगठन के उद्देश्य से संबंधित न होने वाले किसी भी व्यय को लेखा पुस्तकों में प्रभारित नहीं किया गया है।
निदेशक मंडल के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रकृति के किसी भी व्यय का भुगतान कंपनी की निधियों से नहीं किया गया है।

7. **संचार के माध्यम**

कंपनी एक असूचीबद्ध एवं पूर्णतः स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और इसलिए इसके त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक परिणाम सूचीबद्ध कंपनियों की भांति संप्रेषित नहीं किए जाते हैं।

8. **लेखा परीक्षा संबंधी योग्यताएं**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/अवलोकन, यदि कोई हों, तथा उन पर प्रबंधन के उत्तर वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

9. **व्हिसल ब्लोअर नीति/ सतर्कता तंत्र**

आईआईसीसी लिमिटेड ने सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसे कार्यान्वित किया गया है। सतर्कता तंत्र को कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

10. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

आईआईसीसी लिमिटेड, समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समाज के सतत एवं समावेशी विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 13 सितंबर, 2021 में कंपनी की सीएसआर नीति को अनुमोदित किया था। सीएसआर नीति में सीएसआर से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति का संक्षिप्त विवरण एवं वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कंपनी द्वारा की गई पहलों का विवरण कंपनी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुबंध - **'III'** में संलग्न सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

ह/-
(रजत कुमार सैनी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएनः10264275

दिनांकः 18.06.2026
स्थानः नई दिल्ली

इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

संरचना, विजन एवं मिशन

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं को वैश्विक क्रेताओं एवं ग्राहकों से जोड़ने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना तथा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना है। आईआईसीसी का उद्देश्य भारत के एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एवं एग्जीबिशन) उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

आईआईसीसी लिमिटेड के प्रमुख उद्देश्य:

1. **विश्वस्तरीय सुविधा का विकास करना:**
    - द्वारका, नई दिल्ली में अत्याधुनिक प्रदर्शनी) कन्वेंशन सेंटर-सह-ईसीसी) की स्थापना करना।
    - प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, एरीना, वित्तीय केंद्र कार्यालय -, होटल, खाद्य एवं पेय प्रतिष्ठान तथा रिटेल सेवाओं आदि सहित व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
2. **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:**
    - अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों के आयोजन हेतु भारत की क्षमता को बढ़ाना।
    - नई दिल्ली को व्यापार एवं वाणिज्यिक आयोजनों के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करना।
3. **रोजगार सृजन:**
    - पांच लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
    - न केवल ईसीसी परिसर में बल्कि रिटेल, कार्यालय स्थलों एवं आतिथ्य जैसे सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
4. **सतत विकास का कार्यान्वयन:**
    - हरित एवं सतत अवसंरचना के साथ ईसीसी का विकास करना।
    - इस सुविधा को वैश्विक स्तर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी केंद्रों के समकक्ष विकसित करने का लक्ष्य रखना।
5. **व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाना:**
    - विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों, सम्मेलनों एवं व्यावसायिक बैठकों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना।
    - एशियाई प्रदर्शनी बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

6. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का उपयोग करना:**
    - परियोजना के वाणिज्यिक घटक मिश्रित उपयोग विकास भूखंड)- कार्यालय, रिटेल एवं होटल का विकास निजी (भागीदारी के माध्यम से करना।
    - परियोजना की संरचना एवं विकास में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
7. **सरकारी सहयोग एवं वित्त पोषण सुनिश्चित करना:**
    - परियोजना के वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त बजटीय सहायता एवं ऋण प्राप्त करना।

उपरोक्त उद्देश्यों का लक्ष्य आईआईसीसी लिमिटेड को वैश्विक प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन बाजार में एक अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित करना तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

आईआईसीसी लिमिटेड का विजन:

आईआईसीसी लिमिटेड का विजन नई दिल्ली को शंघाई, हांगकांग एवं सिंगापुर जैसे शहरों के समकक्ष प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। अत्याधुनिक अवसंरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराकर, आईआईसीसी लिमिटेड का उद्देश्य एशियाई प्रदर्शनी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन करना तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना है।

मिशन वक्तव्य

द्वारका, नई दिल्ली में एक विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर का विकास एवं संचालन करना तथा ऐसी-सह-उत्कृष्ट सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, जो वैश्विक व्यापार, वाणिज्य एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दें और-इस प्रकार भारत के आर्थिक विकास एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में योगदान प्रदान करें।

परियोजना का उद्देश्य वास्तु उत्कृष्टता एवं सतत डिजाइन से युक्त एक प्रतिष्ठित प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर का विकास-सह-करना है, जिसमें प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, एरीना, वित्तीय केंद्र, होटल, खाद्य एवं पेय प्रतिष्ठान)एफ एंड बी आउटलेट्सतथा रिटेल सेवाओं जैसी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हों।

यह परियोजना राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यवसायों के लिए एक उत्कृष्ट मंच उपलब्ध कराकर व्यापार एवं वाणिज्य को सुदृढ़ करने तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। मेट्रो एवं सड़क संपर्क सहित सुदृढ़ अवसंरचना सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा परियोजना का कुशल संचालन पूर्ण सरकारी सहयोग के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन)एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा।

वित्तीय मुख्य बिंदु

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की कुल आय ₹4,699.92 लाख रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह ₹950.13 लाख थी। हालांकि, उच्च मूल्यह्रास एवं वित्त लागत के कारण कंपनी के कुल व्यय में वृद्धि हुई और यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹34,602.29 लाख की तुलना में बढ़कर (पुनर्निधारित)₹55,414.43 लाख हो गया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को ₹232,463.83 लाख का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹26,564.50 लाख का शुद्ध लाभ था। (पुनर्निधारित)

स्वॉट (SWOT**) विश्लेषण**

यशोभूमि को एक एकीकृत परिसर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक प्रदर्शनी हॉल के साथ साथ कन्वेंशन-सुविधा उपलब्ध है, जिसे रिटेल, कार्यालय एवं होटल जैसी अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सुविधाओं का सहयोग प्राप्त है।

यशोभूमि ने एमआईसीई उद्योग में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बी2बी एवं बी2सी मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण पर्यवेक्षण, वेन्यू बुकिंग एवं संचालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर एवं अनुभवी संस्थाओंएजेंसियों को नियुक्त किया है।/

यशोभूमि आईआईसीसी एक अपेक्षाकृत नई संस्था है, जिसे अंतरराष्ट्रीय पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय

आयोजकों को आकर्षित करने एवं यशोभूमि में आयोजन कराने हेतु वेन्यू के व्यापक विपणन के लिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा निरंतर सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

सभी संबद्ध एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित हो सके तथा स्थल पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों और निर्मित भौतिक अवसंरचना के अनुरूप हों।

भविष्य की संभावनाएं

परियोजना के चरण-1 का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगामी वर्षों के लिए आयोजन कैलेंडर व्यस्त एवं आशाजनक व्यावसायिक संभावनाओं को दर्शाता है। संचालक केआईएनईएक्सआईएन ने भी विभिन्न अवसरों पर अधिक लीज क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने की इच्छा व्यक्त की है ताकि व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सके।

दूसरी ओर, विभिन्न डेवलपर्स के साथ हुई चर्चाओं में उन्होंने मिश्रित उपयोग विकास)मिक्स्ड यूज़ डेवेलपमेंट) क्षेत्र के भूखंडों के विकास में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। तदनुसार, आईआईसीसी लिमिटेड द्वारा एमयूडी भूखंडों के माध्यम से भूमि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

यशोभूमि में मिश्रित उपयोग वाली भूमि के लिए भूमि मुद्रीकरण एवं डेवलपर के चयन से संबंधित बोलियों के मूल्यांकन, न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारण, RFP प्रारूप में आवश्यक संशोधन एवं नीलामी प्रक्रिया की निगरानी हेतु डीपीआईआईटी के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

एमयूडी भूखंडों के सफल लेनदेन एवं रियायतग्राही)कन्सेशनेयर) की नियुक्ति तथा आईआईसीसी को आगामी निधि प्राप्त होने के पश्चात प्रदर्शनी हॉल संख्या 3 का विकास कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, आईटीसी होटेल्स ने होटल भूखंड संख्या 28 के लिए ₹326.5 करोड़ की बोली जीतकर सफल बोलीदाता के रूप में चयन प्राप्त किया, जो ₹258.4 करोड़ के आरक्षित मूल्य से 26.4% अधिक है। शेष 11 भूखंडों के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा एक अन्य भूखंड की ईनीलामी शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।-

आईआईसीसी लिमिटेड का लक्ष्य है कि एक वर्ष के भीतर एमयूडी क्षेत्र के अधिकतर विकास को मुद्रीकृत किया जाए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

प्रबंधन एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रणों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों की नियमित रूप से प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उचित लेखांकन, विभिन्न परिचालनों की निगरानी एवं नियंत्रण उपायों को बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

निदेशक मंडल ने कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु नीतियां एवं प्रक्रियाएं अपनाई हैं, जिनमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण तैयार करना शामिल है।

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण विकास

आईआईसीसी लिमिटेड सेवा क्षेत्र की कंपनी होने के नाते मानव संसाधनों को महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मानती है। कंपनी अपने कर्मचारियों की प्रतिभा को उचित महत्व देती है तथा अनुभवी कर्मियों एवं युवा समूह के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को-प्रोत्साहित करती है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, तकनीकी संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आईआईसीसी लिमिटेड एक गैरविनिर्माण कंपनी है। तथापि-, कंपनी ने हरित एवं सतत निर्माण पद्धतियों को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण संरक्षण संबंधी सभी विनियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं।

पूरे परिसर को इसकी हरित एवं सतत विशेषताओं के लिए आईजीबीसी - प्लेटिनम रेटिंग सर्वोच्च रेट)िंग प्रदान की गई (है।

जोखिम प्रबंधन

आईआईसीसी लिमिटेड अपने परिचालनों से संबंधित जोखिमों का नियमित रूप से विश्लेषण करती है तथा ज्ञात जोखिमों के प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु बीमा एवं अन्य माध्यमों द्वारा आवश्यक कदम उठाती है। सभी हितधारकों को किसी भी जोखिमसंभाव/ित जोखिम की जानकारी प्रबंधन के संज्ञान में लाने हेतु सलाह दी गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)सीएसआर)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)सीएसआर) व्यवसायों द्वारा नैतिक रूप से संचालन करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने की एक सतत प्रतिबद्धता है, जिसमें कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ स्थानीय समुदाय और व्यापक-समाज के जीवन स्तर में सुधार करना शामिल है।

आईआईसीसी लिमिटेड सीएसआर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु स्वच्छ भारत कोष में योगदान दे रही है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

ह/-
(रजत कुमार सैनी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएनः10264275

दिनांकः 18.06.2026
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली–110 0 0 2

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या: एएमजी-III/वार्षिक लेखापरीक्षा/IICECL (2024-25)/25-26/92-93

दिनांक / DATE 01 JUN 2026

सेवा में,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
कमरा सं. 452 ए, डी.पी.आई.आई.टी.,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन,
नई दिल्ली -110 011

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

Ph. : +91-11-23702357 Fax : +91-11-23702359 E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमक्त व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा 16 फरवरी, 2026 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील पेपरों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी 4.1): ₹2,59,498.15 लाख
प्रावधान (टिप्पणी 21): ₹12,743.34 लाख

प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र परियोजना हेतु इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित कार्य से संबंधित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की लागत को कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नियोक्ता के अभियंता द्वारा प्रमाणित कार्य मूल्य (अर्थात् ₹2,56,649.07 लाख) के आधार पर मान्यता दी गई थी। तत्पश्चात, 31 मार्च, 2025 की स्थिति में प्रमाणित कार्य मूल्य को संशोधित कर ₹2,03,858.30 लाख कर दिया गया। इसमें कुछ मदों के संबंध में कार्य निष्पादित न किए जाने तथा/अथवा ईपीसी अनुबंध में मूल रूप से निर्दिष्ट मात्राओं अथवा विनिर्देशों की तुलना में कमी होने के कारण कार्य-परिधि में हुए नकारात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य भी सम्मिलित था।

कंपनी ने कार्य निष्पादन के शुद्ध मूल्य से ₹12,738.86 लाख के उक्त ऋणात्मक मूल्य को पृथक रखते हुए पीपीई के अंतर्गत कार्य निष्पादन का मूल्य ₹2,16,597.16 लाख माना। इसके अनुरूप ₹12,738.86 लाख का प्रावधान प्रावधान (टिप्पणी 21) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किया गया। तथापि, उक्त प्रावधान भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व का अस्तित्व होना आवश्यक है।

इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा प्रावधानों का मूल्य ₹12,738.86 लाख प्रत्येक की सीमा तक अधिक प्रदर्शित हुआ है। साथ ही, चूँकि यह मामला ईपीसी ठेकेदार के साथ विवाद के कारण मध्यस्थता के अधीन है, अतः इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का भी प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है।

₹2,03,858.30 लाख + ₹12,738.86 लाख = ₹2,16,597.16 लाख

ख. नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणी

प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह : ₹4,851.29 लाख

वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह : (-) ₹7,080.94 लाख

भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 7 - "नकद प्रवाह विवरण" के पैरा 20 के अनुसार, प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह का निर्धारण लाभ अथवा हानि में निम्नलिखित के प्रभावों का समायोजन करके किया जाता है -

(क) अवधि के दौरान भंडार तथा प्रचालन संबंधी प्राप्य एवं देय राशियों में हुए परिवर्तन;
(ख) गैर-नकद मदें; तथा
(ग) अन्य सभी मदें, जिनका नकद प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण पर सरकारी गारंटी शुल्क के रूप में ₹1,381 लाख का व्यय किया, जिसमें से ₹828.60 लाख का भुगतान किया गया तथा ₹552.40 लाख को चालू वित्तीय देयता के रूप में दर्ज किया गया। यह देखा गया कि कंपनी ने ₹552.40 लाख की राशि को नकद प्रवाह विवरण में "कार्यशील पूंजी में परिवर्तन" के अंतर्गत "अन्य चालू वित्तीय देयताओं" में वृद्धि के रूप में समायोजित किया है। जबकि Ind AS 7 के उपर्युक्त पैरा 20 के अनुसार केवल प्रचालन संबंधी प्राप्य एवं देय राशियों के संबंध में ही ऐसा समायोजन किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सरकारी गारंटी शुल्क के संबंध में ₹1,381 लाख को "वित्तपोषण गतिविधियों" के अंतर्गत नकद बहिर्प्रवाह के रूप में प्रदर्शित किया है, जबकि वास्तविक नकद भुगतान ₹828.60 लाख ही किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से नकद अंतःप्रवाह तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकद बहिर्प्रवाह, दोनों का मूल्य ₹552.40 लाख की सीमा तक अधिक प्रदर्शित किया गया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
(प्रमोद कुमार)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(उद्योग एवं कॉरपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 01.06.2026

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी 4.1): ₹2,59,498.15 लाख प्रावधान (टिप्पणी 21): ₹12,743.34 लाख प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र परियोजना हेतु इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित कार्य से संबंधित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की लागत को कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नियोक्ता के अभियंता द्वारा प्रमाणित कार्य मूल्य (अर्थात् ₹2,56,649.07 लाख) के आधार पर मान्यता दी गई थी। तत्पश्चात, 31 मार्च, 2025 की स्थिति में प्रमाणित कार्य मूल्य को संशोधित कर ₹2,03,858.30 लाख कर दिया गया। इसमें कुछ मदों के संबंध में कार्य निष्पादित न किए जाने तथा/अथवा ईपीसी अनुबंध में मूल रूप से निर्दिष्ट मात्राओं अथवा विनिर्देशों की तुलना में कमी होने के कारण कार्य-परिधि में हुए नकारात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य भी सम्मिलित था। कंपनी ने कार्य निष्पादन के शुद्ध मूल्य से ₹12,738.86 लाख के उक्त ऋणात्मक मूल्य को पृथक रखते हुए पीपीई के अंतर्गत कार्य निष्पादन का मूल्य ₹2,16,597.16 लाख माना। इसके अनुरूप ₹12,738.86 लाख का प्रावधान प्रावधान (टिप्पणी 21) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किया गया। तथापि, उक्त प्रावधान भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व का अस्तित्व होना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा प्रावधानों का मूल्य ₹12,738.86 लाख प्रत्येक की सीमा तक अधिक प्रदर्शित हुआ है। साथ ही, चूँकि यह मामला ईपीसी ठेकेदार के साथ विवाद के कारण मध्यस्थता के अधीन है, अतः इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का भी प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। ₹2,03,858.30 लाख + ₹12,738.86 लाख = ₹2,16,597.16 लाख	नियोक्ता के अभियंता ने 31 मार्च, 2025 तक निष्पादित कार्य का मूल्य ₹2,16,597.16 लाख आंका है। इसके अतिरिक्त, मूल ईपीसी अनुबंध की तुलना में कार्य निष्पादन न होने तथा/अथवा मात्राओं एवं विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण कार्य-परिधि में कमी होने से ₹12,738.86 लाख की ऋणात्मक भिन्नता निर्धारित की गई है। उक्त ऋणात्मक भिन्नता कुछ कार्यों के संविदात्मक मूल्य में कमी को दर्शाती है तथा इसे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की ऋणात्मक लागत नहीं माना जा सकता। चूंकि पीपीई को ऋणात्मक मूल्य पर मान्यता नहीं दी जा सकती, अतः कंपनी ने ऐसे परिसंपत्तियों की लागत शून्य मानी है तथा नियोक्ता के अभियंता द्वारा प्रमाणित निष्पादित कार्य के मूल्य ₹2,16,597.16 लाख के आधार पर पीपीई को मान्यता प्रदान की है। तदनुसार, उक्त ऋणात्मक भिन्नता को पीपीई के मूल्य के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा समायोजन परिसंपत्तियों के मूल्य को विकृत कर सकता है तथा कुछ परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को ऋणात्मक बना सकता है। ₹12,738.86 लाख की राशि, कार्य निष्पादन न होने तथा/अथवा कार्य-परिधि में कमी के कारण ईपीसी ठेकेदार से वसूल की जाने वाली अनुमानित राशि का प्रतिनिधित्व करती है। यह राशि नियोक्ता के अभियंता के आकलन के आधार पर निर्धारित की गई है। यदि लंबित कार्य ईपीसी ठेकेदार अथवा उसके जोखिम एवं लागत पर किसी वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से निष्पादित कराए जाते हैं, तो ऐसे कार्यों की पूर्णता हेतु कंपनी को व्यय वहन करना होगा। अतः कंपनी का मत है कि इस संबंध में एक

	वर्तमान दायित्व विद्यमान है तथा इसकी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। यह मान्यता भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 के प्रावधानों से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह मामला वर्तमान में ईपीसी ठेकेदार के साथ मध्यस्थता के अधीन है तथा विवाद के अंतिम निस्तारण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी समायोजन का लेखांकन दायित्व अथवा वसूली के निश्चित होने पर किया जाएगा। विवाद की प्रकृति, उससे संबंधित अनुमानों तथा अपनाई गई लेखांकन पद्धति के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, जिससे पर्याप्त पारदर्शिता एवं वित्तीय विवरणों का निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित हो सके।
ख. नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणी **प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह : ₹4,851.29 लाख** **वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह : (-) ₹7,080.94 लाख** भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 7 - "नकद प्रवाह विवरण" के पैरा 20 के अनुसार, प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह का निर्धारण लाभ अथवा हानि में निम्नलिखित के प्रभावों का समायोजन करके किया जाता है - (क) अवधि के दौरान भंडार तथा प्रचालन संबंधी प्राप्य एवं देय राशियों में हुए परिवर्तन; (ख) गैर-नकद मदें; तथा (ग) अन्य सभी मदें, जिनका नकद प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण पर सरकारी गारंटी शुल्क के रूप में ₹1,381 लाख का व्यय किया, जिसमें से ₹828.60 लाख का भुगतान किया गया तथा ₹552.40 लाख को चालू वित्तीय देयता के रूप में दर्ज किया गया। यह देखा गया कि कंपनी ने ₹552.40 लाख की राशि को नकद प्रवाह विवरण में "कार्यशील पूंजी में परिवर्तन" के अंतर्गत "अन्य चालू वित्तीय देयताओं" में वृद्धि के रूप में समायोजित किया है। जबकि Ind AS 7 के उपर्युक्त पैरा 20 के अनुसार केवल प्रचालन संबंधी प्राप्य एवं देय राशियों के संबंध में ही ऐसा समायोजन किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सरकारी गारंटी शुल्क के संबंध में ₹1,381 लाख को	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा सरकारी गारंटी शुल्क के रूप में ₹1,381.00 लाख का व्यय किया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹828.60 लाख का भुगतान किया गया तथा शेष ₹552.40 लाख की राशि 31 मार्च, 2025 की स्थिति में देय रही। यह स्वीकार किया जाता है कि ₹552.40 लाख की उक्त अप्रदत्त राशि को अनजाने में नकद प्रवाह विवरण के अंतर्गत "कार्यशील पूंजी में परिवर्तन" में सम्मिलित कर लिया गया। परिणामस्वरूप, इसी सीमा तक प्रचालन गतिविधियों से नकद अंतःप्रवाह तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकद बहिर्प्रवाह अधिक प्रदर्शित हो गए। यह विषय केवल नकद प्रवाह विवरण में वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण से संबंधित है तथा इसका कंपनी की लाभप्रदता, निवल संपत्ति अथवा नकद एवं नकद समतुल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

"वित्तपोषण गतिविधियों" के अंतर्गत नकद बहिर्प्रवाह के रूप में प्रदर्शित किया है, जबकि वास्तविक नकद भुगतान ₹828.60 लाख ही किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रचालन गतिविधियों से नकद अंतःप्रवाह तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकद बहिर्प्रवाह, दोनों का मूल्य ₹552.40 लाख की सीमा तक अधिक प्रदर्शित किया गया है।	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संज्ञान में ले ली गई है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण पहले ही अंतिम रूप दिए जा चुके हैं, अतः लागू लेखांकन आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक संशोधन आगामी वित्तीय वर्ष के संगत आंकड़ों में प्रभावी किया जाएगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़ीबिशन सेंटर लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

<u>योग्यतापूर्ण मत</u>

हमने इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़ीबिशन सेंटर लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न इंड एएस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति में बैलेंस शीट, उस वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें प्रमुख लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के योग्यतापूर्ण मत के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनियों अधिनियम ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के तहत धारा 133 के अनुरूप और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित सहित, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की 31 मार्च, 2025 की स्थिति, वर्ष समाप्ति पर हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रदान करते हैं।

योग्यतापूर्ण मत (क्वालिफाइड ओपिनियन) का आधार

1. वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में संयंत्र, संपत्ति और उपकरण से संबंधित जानकारी की ओर संदर्भित किया गया है:
   क. वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षण के दौरान हमने देखा कि कंपनी ने स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है और वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की भौतिक जांच नहीं की गई। इन परिस्थितियों में, हम कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई मौजूदगी, मूल्यांकन और पूर्णता तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सही मूल्यह्रास लागू होने की पुष्टि नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि उपरोक्त का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। यह मामला 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी योग्यतापूर्ण टिप्पणी का विषय था।

   ख. कुल कार्य का मूल्य, जो ₹2,03,858.30 लाख है, में कुछ मदों के लिए ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य शामिल है, जो कार्य क्षेत्र में ऋणात्मक परिवर्तन के कारण नियोक्ता के अभियंता द्वारा आकलित किया गया है, जो मूल ईपीसी अनुबंध में दिए गए मूल्यों की तुलना में कार्यों के निष्पादन में कमी और/या मात्राओं या विनिर्देशों में कटौती से उत्पन्न हुआ। चूंकि वित्तीय विवरणों में किए गए कार्य का मूल्य ऋणात्मक नहीं लिया जा सकता, इसलिए ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य कार्य के शुद्ध मूल्य से बाहर रखा गया और परिणामस्वरूप किए गए कार्य का मूल्य ₹2,16,597.16/- (₹2,03,858.30 लाख + ₹12,738.86 लाख) माना गया; इसके परिणामस्वरूप, अधूरी/लंबित कार्य के लिए ₹12,738.86/- का प्रावधान किया गया (संदर्भ नोट #21 देखें)। प्रबंधन के अनुसार, इस खाते पर अंतिम प्रभाव उस वर्ष में मान्यता प्राप्त किया जाएगा, जब ठेकेदार के साथ विवाद का निपटारा किया जाएगा।

   शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता।

2. वित्तीय विवरणों के नोट 35(सी) में भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर लिमिटेड और एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बीच इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन अनुबंध के संबंध में संदर्भित किया गया है, जिसमें भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का अनुबंध 30 जनवरी 2018 को ₹2,79,100 लाख की कीमत पर निष्पादित किया गया था। परियोजना की मूल रूप से समापन तिथि 20 अक्टूबर 2019 निर्धारित थी, लेकिन यह विलंबित हो गई और पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। ये विवाद कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, समय की वृद्धि (ईओटी), अवधि वृद्धि लागत, विलंबित हानि, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, जीएसटी मुद्दे और अतिरिक्त लागत से संबंधित हैं, और अब इन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा गया है।

   लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने ₹3,21,362.22 लाख सहित ब्याज की मांग के लिए दावा पत्र दायर किया है। कंपनी ने अपने प्रतिवाद और प्रतिदावों के साथ उत्तर दिया, जिसमें ₹1,33,450.21 लाख सहित लागू ब्याज की मांग की गई। प्रबंधन के अनुसार, L&T द्वारा उठाए गए विवादों के कारण कंपनी की देयता मध्यस्थ के निर्णय के परिणाम पर प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
   चूंकि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम अनिश्चित है, इसलिए उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता। यह 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी योग्यतापूर्ण टिप्पणी का विषय था।

3. वित्तीय विवरणों के नोट 35(ई) में 30 जनवरी 2018 को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर, सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए किए गए अनुबंध का संदर्भ दिया गया है। मूल उद्धृत मूल्य ₹2,79,100 लाख था। बाद में, कार्य क्षेत्र में बदलाव के कारण ₹15,331.48 लाख (अतिरिक्त लागत के लिए ₹15,752.54 लाख और लागत में कटौती के लिए ₹421.06 लाख) जारी किए गए, जो 31 मार्च, 2025 तक लागू हैं।

   इसके अतिरिक्त, अधूरी/लंबित परियोजनाएँ और नकारात्मक लागत वाले परिवर्तन आदेश कुल ₹83,263.88 लाख वर्तमान में विवादाधीन हैं। इन विवादों को मध्यस्थता प्राधिकरण के पास भेजा गया है, जिससे प्रभावी अनुबंध मूल्य का निर्धारण असंभव है। परिणामस्वरूप, अनुबंध के शेष कार्य का अनुमानित मूल्य, जो पूंजी खाते में शामिल नहीं किया गया है, में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के ईपीसी अनुबंध का अनियोजित हिस्सा शामिल नहीं है। नियोक्ता के इंजीनियर ने 31 मार्च, 2025 को किए गए कार्य का मूल्य ₹2,03,858.30 लाख निर्धारित किया और 31 मार्च, 2025 तक ठेकेदार को कुल भुगतान ₹2,38,383.07 लाख किया गया। ₹34,447.65 लाख का अंतर राशि (DMRC कार्यों से संबंधित ₹77.12 लाख शेष राशि के समायोजन के बाद) पूंजी अग्रिम के रूप में दिखाई गई है (नोट #8 देखें), जो विवादाधीन है।

   चूंकि इसमें अनिश्चितताएँ शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता।

4. वित्तीय विवरणों के नोट 40 में एम/एस किनेक्सीन कन्वेन्शन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऑपरेशन सर्विस एग्रीमेंट के संदर्भ में बताया गया है कि कंपनी ने 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के संचालन और प्रबंधन हेतु एम/एस किनेक्सीन कन्वेन्शन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऑपरेशन सर्विस एग्रीमेंट किया है। ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।

वाणिज्यिक संचालन की तिथि से, ऑपरेटर प्रत्येक अनुबंध वर्ष के लिए कंपनी को एक राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निम्नलिखित में से बड़ी होगी: (क) समायोजित सकल राजस्व ("राजस्व हिस्सेदारी") के हिस्से के अनुसार; या (ख) न्यूनतम वार्षिक गारंटीकृत राशि। न्यूनतम गारंटीकृत राशि छठे वर्ष से लागू होती है। कंपनी की कुछ दायित्वें ऑपरेटर के प्रति अवसंरचना सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए होती हैं, ताकि इन सेवाओं को प्रदान करने में हुए खरीद, संचालन और प्रशासन खर्चों को कवर किया जा सके। अवसंरचना सेवाओं के लिए सेवा स्तर समझौते ऑपरेटर के साथ चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, कंपनी ने वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त/प्राप्त होने योग्य शुद्ध राशि के आधार पर राजस्व को इंड एएस 115 - ग्राहक अनुबंधों से राजस्व के अनुसार मान्यता दी है। कंपनी ऑपरेटर के प्रत्यक्ष खर्चों को वहन नहीं करती, बल्कि शुद्ध आधार पर राजस्व रिकॉर्ड करती है। ऑपरेटर ने खानपान, भोजन और पेय सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तृतीय पक्ष को नियुक्त किया है। ऑपरेटर और तृतीय पक्ष के बीच सहमति राजस्व मॉडल पर कंपनी आपत्ति जताती है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार ऑपरेशन सर्विस एग्रीमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन है और विवादाधीन है। प्रबंधन के अनुसार, इसका प्रभाव, यदि कोई हो, तो उस वर्ष में लिया जाएगा जब इसका निर्णय होगा।

चूंकि इसमें अनिश्चितताएँ शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता। यह भी 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटर रिपोर्ट में योग्यताजनक विषय था।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑडिट समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में बोर्ड सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण इन समितियों को भंग कर दिया गया और परिणामस्वरूप कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो ऐसी समितियों के गठन और निदेशकों, जिनमें बहुमत स्वतंत्र निदेशक शामिल हों, को शामिल करने का निर्देश देते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने में भी विफलता दिखाई, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 का उल्लंघन है। धारा 177 और 178 के उल्लंघन का मामला हमारे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की ऑडिटर रिपोर्ट में भी योग्यताजनक विषय था।

हमने कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारे रिपोर्ट के "इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता में और कंपनी अधिनियम एवं उससे संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं में निर्दिष्ट है, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है, वह कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्यताजनक राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विशेष ध्यान योग्य मामले

- वित्तीय विवरणों के नोट 48(क) का संदर्भ लिया जाता है, जो कुछ ऋणदाताओं/पार्टीज़/पूंजी अग्रिम खातों में शेष राशियों के संबंध में है, जो पुष्टि/मेल-जोली के अधीन हैं। प्रबंधन ने यह बताया है कि मेल-जोली के बाद, यदि कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उसे उसी वर्ष में वित्तीय विवरणों में परिलक्षित किया जाएगा जब पुष्टि/मेल-जोली पूरी होगी। इस मामले में हमारी राय योग्यतापूर्ण नहीं है।
- वित्तीय विवरणों के नोट 7 का संदर्भ लिया जाता है, जो स्थगित कर परिसंपत्ति/देयता से संबंधित है।

  क. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में ₹32,463.84 लाख का शुद्ध हानि (नेट लॉस) और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में ₹29,564.50 लाख का शुद्ध हानि (रीस्टेटेड) दर्ज किया है। कंपनी भविष्य में इन हानियों के समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए व्यवसाय हानियों को आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि आयकर रिटर्न्स आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर दाखिल नहीं किए गए थे। अतः, इन व्यवसाय हानियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में कोई स्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। इस मामले में हमारी राय योग्यतापूर्ण नहीं है।
  ख. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अप्रयुक्त मूल्यह्रास स्थगित कर परिसंपत्ति बनाई है (संदर्भ नोट 50), जो आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अधीन है, क्योंकि कंपनी मूल्यह्रास के दावे के लिए आकलन प्रक्रिया के दौरान धारा 142(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रयुक्त मूल्यह्रास पर स्थगित कर परिसंपत्ति बनाई है, जो विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने के अधीन है। प्रबंधन ने बताया है कि उक्त मूल्यह्रास के दावे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध हैं। इस मामले में हमारी राय योग्यतापूर्ण नहीं है।

- वित्तीय विवरणों के नोट 50 के संदर्भ में पिछले अवधि के समायोजन/त्रुटियों और उपरोक्त संशोधन के वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह पर संबंधित प्रभाव को इंड एएस 8 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। कंपनी ने त्रुटियों को सुधारने के लिए पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत में तीसरी बैलेंस शीट प्रस्तुत की है क्योंकि इसका स्टेटमेंट में जानकारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 के दौरान, विशेषज्ञ परामर्श समिति की अंतिम राय दिनांक 05 दिसंबर 2025 के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन एक्सटेंशन (डीएमआरसी प्रॉजेक्ट) और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रदर्शनी-सह-संगोष्ठी केंद्र परियोजना के लिए सड़क कनेक्टिविटी के विकास हेतु किए गए व्यय इंड एएस 16 के तहत परिसंपत्ति की मान्यता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। अतः, पूर्व में मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किए गए उक्त व्यय को अब लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में चार्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पहले किए गए उपचार के कारण मूर्त परिसंपत्तियां अधिक आंकी गई थीं और संबंधित मूल्यह्रास भी पिछले वर्षों में अधिक आंका गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित अप्रयुक्त मूल्यह्रास के कारण स्थगित कर परिसंपत्ति प्रदान की है, जिसे पिछले वर्ष 31 मार्च 2024 में अनजाने में नहीं प्रदान किया गया था।
  इंड एएस 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां के अनुसार, उपरोक्त त्रुटियों को पूर्ववर्ती अवधि के वित्तीय विवरणों के प्रभावित लाइन आइटम को पीछे की तिथि से पुनः प्रस्तुत करके सुधारा गया है। तुलनात्मक आंकड़े ऐसे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं मानो ये त्रुटियां कभी हुई ही नहीं थीं।
  इस मामले में हमारी राय योग्यतापूर्ण नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे विषय हैं, जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार, वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। ये विषय हमारी स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की संपूर्ण लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किए गए और हमारी राय बनाने में विचार किए गए। हम इन विषयों पर अलग राय नहीं देते।

योग्यता प्राप्त राय अनुभाग में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने निर्धारित किया कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों और उनके लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारा लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जाने की संभावना है।

हमारी इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती और हम उस पर किसी भी प्रकार की आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपरोक्त पहचानी गई अन्य सूचना को उपलब्ध होने पर पढ़ें और यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना इंड एएस वित्तीय विवरणों के साथ या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ, या अन्यथा, महत्वपूर्ण रूप से असंगत या भ्रामक प्रतीत होती है। जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार ये इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार किए जाएँ जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह का सटीक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित, जो धारा 133 के तहत निर्दिष्ट हैं और कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, संशोधित रूप में लागू हैं।

इस जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख बनाए जाएँ; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और पालन किया जाए; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए जाएँ; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव किया जाए ताकि लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित हो और इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण (धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण) न हो।

इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि कंपनी की संचालन जारी रखने की क्षमता (गोइंग कॉन्सर्न) का आकलन किया जाए, जहां लागू हो, गोइंग कॉन्सर्न से संबंधित मुद्दों का खुलासा किया जाए, और गोइंग कॉन्सर्न आधार का उपयोग किया जाए जब तक कि प्रबंधन कंपनी को लिक्विडेट करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंड एएस वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी (फ्रॉड) के कारण हो या किसी गलती के कारण, और उसी आधार पर हम एक लेखापरीक्षण रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हमारी राय शामिल होती है। महत्वपूर्ण त्रुटि का पता लगाने के लिए दी गई लेखापरीक्षा उच्च स्तर की सुनिश्चितता देती है, लेकिन

यह गारंटी नहीं है कि हर त्रुटि का पता चलेगा। त्रुटियां धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकती हैं और यदि अकेले या मिलाकर किसी सामान्य जानकार उपयोगकर्ता के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।
लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर निर्णय और सतर्कता बनाए रखते हैं और साथ ही:

- इंड एएस वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों के जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या गलती से, और उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करते हैं जो हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न त्रुटियों का पता न लगने का जोखिम गलती से उत्पन्न त्रुटियों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसमें मिलीभगत, जाली दस्तावेज, जानबूझकर छूट, गलत जानकारी या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके। धारा 143(3)(i) के तहत हम यह भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वह प्रभावी रूप से कार्य कर रही है या नहीं।
- लेखापरिधि में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरण की यथार्थता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा "गोसिंग कंसर्न" (जारी रखने की क्षमता) के आधार पर किए गए लेखा निर्णयों की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से जुड़ी है जो कंपनी की जारी रहने की क्षमता पर संदेह डाल सकती है। यदि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता पाई जाती है, तो हमें अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसे उजागर करना होगा।
- इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का समग्र मूल्यांकन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इंड एएस वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी वास्तविक लेन-देन और घटनाओं को सही तरीके से दर्शाती है।

महत्वपूर्णता (मेटैरिएलिटि) का अर्थ है कि किसी स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण में हुई त्रुटियों का ऐसा स्तर, जो अकेले या मिलाकर, इस संभावना को बढ़ा देता है कि उस वित्तीय विवरण का उपयोग करने वाले किसी सामान्य और जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम लेखापरीक्षा में अपने कार्य के दायरे की योजना बनाते समय और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करते समय मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा, हम किसी पहचानी गई त्रुटियों के प्रभाव का भी मूल्यांकन करते हैं।
हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन्हें संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, ताकि उन्हें लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय सीमा तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की जानकारी दी जा सके, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।
हम उन लोगों को यह भी सूचित करते हैं जिन्हें संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ सभी ऐसे संबंध और अन्य मामले साझा करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं। जहाँ लागू हो, हम संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं।
इन सभी सूचनाओं के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि कौन से विषय वर्तमान लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में मानते हैं। हम इन प्रमुख विषयों का विवरण अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में देते हैं, जब तक कि कोई कानून या नियम सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो, या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि इन विषयों का खुलासा करने के नकारात्मक परिणाम सार्वजनिक हित से अधिक हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 143(11) के तहत जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") में अपेक्षित है, हम "परिशिष्ट बी" में उन विषयों का विवरण देते हैं, जो आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट हैं, जहाँ तक लागू हो।
2. जैसा कि धारा 143(3) के तहत अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून के अनुसार सही खाता पुस्तिकाएँ रखी हैं, जैसा कि इन पुस्तिकाओं की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, सिवाय इसके कि स्थायी संपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में बदलाव का विवरण और नकद प्रवाह विवरण, संबंधित खाता पुस्तिकाओं के साथ मेल खाते हैं।

घ) आधारभूत योग्य राय पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमारी राय में, उक्त इंड एएस वित्तीय विवरण इंड एएस के अनुरूप हैं जो धारा 133 के तहत अधिनियम में निर्दिष्ट हैं और कंपनियों (अकाउंट्स) नियम, 2015 की नियम 7 के साथ पढ़े गए हैं।

च) आधारभूत योग्य राय पैराग्राफ में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते।

छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) की प्रविधियाँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया हमारी अलग रिपोर्ट "संलग्नक ए" देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर योग्य राय व्यक्त करती है।

झ) मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती। इसलिए, धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

ट) अन्य मामलों के संबंध में जो कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 की नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं, हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा दी गई स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है।
ii. कंपनी के पास कोई लंबी अवधि के अनुबंध, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हों, नहीं हैं, जिसके लिए कंपनी को किसी भी महत्वपूर्ण अनुमानित हानि के लिए प्रावधान करना पड़े।
iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक राशि के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

क) प्रबंधन ने यह प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में खुलासा किए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ शामिल हैं, को कोई धनराशि अग्रिम नहीं दी है, ऋण नहीं दिया है, या निवेश नहीं किया है (चाहे उधार ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) इस समझ के साथ कि मध्यस्थ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करेगा जिन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से पहचाना गया हो या अंतिम लाभार्थी के पक्ष में कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने यह भी प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में खुलासा किए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ शामिल हैं, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है इस समझ के साथ कि कंपनी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करेगी जिन्हें किसी भी रूप में वित्त पोषक द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो या अंतिम लाभार्थियों के पक्ष में कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेगी।

ग) परिस्थितियों के अनुसार जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया हमने उचित और उपयुक्त मानी, उसके आधार पर हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे यह विश्वास किया जा सके कि उप-धारा (i) और (ii) के तहत किए गए प्रतिनिधित्वों में कोई महत्वपूर्ण भ्रामक विवरण शामिल है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है (वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36 देखें)।

vi. हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें परीक्षणात्मक जांच शामिल थी, कंपनी ने अपनी खाता पुस्तिकाएँ बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा है और यह सुविधा वर्ष भर सभी प्रासंगिक लेन-देन पर संचालित रही। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान हमें इस सुविधा में किसी भी प्रकार के हेरफेर का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, ऑडिट ट्रेल को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है।

3. हमारी अलग रिपोर्ट, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित है, "अनुलग्नक सी" के रूप में संलग्न है।

गोएल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000397N

ह/-
(अजय रस्तोगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 084897
यूडीआईएन:
हस्ताक्षर स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी, 2026

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समतुल्य तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अनुलग्नक 'ए'

लेखापरीक्षा के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 उप-धारा 3 की धारा (i) के अंतर्गत)

हमने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ, 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जिसमें इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट" में उल्लिखित आवश्यक घटक शामिल हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कि प्रभावी रूप से संचालित होते हुए कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, तथा समय पर भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की तैयारी सुनिश्चित करता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने यह लेखापरीक्षण इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट" और लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लागू माने जाते हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, लेखापरीक्षण की योजना बनाने और इसे निष्पादित करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और वे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हुए हैं।

हमारा लेखापरीक्षण उन प्रक्रियाओं को शामिल करता है जिनके माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और संचालन की प्रभावशीलता के लिए लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इसमें नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, संभावित कमजोरियों का मूल्यांकन करना, और आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के पेशेवर निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतियों के जोखिम का आकलन शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसा प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें निम्नलिखित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं:

1. ऐसे अभिलेखों का रखरखाव, जो लेनदेन और संपत्ति की स्थिति को उचित विस्तार में सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हों;

2. यह आश्वासन कि लेनदेन रिकॉर्ड किए गए हैं ताकि वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जा सकें और कंपनी की प्राप्तियां और खर्च प्रबंधन और निदेशकों द्वारा अधिकृत रूप में ही किए जा रहे हों;
3. यह आश्वासन कि कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान समय पर पहचाना या रोका जा सके, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जैसे कि मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित अधिग्रहण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल सकता। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन यह जोखिम रखता है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन कमजोर पड़ सकता है।

योग्यतापूर्ण मत

हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के आधार पर तथा हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशीलता में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियाँ पाई गई हैं:

(i) अपर्याप्त मानव संसाधन के कारण कर्तव्यों का पृथक्करण:

कंपनी में केवल दो स्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात् वित्त प्रबंधक और कंपनी सचिव (17 फरवरी 2025 से नियुक्त)।

- वित्त प्रबंधक सभी प्रकार के लेखांकन प्रपत्र, संयुक्त उद्यम प्रपत्र, भुगतान प्रपत्र, रसीद प्रपत्र, देय नोट, खरीद प्रपत्र आदि तैयार और हस्ताक्षर करते हैं। केवल भुगतान प्रपत्रों पर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- वित्त प्रबंधक वही व्यक्ति है जो संपत्ति और देनदारियों का विवरण (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन विवरण और सभी लेखांकन नोट्स तैयार करता है।

इस प्रकार, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कमजोरी पाई गई है।

(ii) ऑडिट समिति और नामांकन एवं वेतन आयोग समिति की अनुपस्थिति:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऑडिट समिति का गठन किया और एक बैठक आयोजित की। हालांकि, बोर्ड के सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण इसके बाद समिति भंग कर दी गई और कोई अन्य बैठक आयोजित नहीं की गई। नामांकन और वेतन आयोग समिति भी भंग कर दी गई, क्योंकि बोर्ड में पर्याप्त सदस्य नहीं थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) और 178(1) में आवश्यक है। इन समितियों में निदेशकों सहित अधिकतर स्वतंत्र निदेशकों का होना अनिवार्य है। इन समितियों की अनुपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 का उल्लंघन है।

(iii) कंपनी सचिव की नियुक्ति में विलंब:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी का कंपनी सचिव, जो मुख्य प्रबंधकीय कर्मी हैं, 17 फरवरी 2025 को नियुक्त हुए, जबकि पूर्व कंपनी सचिव का कार्यकाल 29 मई 2024 से समाप्त कर दिया गया था।
इस कारण वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 के दौरान लगभग 8.5 महीनों तक निरंतर पूर्णकालिक कंपनी सचिव न होने के कारण वैधानिक अनुपालन में कमी हुई, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियमों में आवश्यक है।

(iv) स्थायी संपत्ति और भौतिक सत्यापन में कमी:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान स्थायी संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं कराया।

एक मैटेरियल वीकनेस (सामग्री कमजोरी)आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई कमी, या कमियों का संयोजन होती है, ऐसा कि यह संभव है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण समय पर रोक या पता न लगाया जा सके।

हमारे विचार में, कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को पर्याप्त रूप से बनाए रखा है। यह नियंत्रण कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में वर्णित आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है। ऊपर वर्णित मैटेरियल वीकनेस के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लागू किए गए परीक्षणों की प्रकृति, समय और विस्तार निर्धारित करते समय ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई मैटेरियल वीकनेस पर विचार किया है, और ये मैटेरियल वीकनेस कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती हैं।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000397N

ह/-
(अजय रस्तोगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 084897
यूडीआईएन:
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी, 2026

अनुलग्नक 'बी' स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर समान दिनांक वाली लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए और जिन पुस्तकों और रिकॉर्ड का हमने परीक्षण किया, उसके अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) (ए) कंपनी ने परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के बारे में पूर्ण विवरण, जिसमें मात्रात्मक विवरण और स्थिति शामिल है, को दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया है।

(बी) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इसकी अनुपस्थिति में, हम पुस्तकों के रिकॉर्ड की तुलना में किसी भी असंगति पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है (सिवाय उन परिसंपत्तियों के जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के अनुबंध उचित रूप से पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित हैं)।

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्ति परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरणों (राइट टु यूज़ संपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का वर्ष अंत में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(च) कंपनी के खिलाफ बेनामी परिसंपत्ति रखने के संबंध में बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 45) और उसके तहत बने नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही लंबित है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई भंडार (इन्वेंटरी) नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(ii)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय कंपनी को कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) सीमा स्वीकृत नहीं की गई थी।

(iii) जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, कंपनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स या अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया है, न ही किसी प्रकार की गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है, और न ही ऋण या अग्रिम भुगतान के रूप में कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान किया है। अतः इस खंड के तहत सभी उप-धाराएं लागू नहीं होती हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि तक किसी भी निदेशक के साथ कोई ऋण या उधार समझौता नहीं किया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई निवेश किया है।

(v) (क) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि या जमा के रूप में मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, कंपनी पर कंपनीज (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 की धारा 3(व) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(vi) हमारी जानकारी और समझ के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 148(1)(ख) के अंतर्गत लागत लेखा-जोखा बनाए रखने का निर्देश नहीं दिया है। इसलिए, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी की परीक्षित पुस्तकों के अनुसार, हमारी राय में कंपनी सामान्य रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के पास निर्विवादक सांविधिक देयताओं जैसे वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेस और अन्य लागू सांविधिक देयताओं का जमा करने में नियमित है। 31 मार्च, 2025 तक कोई निर्विवादक देय राशि छह महीनों से अधिक समय तक बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सेस और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

(viii) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी लेन-देन को जो पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं है, आय के रूप में नहीं दिखाया है।

(ix) (क) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार की अदायगी या ब्याज भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमारी राय और जानकारी के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक, वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) टर्म लोन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए लोन प्राप्त किया गया था।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने अपने सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम की जिम्मेदारियों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से कोई धन नहीं लिया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(छ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों में रखे गए प्रतिभूतियों को धरोहर बनाकर कोई ऋण नहीं उठाया है।

(x) (क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरण सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(ख) प्रबंधन की जानकारी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी विशेष आवंटन या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से शेयर या रूपांतर योग्य बांड जारी नहीं किए हैं।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हमें कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं मिली। इसलिए, इस खंड के उप-धारा (बी) और (सी) लागू नहीं हैं।

(xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनीज (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 की धारा 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) प्रबंधन की जानकारी के अनुसार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों से मुक्त है। लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार इंड एएस 24 के तहत इसका खुलासा इंड एएस वित्तीय विवरणों में किया गया है। हालांकि, कंपनी धारा 177 का अनुपालन नहीं कर रही है क्योंकि ऑडिट समिति अनुपस्थित है।

(xiv) (क) कंपनी की आंतरिक लेखा प्रणाली है, जिसे व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप और मजबूत किया जाना आवश्यक है।

(ख) लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को हमारी समीक्षा में शामिल किया गया है।

(xv) हमारी राय और जानकारी के अनुसार, कंपनी ने किसी निदेशक या उसके जुड़े व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है, जो धारा 192 के अंतर्गत आता है। इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।

(xvi) (क) हमारी राय और जानकारी के अनुसार, कंपनी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ख) कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या हाउसिंग फाइनेंस गतिविधि नहीं की है।

(ग) कंपनी को रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं माना जाता।

(घ) कंपनी किसी समूह का हिस्सा नहीं है जिसमें एक से अधिक सीआईसी हों।

(xvii) हमारी राय और जानकारी के अनुसार, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में 12,638.82 लाख रुपये और पिछले वित्तीय वर्ष (पुन: स्थिर) में 13,861.08 लाख रुपये नकद हानि की है।

(xviii) वर्ष में किसी सांविधिक लेखापरीक्षक का इस्तीफा नहीं हुआ।

(xix) हमें दी गई जानकारी, वित्तीय अनुपात, उम्र और वित्तीय संपत्तियों के वास्तविककरण की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, और प्रबंधन योजनाओं के अनुसार, हमारी राय में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है कि कंपनी अपनी देयताओं को अगले 1 वर्ष में समय पर पूरा कर सकेगी। हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम किसी गारंटी या आश्वासन की पेशकश नहीं करते।

(xx) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(xxi) हमारी राय और जानकारी के अनुसार, कंपनी के लिए अन्य इकाइयों के वित्तीय विवरणों का समेकन आवश्यक नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

गोएल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000397N

ह/-
(अजय रस्तोगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 084897
यूडीआईएन:
हस्ताक्षर स्थल: नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी, 2026

अनुलग्नक सी

धारा 143(5) के प्रावधानों के अनुसार और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम निम्नलिखित पर रिपोर्ट देते हैं कि:

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रियाएँ
(i)	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेन-देन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर किए गए लेखा लेन-देन के प्रोसेसिंग का खातों की अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हों, उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।	हाँ, कंपनी के पास सभी लेखा लेन-देन को संसाधित करने और वित्तीय खातों की तैयारी के लिए टैली ईआरपी सिस्टम है। हमारी जानकारी के अनुसार, कोई भी लेखा लेन-देन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित नहीं किया गया है।
(ii)	कंपनी द्वारा ऋण लौटाने में असमर्थता के कारण किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ब्याज की छूट/माफ़ी का कोई मामला नहीं है। अतः कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है और ऐसे किसी मामले का लेखांकन करने की आवश्यकता नहीं हुई।	वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण लौटाने में असमर्थता के कारण किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ब्याज की छूट/माफ़ी का कोई मामला नहीं पाया गया।
(iii)	केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशेष योजना के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उसके शर्तों और नियमों के अनुसार सही ढंग से लेखांकन और उपयोग किया गया है। इस दौरान कोई विचलन का मामला सामने नहीं आया।	कंपनी ने केंद्रीय सरकार से इक्विटी के रूप में निधियाँ प्राप्त की हैं (वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14 और 15 देखें), और इन्हें खातों की पुस्तकों में सही ढंग से लेखांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राप्त निधियों का उपयोग अनुमोदन की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000397N

ह/-
(अजय रस्तोगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 084897
यूडीआईएन:
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी, 2026

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने इंडिया अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, भारत के महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का पालन किया है।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000397N

ह/-
(अजय रस्तोगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 084897
यूडीआईएन:
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी, 2026

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर लिमिटेड की इस वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

	अर्हक अभिमत का आधार	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.	वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में संयंत्र, संपत्ति और उपकरण से संबंधित जानकारी की ओर संदर्भित किया गया है: क. वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षण के दौरान हमने देखा कि कंपनी ने स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है और वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की भौतिक जांच नहीं की गई। इन परिस्थितियों में, हम कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई मौजूदगी, मूल्यांकन और पूर्णता तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सही मूल्यह्रास लागू होने की पुष्टि नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि उपरोक्त का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। यह मामला 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी योग्यतापूर्ण टिप्पणी का विषय था। ख. कुल कार्य का मूल्य, जो ₹2,03,858.30 लाख है, में कुछ मदों के लिए ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य शामिल है, जो कार्य क्षेत्र में ऋणात्मक परिवर्तन के कारण नियोक्ता के अभियंता द्वारा आकलित किया गया है, जो मूल ईपीसी अनुबंध में दिए गए मूल्यों की तुलना में कार्यों के निष्पादन में कमी और/या मात्राओं या विनिर्देशों में कटौती से उत्पन्न हुआ। चूंकि वित्तीय विवरणों में किए गए कार्य का मूल्य ऋणात्मक नहीं लिया जा सकता, इसलिए ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य कार्य के शुद्ध मूल्य से बाहर रखा गया और परिणामस्वरूप किए गए कार्य का मूल्य ₹2,16,597.16/- (₹2,03,858.30 लाख + ₹12,738.86 लाख) माना गया; इसके परिणामस्वरूप, अधूरी/लंबित कार्य के लिए ₹12,738.86/- का प्रावधान किया गया (संदर्भ नोट #21 देखें)। प्रबंधन के अनुसार, इस खाते पर अंतिम प्रभाव उस वर्ष में मान्यता प्राप्त किया जाएगा, जब ठेकेदार के साथ विवाद का निपटारा किया जाएगा। शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता।	ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की वजह से प्रोजेक्ट फैसिलिटी की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और फाइनल हैंडओवर में देरी हुई। इसके चलते फिक्स्ड एसेट रजिस्टर तैयार करने में भी देरी हुई, क्योंकि यह सीधे तौर पर हैंडओवर प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। चूंकि, परिचालन 1 अक्टूबर, 2023से शुरू किया गया था, इसलिए परिचालन शुरू होने की तिथि से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण आवश्यक था। तदनुसार, परिसंपत्तियों का पूंजीकरण और उस पर लगाया गया मूल्यह्रास, भारतीय लेखांकन मानक 16 -और कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है संयंत्र, परिसंपत्ति और उपकरण के पूंजीकरण पर उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में दिए गए हैं।
2.	1. वित्तीय विवरणों के नोट 35(सी) में भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर लिमिटेड और एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बीच इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन अनुबंध के संबंध में संदर्भित किया गया है, जिसमें भारत	वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 35(ग) में भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 के अनुसार एल एंड टी द्वारा आईआईसीसीएल के विरुद्ध दायर दावों के संबंध में निम्नलिखित

	इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का अनुबंध 30 जनवरी 2018 को ₹2,79,100 लाख की कीमत पर निष्पादित किया गया था। परियोजना की मूल रूप से समापन तिथि 20 अक्टूबर 2019 निर्धारित थी, लेकिन यह विलंबित हो गई और पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। ये विवाद कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, समय की वृद्धि (ईओटी), अवधि वृद्धि लागत, विलंबित हानि, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, जीएसटी मुद्दे और अतिरिक्त लागत से संबंधित हैं, और अब इन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा गया है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने ₹3,21,362.22 लाख सहित ब्याज की मांग के लिए दावा पत्र दायर किया है। कंपनी ने अपने प्रतिवाद और प्रतिदावों के साथ उत्तर दिया, जिसमें ₹1,33,450.21 लाख सहित लागू ब्याज की मांग की गई। प्रबंधन के अनुसार, L&T द्वारा उठाए गए विवादों के कारण कंपनी की देयता मध्यस्थ के निर्णय के परिणाम पर प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम अनिश्चित है, इसलिए उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता। यह 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी योग्यतापूर्ण टिप्पणी का विषय था।	प्रकटीकरण किया गया है:- "इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़ीबिशन सेंटर (आईआईसीसी), सेक्टर-25, द्वारका, नई दिल्ली के विस्तृत अभिकल्पन, निर्माण, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण के आधार पर ₹2,79,100 लाख की एकमुश्त अनुबंध राशि पर दिनांक 30 जनवरी, 2018 को भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड (आईआईसीसीएल) तथा मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के मध्य एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य का निष्पादन 20 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण किया जाना था। तत्पश्चात उक्त अनुबंध के निष्पादन एवं क्रियान्वयन के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य विवाद एवं मतभेद उत्पन्न हुए, जिन्हें निपटारे हेतु मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया। प्रचलित मध्यस्थता कार्यवाही में दावाकर्ता एल एंड टी द्वारा अपना दावा-पत्र प्रस्तुत करते हुए लागू ब्याज सहित ₹3,21,362.22 लाख की दावा राशि की मांग की गई है। इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी आईआईसीसीएल द्वारा अपना प्रतिरक्षा-पत्र एवं प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए लागू ब्याज सहित ₹1,33,450.21 लाख की राशि का दावा किया गया है। दिनांक 14 नवंबर, 2024 को एल एंड टी द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में आईआईसीसीएल द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2024 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25 अगस्त, 2025 तक इस प्रकरण में सुनवाई एवं अभिवचन (प्लीडिंग्स) की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा इस संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया है। अब मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के आगामी चरण निर्धारित किए जाने हैं। एल एंड टी द्वारा उठाए गए

		विवादों के संबंध में कंपनी पर यदि कोई दायित्व अंतिम रूप से निर्धारित होता है, तो उसका लेखांकन मध्यस्थता कार्यवाही के अंतिम निर्णय के उपरांत किया जाएगा।""
3.	1. वित्तीय विवरणों के नोट 35(ई) में 30 जनवरी 2018 को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर, सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए किए गए अनुबंध का संदर्भ दिया गया है। मूल उद्धृत मूल्य ₹2,79,100 लाख था। बाद में, कार्य क्षेत्र में बदलाव के कारण ₹15,331.48 लाख (अतिरिक्त लागत के लिए ₹15,752.54 लाख और लागत में कटौती के लिए ₹421.06 लाख) जारी किए गए, जो 31 मार्च, 2025 तक लागू हैं। इसके अतिरिक्त, अधूरी/लंबित परियोजनाएँ और नकारात्मक लागत वाले परिवर्तन आदेश कुल ₹83,263.88 लाख वर्तमान में विवादाधीन हैं। इन विवादों को मध्यस्थता प्राधिकरण के पास भेजा गया है, जिससे प्रभावी अनुबंध मूल्य का निर्धारण असंभव है। परिणामस्वरूप, अनुबंध के शेष कार्य का अनुमानित मूल्य, जो पूंजी खाते में शामिल नहीं किया गया है, में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के ईपीसी अनुबंध का अनियोजित हिस्सा शामिल नहीं है। नियोक्ता के इंजीनियर ने 31 मार्च, 2025 को किए गए कार्य का मूल्य ₹2,03,858.30 लाख निर्धारित किया और 31 मार्च, 2025 तक ठेकेदार को कुल भुगतान ₹2,38,383.07 लाख किया गया। ₹34,447.65 लाख का अंतर राशि (DMRC कार्यों से संबंधित ₹77.12 लाख शेष राशि के समायोजन के बाद) पूंजी अग्रिम के रूप में दिखाई गई है (नोट #8 देखें), जो विवादाधीन है। चूंकि इसमें अनिश्चितताएँ शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता।	वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 35(ङ) में भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 के अनुसार ईपीसी अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित किया जाना शेष अनुमानित कार्य, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया गया है:- "इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़ीबिशन सेंटर (आईआईसीसी), सेक्टर-25, द्वारका, नई दिल्ली के विस्तृत अभिकल्पन, निर्माण, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु दिनांक 30 जनवरी, 2018 को मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एल एंड टी) के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। इस अनुबंध की मूल उद्धृत अनुबंध राशि ₹2,79,100 लाख थी। तत्पश्चात 31 मार्च, 2025 तक कार्य के दायरे (स्कोप ऑफ वर्क) में ₹15,331.48 लाख के परिवर्तन आदेश जारी किए गए, जिनमें ₹15,752.54 लाख अतिरिक्त लागत तथा ₹421.06 लाख लागत में कमी से संबंधित थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, ₹83,263.88 लाख की नकारात्मक लागत से संबंधित अपूर्ण/लंबित कार्य तथा परिवर्तन आदेश वर्तमान में विवादाधीन हैं। इन विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित किया गया है, जिसके कारण प्रभावी अनुबंध मूल्य का निर्धारण वर्तमान में संभव नहीं है। परिणामस्वरूप, निष्पादित किया जाना शेष अनुबंधों के अनुमानित मूल्य, जिसके लिए पूंजी खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, में एल एंड टी के साथ निष्पादित ईपीसी अनुबंध का अपूर्ण भाग सम्मिलित नहीं है। नियोक्ता के अभियंता द्वारा 31 मार्च, 2025 की स्थिति में निष्पादित कार्य का मूल्य ₹2,03,858.30 लाख आंका गया है, जबकि कंपनी के लेखों/अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक ठेकेदार को कुल ₹2,38,383.07 लाख का भुगतान किया जा चुका है। ₹34,447.65 लाख का अंतर (डीएमआरसी कार्यों से संबंधित ₹77.12 लाख की

		बकाया राशि के समायोजन के उपरांत), जिसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 8 देखें), वर्तमान में विवादाधीन है।"
4.	वित्तीय विवरणों के नोट 40 में एम/एस किनेक्सीन कन्वेन्शन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऑपरेशन सर्विस एग्रीमेंट के संदर्भ में बताया गया है कि कंपनी ने 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के संचालन और प्रबंधन हेतु एम/एस किनेक्सीन कन्वेन्शन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऑपरेशन सर्विस एग्रीमेंट किया है। ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। वाणिज्यिक संचालन की तिथि से, ऑपरेटर प्रत्येक अनुबंध वर्ष के लिए कंपनी को एक राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निम्नलिखित में से बड़ी होगी: (क) समायोजित सकल राजस्व ("राजस्व हिस्सेदारी") के हिस्से के अनुसार; या (ख) न्यूनतम वार्षिक गारंटीकृत राशि। न्यूनतम गारंटीकृत राशि छठे वर्ष से लागू होती है। कंपनी की कुछ दायित्वें ऑपरेटर के प्रति अवसंरचना सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए होती हैं, ताकि इन सेवाओं को प्रदान करने में हुए खरीद, संचालन और प्रशासन खर्चों को कवर किया जा सके। अवसंरचना सेवाओं के लिए सेवा स्तर समझौते ऑपरेटर के साथ चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, कंपनी ने वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त/प्राप्त होने योग्य शुद्ध राशि के आधार पर राजस्व को इंड एएस 115 - ग्राहक अनुबंधों से राजस्व के अनुसार मान्यता दी है। कंपनी ऑपरेटर के प्रत्यक्ष खर्चों को वहन नहीं करती, बल्कि शुद्ध आधार पर राजस्व रिकॉर्ड करती है। ऑपरेटर ने खानपान, भोजन और पेय सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तृतीय पक्ष को नियुक्त किया है। ऑपरेटर और तृतीय पक्ष के बीच सहमति राजस्व मॉडल पर कंपनी आपत्ति जताती है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार ऑपरेशन सर्विस एग्रीमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन है और विवादाधीन है। प्रबंधन के अनुसार, इसका प्रभाव, यदि कोई हो, तो उस वर्ष में लिया जाएगा जब इसका निर्णय होगा। चूंकि इसमें अनिश्चितताएँ शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता। यह भी 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटर रिपोर्ट में योग्यताजनक विषय था।	प्रचालक द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। तथापि, अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित सेवा स्तर अनुबंध दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं किए जा सके हैं। केटरिंग तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ सेवाओं के राजस्व मॉडल के संबंध में प्रचालक एवं कंपनी के मध्य व्याख्या का मतभेद विद्यमान है। इसका राजस्व पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसका लेखांकन उस वर्ष किया जाएगा, जिसमें इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उपर्युक्त विषयों के संबंध में 'भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 39 में किया गया है।
5.	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑडिट समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में बोर्ड सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण इन समितियों को भंग कर दिया गया और परिणामस्वरूप कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो ऐसी समितियों के गठन और निदेशकों, जिनमें बहुमत स्वतंत्र निदेशक शामिल हों, को शामिल करने का निर्देश	आईआईसीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है द्वारा की जानी आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों के मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय

	देते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने में भी विफलता दिखाई, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 का उल्लंघन है। धारा 177 और 178 के उल्लंघन का मामला हमारे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की ऑडिटर रिपोर्ट में भी योग्यताजनक विषय था।	)डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहा, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। एक बार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, इन समितियों में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए वित्तीय विवरण

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड

कक्ष संख्या. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
CIN: U74999DL2017GOI327372

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट

		विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 तक* (₹ लाखों में)	1 अप्रैल, 2023 तक* (₹ लाखों में)
क		**परिसंपत्तियाँ**				
	1	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**				
		(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4.1	259,498.15	314,984.22	0.31
		(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4.2	-	2,301.58	266,496.63
		(ग) उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियाँ	4.3	-	-	-
		(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	0.03	0.07	-
		(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
		(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	1,656.06	1,656.06	1,610.24
		(च) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ	7	22,088.52	4,104.88	17.10
		(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	8	34,589.22	162.79	4,276.87
		कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**317,831.98**	**323,209.60**	**272,401.15**
	2	**चालू परिसंपत्तियाँ**				
		(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
		(i) व्यापारिक प्राप्तियाँ	9	258.06	1,330.83	-
		(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	10	3,579.07	7,859.05	4,461.02
		(iii)अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	127.50	139.41	22.42
		(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	12	311.16	139.39	63.38
		(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	77.03	555.23	312.81
		कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**4,352.82**	**10,023.91**	**4,859.63**
		कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)		**322,184.80**	**333,233.51**	**277,260.78**
ख		**इक्विटी एवं देयताएँ**				
	1	**इक्विटी**				
		(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	244,239.00	244,239.00	244,239.00
		(ख) अन्य इक्विटी	15	(180,688.08)	(148,224.37)	(118,659.52)
		कुल इक्विटी		**63,550.92**	**96,014.63**	**125,579.48**
	2	**देयताएँ**				
		गैर-चालू देयताएँ				
		(क) वित्तीय देयताएँ				
		(i) उधारियाँ	16	225,312.22	214,182.24	134,584.72
		(ख) प्रावधान	17	18.63	13.44	22.18
		(ग) स्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	7	-	-	-
		चालू देयताएँ				
		(क) वित्तीय देयताएँ				
		(i) उधारियाँ	18	3,870.00	-	-
		(i) व्यापारिक देयक	19			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देयक		-	-	-
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देयक		1,034.54	-	-
		(ii)अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	20	15,518.36	22,901.19	16,347.82
		(ख) प्रावधान	21	12,743.34	14.22	0.98
		(ग) अन्य चालू देयताएँ	22	136.79	107.79	725.60
		कुल देयताएँ		**258,633.88**	**237,218.88**	**151,681.30**
		कुल इक्विटी एवं देयताएँ (1+2)		**322,184.80**	**333,233.51**	**277,260.78**
		महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2			
		वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनने वाली संलग्न टिप्पणियाँ	1-50			

*** पुनः प्रस्तुतीकृत (नोट सं. 50 देखें)**

संलग्न समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।
गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397N

ह/-
अजय रस्तोगी
पार्टनर
एम. संख्या - 084897

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह/-
अमरदीप सिंह भाटिया
अध्यक्ष
डीआईएन 10776570

ह/-
गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन - - 07047188

ह/-
निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
अनिंद्य भट्टाचार्य
वित्त निदेशक

ह/-
ऋद्धि मदान गौड़
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : फरवरी 16, 2026

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड

कक्ष संख्या. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
CIN: U74999DL2017GOI327372

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए * (₹ लाखों में)
I	परिचालन से राजस्व	23	4,604.55	777.24
II	अन्य आय	24	362.37	172.89
III	**कुल आय (I+II)**		**4,966.92**	**950.13**
IV	**व्यय**			
	(क) कर्मचारी लाभ व्यय	25	98.44	56.78
	(ख) वित्तीय लागत	26	20,703.17	8,731.10
	(ग) मूल्यह्रास और अमूर्तिकरण व्यय	27	19,825.01	15,703.42
	(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	28	-	1.73
	(ङ) अन्य व्यय	29	14,787.81	10,109.26
	कुल व्ययs (IV)		**55,414.43**	**34,602.29**
	अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ/हानि (III - IV)		**(50,447.51)**	**(33,652.16)**
	अपवादात्मक मदें		**-**	**-**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(50,447.51)**	**(33,652.16)**
VI	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर	33	-	-
	(ii)स्थगित कर देय/(परिसंपत्ति)	7	(17,983.68)	(4,087.66)
	कुल कर व्यय (VI)		**(17,983.68)**	**(4,087.66)**
VII	**कर के पश्चात् लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(32,463.83)**	**(29,564.50)**
VIII	**अन्य समग्र आय**			
	क. (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	34	0.16	(0.48)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.04)	0.12
IX	**अवधि के लिए कुल समग्र आय (VII+VIII)**		**(32,463.71)**	**(29,564.86)**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर ₹10 अंकित मूल्य)**			
	(i) मूलभूत (₹ में)	32	(1.33)	(1.21)
	(ii) प्रति शेयर आय (₹ में)	32	(1.33)	(1.21)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		2		
वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनने वाली संलग्न टिप्पणियाँ		1-50		

*** पुनः प्रस्तुतीकृत (नोट सं. 50 देखें)**

संलग्न समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397N

ह/-
अजय रस्तोगी
पार्टनर
एम. संख्या - 084897

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह/-
अमरदीप सिंह भाटिया
अध्यक्ष
डीआईएन- 10776570

ह/-
गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन - - 07047188

ह/-
निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
अनिंद्य भट्टाचार्य
वित्त निदेशक

ह/-
ऋद्धि मदान गौड़
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : फरवरी 16, 2026

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड
कक्ष संख्या. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
CIN: U74999DL2017GOI327372

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024* को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाखों में)
1	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(50,447.51)	(33,652.16)
	कर पूर्व लाभ को शुद्ध नकद प्रवाह से मेल कराने के लिए समायोजन:		
	ब्याज आय	(214.23)	(94.03)
	मूल्यह्रास और अमूर्तिकरण	19,825.01	15,703.42
	अवधि ऋण पर ब्याज	19321.68	8,051.74
	सरकारी गारंटी शुल्क	1,381.00	673.08
			-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व संचालन लाभ/(हानि)	***(10,134.05)***	***(9,317.95)***
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
	अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(ह्रास)	12,532.62	951.63
	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(ह्रास)	29.00	(617.81)
	व्यापारिक देयताओं में वृद्धि/(ह्रास)	1,034.54	-
	व्यापारिक प्राप्तियों में (वृद्धि)/ह्रास	1,072.77	(1,330.83)
	अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियों में (वृद्धि)/ह्रास	-	(45.82)
	प्रावधान में वृद्धि/(ह्रास)	(4.39)	4.03
	अन्य चालू वित्तीय संपत्तियों में (वृद्धि)/ह्रास	14.37	(119.45)
	अन्य चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/ह्रास	478.20	(242.42)
	गैर-चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/ह्रास	-	127.83
	संचालन गतिविधियों से नकद (उपयोग)/प्राप्ति	***5,023.06***	***(10,590.79)***
	भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (रिफंड घटाकर)	(171.77)	(76.01)
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (उपयोग)/प्राप्ति	**4,851.29**	**(10,666.80)**
2	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि	-	(0.10)
	प्राप्त ब्याज	211.77	96.49
	पूंजी अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(34,426.43)	3,986.25
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निवेश (पूंजीगत कार्य-प्रगति सहित)	32,164.33	(55,461.56)
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त / से प्राप्त शुद्ध नकद	**(2,050.33)**	**(51,378.92)**
3	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त राशि	-	-
	टर्म लोन से प्राप्त राशि	14,999.98	79,597.52
	उधार लिए गए फंड के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	65.86
	टर्म लोन पर दिया गया ब्याज	(20,699.92)	(12,867.61)
	सरकारी गारंटी शुल्क और सावधि ऋण से संबंधित अन्य व्यय	(1,381.00)	(1,352.02)
	वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त / से प्राप्त शुद्ध नकद	**(7,080.94)**	**65,443.75**
4	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1+2+3)	(4,279.98)	3,398.03
5	**अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य**	**7,859.05**	**4,461.02**
	चालू खातों पर	7,703.09	89.29
	3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाएँ	152.33	4,366.85
	ऑटो स्वीप सावधि जमा	3.63	4.88
	नकद शेष	-	-
6	**अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य**	**3,579.07**	**7,859.05**
	चालू खातों पर	2.25	7,703.09
	3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाएँ	3414.47	152.33
	ऑटो स्वीप सावधि जमा	162.35	3.63
	नकद शेष	-	-

*** पुनः प्रस्तुतीकृत (नोट सं. 50 देखें)**

संलग्न समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397N

ह/-
अजय रस्तोगी
पार्टनर
एम. संख्या - 084897

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह/-
अमरदीप सिंह भाटिया
अध्यक्ष
डीआईएन- 10776570

ह/-
गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन - - 07047188

ह/-
निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
अनिंद्य भट्टाचार्य
वित्त निदेशक

ह/-
ऋद्धि मदान गौड़
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : फरवरी 16, 2026

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेन्शन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड
कक्ष संख्या. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
CIN: U74999DL2017GOI327372

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	नोट संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01 अप्रैल, 2023 की स्थिति में शेष		**244,239.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
पुनः प्रस्तुति शेष 01 अप्रैल, 2023 की स्थिति में		-
वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का जारी करना		-
31 मार्च, 2024 की स्थिति में शेष		**244,239.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
पुनः प्रस्तुति शेष 01 अप्रैल, 2024 की स्थिति में		-
वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर		-
31 मार्च, 2025 की स्थिति में शेष"		**244,239.00**

ख) अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि - आबंटन लंबित (₹ लाखों में)	आरक्षित निधि और अधिशेष	कुल (₹ लाखों में)
		संचित आय	
1 अप्रैल, 2023 को शेष	-	**1,179.09**	**1,179.09**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ		(119,838.60)	(119,838.60)
वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष (a)	-	**(118,659.51)**	**(118,659.51)**
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-
सालाना लाभ / (हानि)	-	(29,564.50)	(29,564.50)
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय	-	(0.36)	(0.36)
कुल समग्र आय (ख)	-	**(29,564.86)**	**(29,564.86)**
31 मार्च, 2024 तक शेष (क+ख)	-	**(148,224.37)**	**(148,224.37)**

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित (₹ लाखों में	आरक्षित निधि और अधिशेष	कुल (₹ लाखों में)
		अवशिष्ट लाभ/(हानि) (₹ लाखों में)	
1 अप्रैल, 2024 को शेष	-	(25,937.81)	**(25,937.81)**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	(122,286.56)	**(122,286.56)**
वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत में पुनः प्रस्तुति शेष (क)	-	**(148,224.37)**	**(148,224.37)**
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(32,463.83)	(32,463.83)
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय		0.12	0.12
कुल समग्र आय (ख)		(32,463.71)	(32,463.71)
31 मार्च, 2025 की स्थिति में शेष (क+ख)	-	**(180,688.08)**	**(180,688.08)**

संलग्न समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397N
ह/-
अजय रस्तोगी
पार्टनर
एम. संख्या - 084897

इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह/-
अमरदीप सिंह भाटिया
अध्यक्ष
डीआईएन- 10776570

ह/-
गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन- 07047188

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : फरवरी 16, 2026

ह/-
निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
अनिंद्य भट्टाचार्य
वित्त निदेशक

ह/-
ऋद्धि मदान गौड़
कंपनी सचिव

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड

कक्ष संख्या 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011

CIN: U74999DL2017GOI327372

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. **कॉर्पोरेट एवं सामान्य जानकारी**

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड ("आईआईसीसी" या "कंपनी") एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसे कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 19 दिसंबर, 2017 को भारत में स्थापित किया गया था।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कक्ष संख्या 452ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 में स्थित है।

आईआईसीसी एक स्पेशल पर्पस वेहिकल (एसपीवी) है, जिसे भारत सरकार द्वारा 100% इक्विटी के साथ प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी) के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है।

ईसीसी, भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसे "विश्व-स्तरीय", अत्याधुनिक, ट्रांज़िट उन्मुख एवं मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जो भारत तथा एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक प्रदान करेगा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 16 फरवरी, 2026 को मंजूरी दी गई।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण तथा तैयारी का आधार

2.1.1 इंड एएस के साथ अनुपालन

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को उपार्जन आधार तथा सतत् व्यवसाय के आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए एकसमान रूप से लागू किया गया है।

2.1.2 मापन का आधार

इन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में समझाया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

2.1.3 कार्यात्मक तथा प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक तथा प्रस्तुति मुद्रा है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए सभी आंकड़े लाख में हैं तथा उन्हें दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

2.1.4 निर्णयों एवं आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे आकलनों एवं मान्यताओं की आवश्यकता होती है, जो प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों की दर्शाई गई राशियों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐसे आकलन एवं मान्यताएँ उपलब्ध समस्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण आधार पर की जाती हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। आकलनों तथा उनसे संबंधित मान्यताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन आकलनों में संशोधन को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें आकलन में संशोधन किया जाता है, यदि उसका प्रभाव केवल उसी अवधि तक सीमित हो; अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में, यदि उसका प्रभाव वर्तमान तथा भविष्य दोनों अवधियों पर पड़ता है (महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णयों से संबंधित नोट सं. **3** देखें)।

2.2 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

2.2.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन अधिग्रहण/निर्माण लागत पर किया जाता है, जिसमें वे सभी व्यय शामिल होते हैं जो परिसंपत्ति को उसके निर्धारित उपयोग हेतु आवश्यक स्थान एवं स्थिति में लाने के लिए सीधे रूप से संबंधित हों। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित ह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों की लागत में क्रय मूल्य (व्यापारिक छूट एवं रियायतों को घटाने के बाद), आयात शुल्क तथा अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो बाद में कर प्राधिकरणों से वसूल किए जा सकते हैं), तथा परिसंपत्ति को उसके निर्धारित उपयोग हेतु तैयार करने में किए गए प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं।

प्रचालित परिसंपत्तियों के मामले में, जहाँ ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी शेष होता है, वहाँ पूंजीकरण अस्थायी आधार पर किया जाता है, जिसे अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन किया जाता है।

2.2.2 परवर्ती लागत की मान्यता

परवर्ती लागतों को, परिस्थितियों के अनुसार, परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है अथवा एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावित हो कि संबंधित मद से भविष्य में आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे तथा उस मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है।

किसी भी ऐसे घटक का वहन मूल्य, जिसे एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में लेखाबद्ध किया गया हो, प्रतिस्थापन के समय अपमान्यता (डि-रिकग्निशन) कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों को उस प्रतिवेदन अवधि के लाभ या हानि खाते में आरोपित किया जाता है, जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

2.2.3 अपमान्यता (डि-रिकग्निशन)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद को उसके निपटान के समय अथवा जब उसके निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं रहता है, तब अपमान्य किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के निपटान या परित्याग से उत्पन्न लाभ या हानि, जो विक्रय प्राप्ति और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है, को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.2.4 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(क) मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान लिखित अवमूल्यित मूल्य पद्धति (रिटन डाउन वैल्यू) के आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान अर्जित/क्रय की गई तथा बेची/त्यागी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, प्रत्येक जोड़ की तिथि से लेकर विक्रय/सेवानिवृत्ति की तिथि तक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

(ख) जिन परिसंपत्तियों की लागत व्यक्तिगत रूप से ₹5,000/- या उससे कम है, उन पर 100% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:-

परिसंपत्ति	**कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों की संख्या)**
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
कंप्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	3
भवन	60
विद्युत स्थापना	10
संयंत्र एवं मशीनरी	15

निम्नलिखित मामलों में उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन से भिन्न है।

परिसंपत्ति	**कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों की संख्या)**	**कंपनी द्वारा आकलित/निर्धारित उपयोगी जीवन (वर्षों की संख्या)**
रसोई उपकरण	15	7.5

लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित अचल परिसंपत्तियों के मामले में, उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार अथवा भूमि की लीज अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

उपयोग अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य को, निर्माण एवं स्थापना पूर्ण होने तथा परिसंपत्ति के उसके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने तक, लागत में से संचित ह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

निर्माण व्यय, परामर्शदाताओं को दिए गए शुल्क तथा निर्माण अवधि के दौरान परियोजना से सीधे संबंधित अन्य सभी लागतें, संबंधित आय को घटाने के पश्चात, पूंजीकरण तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में दर्शाई जाती हैं। तत्पश्चात इन्हें परिसंपत्तियों में उस अनुपात में आवंटित किया जाता है, जिसमें पूंजीकृत परिसंपत्तियों का मूल्य कुल पूंजीगत कार्य प्रगति पर से संबंधित होता है। ठेकेदारों से ब्याज एवं अन्य मदों के रूप में प्राप्तियाँ, पूंजीकरण लंबित रहते हुए, निर्माण व्यय के विरुद्ध समायोजित की जाती हैं। निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ब्याज आय (इक्विटी एवं अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों के अस्थायी निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर), निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क आदि, निर्माण अवधि के व्ययों के विरुद्ध समायोजित की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए दिए गए अग्रिम, जो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया रहते हैं, उन्हें अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी), संबंधित उधारों के अस्थायी निवेश से प्राप्त किसी भी निवेश आय को घटाने के पश्चात, जो पात्र परिसंपत्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया हो, उसे उस अनुपात में आवंटित किया जाता है, जिसमें पूंजीकृत परिसंपत्तियों का मूल्य, पूंजीकरण की तिथि पर पात्र पूंजीगत कार्य प्रगति पर के मूल्य से संबंधित होता है।

2.4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मान्यता के समय मापन लागत पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन तथा संचित ह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

परिशोधन का प्रावधान परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन पद्धति) के आधार पर किया जाता है, जो उस पैटर्न को दर्शाता है जिसमें परिसंपत्ति से प्राप्त आर्थिक लाभों का उपभोग किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवन, परिशोधन पद्धति तथा परिशोधन अवधि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में की जाती है, तथा आकलन में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को उसके निपटान के समय अथवा जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं रहता है, तब अपमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति के अपमान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि, जो शुद्ध निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापी जाती है, को परिसंपत्ति के अपमान्य किए जाने पर लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन, विधिक उपयोग अधिकार की अवधि अथवा तीन वित्तीय वर्षों में से जो भी पहले हो, के दौरान समान रूप से किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़ की तिथि से लेकर विक्रय/सेवानिवृत्ति की तिथि तक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

2.5 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से सीधे संबंधित उधार लागतों को (निधियों के अस्थायी उपयोग से प्राप्त आय को घटाने के पश्चात) ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियाँ अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं। योग्य परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें उनके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। उधार लागतों में विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से उत्पन्न विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं, उस सीमा तक, जिस सीमा तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को जिस अवधि में वे व्ययित होती हैं, उस अवधि के लाभ या हानि विवरण में आरोपित किया जाता है।

2.6 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के किसी समूह, जिसे नकद सृजन इकाई (सीजीयू) कहा जाता है, के ह्रास के कोई संकेत मौजूद हैं। यदि ऐसे कोई संकेत प्राप्त होते हैं, तो ह्रास की मात्रा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का आकलन किया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करना संभव नहीं होता है, तब कंपनी उस सीजीयू की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है, जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित है।

जब किसी परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, तो उस अंतर की सीमा तक ह्रास हानि को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य (निपटान लागत घटाने के पश्चात) तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसमें कर-पूर्व छूट दर का उपयोग किया जाता है, जो धन के समय मूल्य तथा परिसंपत्तियों से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त ह्रास हानि को तब प्रत्यावर्तित किया जाता है, जब वसूली योग्य राशि के आकलन में परिवर्तन होता है।

2.7 नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में हाथ में उपलब्ध नकद, बैंकों में शेष राशि तथा बैंकों में कॉल पर रखी गई जमा राशियाँ शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या उससे कम होती है, जो ज्ञात नकद राशि में शीघ्र परिवर्तनीय होती हैं तथा जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

बैंकों में कॉल पर रखी गई ऐसी जमा राशियाँ, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह से अधिक किंतु एक वर्ष तक या उससे कम होती है, उन्हें अन्य बैंक शेष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

2.8. लीज

वे सभी लीज अनुबंध, जिनमें कंपनी पट्टेदार (लेसी) है, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों तथा संबंधित लीज देयताओं के रूप में मान्यता दी जाती हैं। इंड एएस 116 के अनुसार, लीज वह अनुबंध है जिसके अंतर्गत किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को एक निर्धारित अवधि के लिए, प्रतिफल के बदले नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

यह आकलन करने के लिए कि कोई अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है या नहीं, कंपनी निम्नलिखित का मूल्यांकन करती है:

(i) क्या अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,

(ii) क्या कंपनी को लीज अवधि के दौरान उस परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले अधिकांश आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, तथा

(iii) क्या कंपनी के पास उस परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टेदार (लेसी) के रूप में कंपनी

लीज के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी उन सभी लीज व्यवस्थाओं के लिए, जिनमें वह पट्टेदार (लेसी) है, उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) तथा संबंधित लीज देयता को मान्यता देती है, सिवाय उन लीजों के जिनकी अवधि बारह माह या

उससे कम है (अर्थात् अल्पकालिक लीज) तथा उन लीजों के, जिनमें अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है। ऐसी अल्पकालिक लीजों तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों से संबंधित लीजों के लिए, कंपनी लीज भुगतानों को लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन पद्धति) के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों का प्रारंभिक रूप से लागत पर मापन किया जाता है, जिसमें लीज देयता के प्रारंभिक मापन की राशि, लीज की प्रारंभ तिथि तक या उससे पूर्व किए गए लीज भुगतान, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पुनर्स्थापन संबंधी दायित्व तथा प्राप्त लीज प्रोत्साहन शामिल होते हैं।

इसके पश्चात, उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास, संचित ह्रास हानि, यदि कोई हो, घटाकर तथा लीज देयता के पुनर्मापन के अनुसार समायोजित कर दर्शाया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 का अनुप्रयोग करती है कि क्या उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति में ह्रास हुआ है तथा किसी भी पहचानी गई ह्रास हानि का लेखांकन करती है।

लीज देयता का प्रारंभिक मापन उन लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है, जो उस तिथि तक भुगतान नहीं किए गए हैं।

लीज देयता पर ब्याज लागत को लाभ या हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

पट्टादाता (लेसर) के रूप में कंपनी

वे लीज, जिनमें कंपनी पट्टादाता (लेसर) है, उन्हें वित्तीय लीज अथवा परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी लीज की शर्तें स्वामित्व से संबंधित अधिकांश जोखिम एवं लाभ पट्टेदार को स्थानांतरित करती हैं, तब उस अनुबंध को वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी लीजों को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लीज के लिए, किराया आय को संबंधित लीज अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.9 कर्मचारी लाभ

<u>अल्पकालिक कर्मचारी लाभ</u>

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को संबंधित सेवाएँ प्रदान किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कंपनी पर कर्मचारियों द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवाओं के परिणामस्वरूप इस राशि के भुगतान के लिए वर्तमान वैधानिक या रचनात्मक दायित्व है तथा उस दायित्व का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है, तो अपेक्षित भुगतान की राशि के लिए देयता मान्यता की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए विदेशी सेवा अंशदान के संबंध में प्रावधान/देयताएँ, सरकार के नियमों एवं विनियमों के अनुसार बनाई जाती हैं तथा उन्हें व्यय के रूप में आरोपित किया जाता है।

<u>अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ/सेवा पश्चात् लाभ</u>

कंपनी के पास निम्नलिखित दीर्घकालिक तथा सेवा पश्चात् लाभ योजनाएँ हैं:-

- अंशदायी भविष्य निधि योजना
- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवा पश्चात् चिकित्सा लाभ
- पेंशन योजना

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिवर्षिता लाभ योजना तैयार की है, जो 01.04.2019 से प्रभावी है। अधिवर्षिता लाभ में अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), ग्रेच्युटी, सेवा पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा पेंशन शामिल हैं। स्वीकृत अधिवर्षिता लाभों के अनुसार कंपनी का अंशदान निम्नानुसार है:-

(क) अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) - मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 12%

(ख) ग्रेच्युटी एवं सेवा पश्चात् चिकित्सा लाभ - मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 8%

(ग) पेंशन - मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10%

परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी की भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजनाएँ हैं। कंपनी अपने अंशदायी भविष्य निधि तथा पेंशन के अंशदान को क्रमशः क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट के पास जमा करती है।

सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के लिए प्रावधान, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किए गए/देय अंशदान को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

परिभाषित लाभ योजना:

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी तथा कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ एवं हानियाँ शामिल होती हैं, को जिस अवधि में वे उत्पन्न होती हैं, उसी अवधि में अन्य समग्र आय के माध्यम से संचित आय में समकक्ष डेबिट या क्रेडिट के साथ तत्काल बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है।

2.10 वित्तीय साधन

2.10.1 मान्यता और प्रारंभिक मूल्यांकन

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित उपकरणों की संविदात्मक शर्तों की पक्ष बन जाती है।

प्रारंभिक मान्यता के समय, वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों का न्यायसंगत मूल्य (फेयर वैल्यू) पर मूल्यांकन किया जाता है।

वे लेन-देन लागत, जो वित्तीय संपत्ति या दायित्व की प्राप्ति या निर्गमन से सीधे संबंधित होती हैं, सिवाय उन वित्तीय संपत्तियों और दायित्वों के जो लाभ या हानि के माध्यम से न्यायसंगत मूल्य पर मूल्यांकित होती हैं, को संबंधित वित्तीय संपत्ति या दायित्व के न्यायसंगत मूल्य में जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है।

जिन वित्तीय संपत्तियों या दायित्वों का मूल्यांकन लाभ या हानि के माध्यम से न्यायसंगत मूल्य पर किया जाता है, उन पर सीधे संबंधित लेन-देन लागत को लाभ और हानि विवरण में तत्काल मान्यता दी जाती है।

2.10.2 बाद का (सबसीक्वेंट) मूल्यांकन

2.10.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

बाद के मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है:

- अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- अन्य समग्र आय के माध्यम से न्यायसंगत मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- लाभ या हानि के माध्यम से न्यायसंगत मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो किसी वित्तीय संपत्ति का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

क) संपत्ति उस व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; और

ख) संपत्ति की संविदात्मक शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह केवल मूलधन और उस पर ब्याज (एसपीपीआई) के रूप में होते हैं।

प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, ऐसी वित्तीय संपत्तियों का बाद का मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना में किसी भी छूट या प्रीमियम और ऐसे शुल्क या लागत को शामिल किया जाता है जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा हों।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया जाता है। मूल्यह्रास से उत्पन्न हानियों को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

प्रभावी ब्याज दर पद्धति

यह किसी वित्तीय संपत्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और संबंधित अवधि में ब्याज आय या ब्याज व्यय को आवंटित करने की पद्धति है।

प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो वित्तीय संपत्ति या वित्तीय दायित्व के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को पूरी तरह से छूटकर वित्तीय संपत्ति के सकल ले जाने योग्य मूल्य या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत तक लाती है।

न्यायसंगत मूल्य (अन्य समग्र आय के माध्यम से) पर वित्तीय परिसंपत्ति (एफवीटीओसीआई)

यदि निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो किसी वित्तीय संपत्ति को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्तियों को बेचने दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है; और

ख) संपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह केवल मूलधन और उस पर ब्याज (एसपीपीआई) के रूप में होते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों का प्रारंभिक मूल्यांकन तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर न्यायसंगत मूल्य (फेयर वैल्यू) पर किया जाता है। मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, मूल्यह्रास हानियाँ और उनकी प्रतिपूर्ति, तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में मान्यता देती है।

संपत्ति के विमोचन (डी-रेकॉग्निशन) पर, पहले ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीओसीआई वित्तीय संपत्ति के धारक के रूप में अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्ति

एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्ति के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय संपत्ति, जो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती, उसे एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों का मूल्यांकन न्यायसंगत मूल्य (फेयर वैल्यू) पर किया जाता है और मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तन लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में मान्यता प्राप्त होते हैं। ऐसी संपत्तियों पर ब्याज आय को ब्याज आय के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2.10.2.2 वित्तीय दायित्व

वित्तीय दायित्वों का मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

2.10.3 विमोचन (डी-रेकॉग्निशन)

2.10.3.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति का विमोचन तब करती है जब उस परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर देती है और संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े लगभग सभी जोखिम और लाभ दूसरे पक्ष को स्थानांतरित हो जाते हैं।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्ण रूप से विमोचन पर, संपत्ति के बहीखाता मूल्य और प्राप्त एवं प्राप्त होने वाली राशि के योग के बीच का अंतर लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में मान्यता प्राप्त होता है।

2.10.3.2 वित्तीय दायित्व

कंपनी किसी वित्तीय दायित्व का विमोचन तभी करती है जब, और केवल जब, कंपनी की दायित्वें पूरी हो जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। विमोचित वित्तीय दायित्व के बहीखाता मूल्य और भुगतान की गई एवं देय राशि के बीच का अंतर लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में मान्यता प्राप्त होता है।

2.10.4 परिसंपत्ति का मूल्यह्रास

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह आकलन करती है कि कोई परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों का समूह मूल्यह्रासित है या नहीं। इंड एएस 109 के अनुसार, अनुमानित ऋण हानियों (एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लोसेस) का मूल्यांकन हानि भत्ते (लॉस अलाउंस) के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी उन व्यापारिक प्राप्तियों (ट्रेड रिसीवेबल्स) के लिए आजीवन अनुमानित हानियों को मान्यता देती है, जो वित्तपोषण लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं। अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, अनुमानित ऋण हानियों का मूल्यांकन या तो 12 महीने की अनुमानित हानियों के बराबर किया जाता है, या यदि परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है, तो आजीवन अनुमानित हानियों के बराबर किया जाता है।

2.11 आयकर

आयकर व्यय वर्तमान और स्थगित कर का योग होता है। कर को लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि वह उन मदों से संबंधित हो जिन्हें सीधे इक्विटी या अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता दी गई हो। ऐसे मामलों में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है।

2.12.1 वर्तमान आयकर

वर्तमान आयकर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

2.12.2 स्थगित आयकर

स्थगित आयकर का मान्यता उन अस्थायी अंतर (टेम्पररी डिफरेंस) पर दी जाती है जो वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और दायित्वों के बहीखाता मूल्य और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त कर आधार (टैक्स बेस) के बीच होते हैं।

स्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों (डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस), अप्रयुक्त कर हानियों (अनयूज्ड टैक्स लॉसेस) और अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स (अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स) के लिए मान्यता प्राप्त करती हैं, यदि यह संभावित हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ (फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स) उपलब्ध होंगे जिनके खिलाफ इन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स का उपयोग किया जा सके।

स्थगित आयकर परिसंपत्तियों का बहीखाता मूल्य प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा किया जाता है और उस हद तक घटाया जाता है जब यह अब संभावित न हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके खिलाफ अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके।

स्थगित आयकर परिसंपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन उन कर दरों (टैक्स रेट्स) पर किया जाता है जो उस अवधि में लागू होने की संभावना होती है जिसमें दायित्व का निपटान किया जाएगा या परिसंपत्ति (परिसंपत्ति) को प्राप्त किया जाएगा, और यह मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि तक लागू या मूर्त रूप से लागू किए गए कर दरों (टैक्स रेट्स) और कर कानूनों (टैक्स लॉज) के आधार पर किया जाता है।

स्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और दायित्व आपस में समायोजित (ऑफसेट) की जा सकती हैं यदि वर्तमान आयकर दायित्वों और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी अधिकार मौजूद हो और ये एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

2.12.3 एमएटी क्रेडिट

मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (एमएटी) जो कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया है, और जो भविष्य में आयकर दायित्व (फ्यूचर इनकम टैक्स लाइबिलिटी) में समायोजन के रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करता है, उसे एक परिसंपत्ति माना जाता है यदि यह स्पष्ट प्रमाण मौजूद हो कि सामान्य आयकर (नॉर्मल इनकम टैक्स) देय होगा।

अनुसार, इसे बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे। उक्त परिसंपत्ति को लाभ और हानि विवरण (पीएंडएल) में क्रेडिट के माध्यम से बनाया जाता है और इसे एमएटी क्रेडिट अधिकार के रूप में दिखाया जाता है।

कंपनी इसे प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा करती है और एमएटी क्रेडिट अधिकार के बहीखाता मूल्य को उस हद तक घटा देती है जब यह स्पष्ट प्रमाण मौजूद न रहे कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

2.13 राजस्व मान्यता

क) कंपनी ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को इंड एएस-115 में निर्धारित पांच चरणों की प्रक्रिया के आधार पर मान्यता देती है:

(i) ग्राहक के साथ संविदाओं की पहचान करना: एक संविदा को दो या दो से अधिक पक्षों के बीच ऐसा समझौता परिभाषित किया गया है जो लागू होने योग्य अधिकार और दायित्व पैदा करता है और प्रत्येक संविदा के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित करता है।

(ii) संविदा में प्रदर्शन दायित्वों (परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन्स) की पहचान करना: एक प्रदर्शन दायित्व वह वादा है जो ग्राहक के साथ संविदा में किया गया है कि ग्राहक को कोई वस्तु या सेवा प्रदान की जाएगी।

(iii) लेन-देन मूल्य निर्धारित करना: लेन-देन मूल्य वह परिपूर्ति राशि है जिसके लिए कंपनी आशा करती है कि उसे वादा की गई वस्तुएँ या सेवाएँ ग्राहक को प्रदान करने के बदले में प्राप्त होगी, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं होती।

(iv) लेन-देन मूल्य को संविदा में प्रदर्शन दायित्वों के बीच आवंटित करना: यदि किसी संविदा में एक से अधिक प्रदर्शन दायित्व हैं, तो कंपनी प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को उस राशि में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है जो यह दर्शाती है कि कंपनी प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के बदले में कितनी परिपूर्ति प्राप्त करने की अपेक्षा करती है।

(v) राजस्व को मान्यता देना जब या जैसे कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और ग्राहक को वादा की गई वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तांतरित मानी जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

ख) यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है, तो प्रदर्शन दायित्व को पूरा माना जाता है और उसे समय के साथ राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है:

(i) प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्तियाँ नहीं बनाता जिनका वैकल्पिक उपयोग हो और कंपनी को अब तक पूरा किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का लागू होने योग्य अधिकार प्राप्त हो।

(ii) प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या उसे सुदृढ़ करता है जिस पर ग्राहक का नियंत्रण होता है जैसे ही वह परिसंपत्ति बनाई या सुदृढ़ की जाती है।

(iii) ग्राहक एक ही समय में प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपयोग करता है।

ग) उन प्रदर्शन दायित्वों के लिए जहाँ उपरोक्त में से कोई शर्त पूरी नहीं होती, राजस्व उस समय मान्यता प्राप्त होता है जब प्रदर्शन दायित्व पूरा हो जाता है।

जब प्रदर्शन दायित्व वादा की गई वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करके पूरा किया जाता है, तो यह उस परिपूर्ति की राशि के आधार पर संविदा-आधारित परिसंपत्ति उत्पन्न करता है जो प्रदर्शन के द्वारा अर्जित की गई है।

यदि ग्राहक से प्राप्त परिपूर्ति की राशि मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक होती है, तो इससे संविदा दायित्व उत्पन्न होता है।

घ) राजस्व उस हद तक मान्यता प्राप्त होता है जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

च) संचालन से प्राप्त राजस्व उस परिपूर्ति के न्यायसंगत मूल्य पर मापा जाता है जो प्राप्त या प्राप्त होने वाली है, संविदात्मक रूप से निर्धारित भुगतान शर्तों को ध्यान में रखते हुए और सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर या शुल्क को शामिल किए बिना।

2.14 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक यह उचित रूप से सुनिश्चित न हो कि कंपनी उन शर्तों का पालन करेगी जो उनके साथ जुड़ी हैं और कि अनुदान प्राप्त होगा।

केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं और विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त अनुदान को बैलेंस शीट में परिसंपत्ति के बहीखाता मूल्य से घटाकर प्रस्तुत किया जाता है।

2.15 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण उस अवधि में दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त करता है जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश का भुगतान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर मान्यता प्राप्त होता है। देय लाभांश और लाभांश वितरण पर संबंधित कर को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

प्रस्तावित लाभांश

इंड एएस 10, 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ' के अनुसार, कंपनी बैलेंस शीट तिथि के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को इन वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट करती है।

2.16 प्रावधान और संभाव्य दायित्व

2.16.1 प्रावधान

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब उसके पास किसी अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावित होता है कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा तथा जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का निर्धारण उस प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है जो बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है और इन्हें वर्तमान मूल्य पर छूटित नहीं किया जाता। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और इन्हें वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

2.16.2 संभाव्य दायित्व

संभाव्य दायित्वों का प्रकटीकरण प्रबंधन या स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और इन्हें वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

संभाव्य दायित्वों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व हो, जिसकी पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित या न घटित होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं; या वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके लिए या तो संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होने की संभावना नहीं है या जिसकी राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संभाव्य दायित्वों की जानकारी वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट की जाती है।

संभाव्य परिसंपत्तियाँ मान्यता प्राप्त नहीं करती हैं।

2.17 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.18 पूर्व अवधि की मदें

सामग्रीगत पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वकालीन रूप से सुधार किया जाता है, जिसके लिए उस त्रुटि वाली पूर्व अवधि में प्रस्तुत तुलनात्मक राशि को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, या यदि त्रुटि सबसे प्राचीन प्रस्तुत अवधि से पहले हुई हो, तो वित्तीय स्थिति के उद्घाटन विवरण को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

2.19 प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय वर्ष के लिए शेयरधारकों के हिस्से का शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान प्रचलित शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके गणना की जाती है।

विकृत प्रति शेयर आय वर्ष के लिए शेयरधारकों के हिस्से का शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान प्रचलित और संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके गणना की जाती है**,** सिवाय उन मामलों के जहाँ परिणाम विरोधाभासी होगा।

2.20 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.21 चालू / गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और दायित्वों को चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू वर्ग में तब रखा जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:

- इसे सामान्य संचालन चक्र में प्राप्त करने, बेचे जाने या उपभोग करने की अपेक्षा है।
- इसे मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा गया है।
- इसे रिपोर्टिंग अवधि की तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त करने की अपेक्षा है।
- नकद और नकद समकक्ष, जब तक कि इसे कम से कम 12 महीनों के लिए दायित्व निपटाने या विनिमय के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो।

चालू परिसंपत्तियों में गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का चालू हिस्सा शामिल होता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी दायित्व को चालू तब माना जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता है:

- इसे सामान्य संचालन चक्र में निपटाने की अपेक्षा है।
- इसे मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा गया है।
- इसे रिपोर्टिंग अवधि की तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर निपटाने की देयता है।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए दायित्व का निपटान स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

चालू दायित्वों में गैर-चालू वित्तीय दायित्वों का चालू हिस्सा शामिल होता है। स्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और दायित्व को गैर-चालू परिसंपत्तियों और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे अनुमान और पूर्वधारणाएँ आवश्यक होती हैं जो रिपोर्ट की गई अवधि में राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, दायित्वों और संभाव्य दायित्वों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच का अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त होता है जिसमें परिणाम निश्चित होते हैं।

प्रावधान का निर्धारण उस प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है जो बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। संभाव्य दायित्व/परिसंपत्तियाँ प्रबंधन या स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकटीकृत की जाती हैं। स्थगित आयकर परिसंपत्तियों को मान्यता देने की सीमा इस आकलन पर आधारित होती है कि कंपनी के भविष्य के कर योग्य आय के खिलाफ इन स्थगित आयकर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा।

अनुमान और निर्णय समय-समय पर मूल्यांकन किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएँ शामिल हैं, जिनका कंपनी पर वित्तीय प्रभाव हो सकता है और जिन्हें परिस्थितियों के तहत यथोचित माना जाता है।

सूचना 4.1: परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	भवन (₹ लाखों में)	विद्युत इंस्टॉलेशन (₹ लाखों में)	संयंत्र और मशीनरी (₹ लाखों में)	कंप्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स (₹ लाखों में)	कार्यालय उपकरण (₹ लाखों में)	फर्नीचर (₹ लाखों में)	रसोई संबन्धित कार्य (₹ लाखों में)	कुल (₹ लाखों में)
सकल परिसंपत्ति								
1 अप्रैल, 2023 तक	**-**	**-**	**-**	**4.86**	**0.77**	**-**	**-**	**5.63**
संवर्द्धन: वर्ष के दौरान की गई संवर्द्धन/जोड़	244,650.88	19,659.86	48,266.60	0.80	18,109.16			**330,687.30**
कटौती:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन				-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2024 तक	**244,650.88**	**19,659.86**	**48,266.60**	**5.66**	**18,109.93**	**-**	**-**	**330,692.93**
संवर्द्धन: वर्ष के दौरान की गई संवर्द्धन	8,765.42	1,421.87	1,922.20	3.94	(572.23)	1,085.85	1,059.25	**13,686.30**
कटौती:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	(35,397.53)	(1,258.13)	2,678.96	-	(15,370.70)	-	-	**(49,347.40)**
31 मार्च, 2025 तक	**218,018.77**	**19,823.60**	**52,867.76**	**9.60**	**2,167.00**	**1,085.85**	**1,059.25**	**295,031.83**
मूल्यह्रास और अवमूल्यन								
1 अप्रैल, 2023 तक	**-**	**-**	**-**	**4.59**	**0.73**	**-**	**-**	**5.32**
संवर्द्धन: वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	5,697.51	2,359.30	4,119.01	0.19	3,527.38	-	-	**15,703.39**
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन				-	-			**-**
31 मार्च, 2024 तक	**5,697.51**	**2,359.30**	**4,119.01**	**4.78**	**3,528.11**	**-**	**-**	**15,708.71**
संवर्द्धन: वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	10,070.91	4,309.99	8,471.19	2.40	1,064.61	223.36	175.10	**24,317.56**
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	(948.76)	(156.19)	138.28	-	(3,525.92)			**(4,492.59)**
31 मार्च, 2025 तक	**14,819.66**	**6,513.10**	**12,728.48**	**7.18**	**1,066.80**	**223.36**	**175.10**	**35,533.68**
शुद्ध बहीं मूल्य								
31 मार्च, 2025 तक	**203,199.11**	**13,310.50**	**40,139.28**	**2.42**	**1,100.20**	**862.49**	**884.15**	**259,498.15**
31 मार्च, 2024 तक	**238,953.37**	**17,300.56**	**44,147.59**	**0.88**	**14,581.82**	**-**	**-**	**314,984.22**

परिचालक ने 01 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। परियोजना के एकीकृत परीक्षण और EPC अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैंडओवर दस्तावेजीकरण लंबित होने के कारण, परिसंपत्तियों को 01 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन की प्रारंभिक तिथि के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) अनुबंध के तहत निष्पादित कार्य से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) की लागत को उस कार्य के मूल्य (यथा ₹2,56,649.07 लाख) के आधार पर मान्यता दी गई, जिसे 31 मार्च, 2024 को परिचालक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया था। यह प्रमाणन कुछ नकारात्मक भिन्नताओं (negative variations) के सामंजस्य और अंतिम रूप देने के अधीन था, जो विवाद के अंतर्गत थीं।

बाद में, परिचालक के इंजीनियर ने अधूरा/लंबित कार्य का मूल्य निर्धारित किया, जो कि EPC अनुबंध में दिए गए मूल मानों की तुलना में कार्य न किए जाने और/या मात्राओं या विनिर्देशों में कमी के कारण उत्पन्न नकारात्मक भिन्नता के रूप में आया, और इसका प्रभाव वित्तीय वर्ष 2024–25 के RA बिलों में लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2025 को किए गए कार्य का मूल्य ₹2,03,858.30 लाख तक घटा दिया गया।

कुल निष्पादित कार्य का मूल्य ₹2,03,858.30 लाख है, जिसमें कुछ आइटमों के लिए ₹12,738.86 लाख का नकारात्मक मूल्य शामिल है, जो EPC अनुबंध में दिए गए मूल मानों की तुलना में कार्य न किए जाने और/या मात्राओं या विनिर्देशों में कमी के कारण परिचालक के इंजीनियर द्वाराScope में नकारात्मक परिवर्तन के रूप में आंका गया। चूंकि वित्तीय विवरणों में किए गए कार्य का मूल्य नकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए ₹12,738.86 लाख के नकारात्मक मूल्य को कार्य के शुद्ध मूल्य से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, किए गए कार्य का मूल्य ₹2,16,597.16 लाख माना गया है (₹2,03,858.30 लाख + ₹12,738.86 लाख)। परिणामस्वरूप, अधूरा/लंबित कार्य के लिए ₹12,738.86 लाख का प्रावधान किया गया है (संदर्भ देखें: नोट #21)।

संशोधित प्रमाणन का वित्तीय प्रभाव वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों में अनुमानों में परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी गई है, जो इंड एएस 8 – "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है। किए गए कार्य का प्रमाणन ठेकेदार द्वारा विवादित किया गया है और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास भेजा गया है।

स्थिर संपत्ति रजिस्टर की तैयारी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का भौतिक सत्यापन और इसे वित्तीय अभिलेखों के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया चल रही है। इसका प्रभाव, यदि कोई होगा, तो उस वर्ष में लिया जाएगा जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

जल और सीवरेज कनेक्शन के लिए प्रारंभिक शुल्क (आईएफ चार्ज), विद्युत कनेक्शन शुल्क और पर्यावरण लागत की लागत को संरचनाओं की अनुबंधित/आवंटित लागत के अनुपात में विभाजित किया गया है, क्योंकि ये पूरे परियोजना पर व्यय किए गए थे और इसका लाभ परियोजना के जीवनकाल भर उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार, परियोजना के संचालन शुरू होने तक की पूंजीगत प्राप्तियाँ भी संरचनाओं की अनुबंधित/आवंटित लागत के अनुपात में विभाजित की गई हैं।

अन्य संबंधित व्यय को विभिन्न परिसंपत्ति समूहों अर्थात भवन (सिविल), विद्युत इंस्टॉलेशन, संयंत्र और परिसंपत्तियाँ, तथा कार्यालय उपकरणों में समूहवार अनुबंधित/आवंटित लागत के अनुपात में विभाजित किया गया है।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय के आधार पर, सड़क कनेक्टिविटी के कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को जारी अनुदान और मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जारी अनुदान को परिसंपत्तियों में पूंजीगत कार्य-प्रगति / संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से हटा दिया गया है और लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को इंड एएस 8 – "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के प्रावधानों के अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है। तुलनात्मक आंकड़ों को भी उपयुक्त रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया है। पुनः प्रस्तुति के प्रभाव का विवरण देखने के लिए कृपया नोट संख्या 47 एवं 50 देखें।

सूचना 4.2: पूंजीगत कार्य-प्रगति

विवरण	**दिनांक 31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)**	**दिनांक 31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)**
परियोजना प्रगति पर*	**0.00**	**2,301.58**

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उठाए गए/पूंजीकृत उधारी लागत शून्य है (पिछला वर्ष ₹6,899.27 लाख), जो उधारी राशि पर अर्जित ब्याज शून्य (पिछला वर्ष ₹65.86 लाख) को नेट करने के पश्चात है (संदर्भ देखें: सूचना संख्या 24)।

(i) पूंजीगत कार्य-प्रगति की स्थिति

विवरण	**दिनांक 31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)**	**दिनांक 31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)**
प्रारंभिक सकल वहन राशि	2,301.58	**266,496.63**
Add:- Additions made during the yearसंवर्द्धन: वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	385.74	76,176.79
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	(2,687.32)	(340,371.84)
समापन सकल मूल्य राशि (क)	**0.00**	**2,301.58**
वर्ष की शुरुआत में संचयी मूल्यह्रास	-	**-**
वर्ष के दौरान हानि/(बट्टे खाते में डाली गई)	-	**-**
वर्ष के अंत में संचित हानि (ख)	-	**-**
समापन शुद्ध वहन राशि (क-ख)	**0.00**	**2,301.58**

इसमें रसोई के उपकरणों और फर्नीचर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने (एसआईटीसी) का कार्य शामिल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरा करके चालू कर दिया गया है।

(ii) पूंजीगत कार्य-प्रगति आयु निर्धारण सूची:

वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के लिए

पूंजीगत कार्य-प्रगति	किसी अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति में राशि (₹ लाखों में)				कुल (₹ लाखों में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर*	-	-	-	-	**-**

वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2024 के लिए

वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2024 के लिए	किसी अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति में राशि (₹ लाखों में)				कुल (₹ लाखों में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर*	2,123.09	178.49	-	-	**2,301.58**

*रसोई उपकरण और फर्नीचर के SITC कार्य के लिए सामान्य संबंधित लागत, जिसे "1 वर्ष से कम आयु" श्रेणी में रिपोर्ट किया गया है।

(iii) पूंजीगत कार्य-प्रगति के संबंध में पूरा करने की समय-सारणी, जिनका पूर्ण होना विलंबित है:

वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के लिए

पूंजीगत कार्य-प्रगति	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना प्रगति पर*	-	-	-	**-**

वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2024 के लिए

पूंजीगत कार्य-प्रगति	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना प्रगति पर*	2,301.58	-	-	**-**

नोट 4.3: उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	दिनांक 31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियाँ - भूमि का परिचालन पट्टा * #	-	-

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की आवाजाही - भूमि का परिचालन पट्टा

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2024 को (₹ लाखों में)
प्रारंभिक सकल वहन राशि #	0.00	0.00
संवर्द्धन: वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-	-
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
समापन सकल मूल्य राशि (क) #	0.00	0.00
वर्ष के प्रारंभ में संचित मूल्यह्रास #	0.00	0.00
संवर्द्धन: वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार #	0.00	0.00
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास (ख) #	**0.00**	**0.00**
समापन शुद्ध मूल्य राशि (क-ख) #	**-**	**-**

8 मार्च, 2018 को कंपनी ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ 89.5832 हेक्टेयर भूमि के लिए एक पट्टा समझौता किया, जो सेक्टर-25, द्वारका, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए है। पट्टा समझौते की तारीख से 99 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके तहत वार्षिक पट्टा किराया ₹1/- है। समझौते के अनुसार, पूरे पट्टे की अवधि के लिए ₹99/- का पट्टा किराया वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था। पक्षों की आपसी सहमति से पट्टा अतिरिक्त 99 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

₹1000 से कम की राशि

कंपनी ने कम मूल्य वाली संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टे के लिए पट्टा दायित्व को मान्यता न देने का निर्णय लिया है। इस पट्टे से संबंधित व्यय निम्नलिखित हैं-

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2024 के लिए (₹ लाख में)
अल्पकालिक पट्टा	-	72.00
कुल	**-**	**72.00**

31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने ऐसे किसी भी पट्टे के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

नोट 5: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	लाइसेंस/कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)
सकल परिसंपत्ति मूल्य		
1 अप्रैल, 2023 तक	**16.05**	**16.05**
संवर्द्धन: वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	0.10	-
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**16.15**	**16.15**
संवर्द्धन: वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-	-
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2025 तक	**16.15**	**16.15**
मूल्यह्रास और हानि		
1 अप्रैल, 2023 तक	**16.05**	**16.05**
संवर्द्धन: वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.03	0.03
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**16.08**	**16.08**
संवर्द्धन: वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.04	0.04
कटौती: वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2025 तक	**16.12**	**16.12**
शुद्ध बही मूल्य		
31 मार्च, 2025 तक	**0.03**	**0.03**
31 मार्च, 2024 तक	**0.07**	**0.07**

नोट 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
असुरक्षित, उत्तम माना गया:		
सुरक्षा जमा - डीआईएससीओएम (ब्याज सहित)	1,606.10	1,606.10
सुरक्षा जमा - गैस कनेक्शन के लिए	49.96	49.96
कुल	**1,656.06**	**1,656.06**

नोट 7: आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
स्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाली मदों का कर प्रभाव		
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और आरओयू (नोट # 50 का संदर्भ लें)	3,995.17	-
कर्मचारी लाभ व्यय	6.01	7.19
अशोषित हानियाँ/मूल्यह्रास	18,087.34	9,177.66
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**22,088.52**	**9,184.85**
स्थगित कर देयताओं का निर्माण करने वाले मदों का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	-	(5,079.97)
कुल स्थगित कर देयता	**-**	**(5,079.97)**
(शुद्ध स्थगित कर देयता)/ परिसंपत्ति	**22,088.52**	**4,104.88**

स्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) में बदलाव

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा आरओयू (₹ लाखों में)	अशोषित हानियाँ/मूल्यह्रास (₹ लाखों में)	कर्मचारी लाभ व्यय (₹ लाखों में)	कुल (₹ लाखों में)
1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष (नोट # 50 देखें)	**(0.85)**	**(13.93)**	**(2.32)**	**(17.10)**
वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभारित/(जमा)				
लाभ और हानि खाते में (नोट # 50 देखें)	5,080.82	(9,163.73)	(4.75)	(4,087.66)
अन्य समग्र आय में	-	-	(0.12)	(0.12)
31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	**5,079.97**	**(9,177.66)**	**(7.19)**	**(4,104.88)**
वर्ष 2024-25 के दौरान प्रभारित/(जमा)				
लाभ और हानि	(9,075.14)	(8,909.68)	**1.14**	(17,983.68)
अन्य समग्र आय में	-	-	**0.04**	0.04
31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	**(3,995.17)**	**(18,087.34)**	**(6.01)**	**(22,088.52)**

कंपनी वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के व्यापारिक हानियों को भविष्य की अवधियों में समायोजन हेतु आगे ले जाने में असमर्थ रही, क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित नियत तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। तदनुसार, इन व्यापारिक हानियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में कोई भी स्थगित कर परिसंपत्ति (डेफर्ड टैक्स एसेट) मान्यता नहीं दी गई है।

तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास पर स्थगित कर परिसंपत्ति (Deferred Tax Asset) का सृजन किया है (संदर्भ: सूचना संख्या 50), जो आयकर प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति के अधीन है, क्योंकि कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के अंतर्गत लंबित मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान मूल्यह्रास दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी अनवशोषित मूल्यह्रास पर स्थगित कर परिसंपत्ति का सृजन किया है, जो विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल किए जाने के अधीन है। प्रबंधन का यह मत है कि उपर्युक्त मूल्यह्रास दावे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्य हैं।

नोट 8: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विविरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
असुरक्षित, उत्तम माना गया:		
पूंजी अग्रिम *	34,589.22	162.79
कुल	**34,589.22**	**162.79**

* इसमें ईपीसी ठेकेदार से वसूल की जाने वाली ₹34,447.65 लाख की राशि शामिल है (नोट # -35 (e) देखें)।

नोट 9: व्यापारिक प्राप्य

विववरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
उत्तम माना गया – सुरक्षित	-	-
उत्तम माना गया – असुरक्षित (एजिंग शेड्यूल के लिए नोट संख्या 45 देखें)	-	1,303.41
व्यापारिक प्राप्य, जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-
व्यापारिक प्राप्य – ऋण-अवमूल्यित	-	-
अवबिलित देयताएँ (आयु निर्धारण सूची के लिए सूचना संख्या 45 देखें)	258.06	27.42
कुल	**258.06**	**1,330.83**

नोट 10: नकद एवं नकद समकक्ष

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
बैंकों में शेष राशि		
(i) चालू खाते में	2.25	7,703.09
(ii) बैंकों के साथ जमा खातों में शेष राशि, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम है।	3,414.47	152.33
(iii) ऑटो स्वीप सावधि जमा	162.35	3.63
कुल	**3,579.07**	**7,859.05**

नोट 11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
असुरक्षित, उत्तम माना गया:		
बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज	2.46	-
सुरक्षा जमा पर अर्जित ब्याज	125.04	130.11
अन्य प्राप्य	-	9.30
कुल	**127.50**	**139.41**

नोट 12: चालू कर आस्ति / (देयता)

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
आयकर/टीडीएस (वापसी योग्य)	311.16	139.39
कुल	**311.16**	**139.39**

नोट 13: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
असुरक्षित, उत्तम माना गया:		
जीएसटी क्रेडिट	75.26	259.63
जीएसटी (वापसी योग्य राशि)	-	286.68
स्टाम्प शुल्क (प्रतिदेय)	-	2.00
वैधता समाप्त डिमांड ड्राफ़्ट	1.77	1.77
विविध अग्रिम	-	5.15
कुल	**77.03**	**555.23**

नोट 14: इक्विटी शेयर पूंजी

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
अधिकृत शेयर पूंजी:				
₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	5,000,000,000	500,000.00	5,000,000,000	500,000.00
जारी शेयर पूंजी*:				
₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	2,442,400,000	244,240.00	2,442,400,000	244,240.00
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी:				
₹ 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	2,442,390,000	244,239.00	2,442,390,000	244,239.00

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार को "राइट्स बेसिस" पर 29,50,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ़र किए गए थे। हालाँकि, सरकार ने केवल 29,49,90,000 इक्विटी शेयरों के लिए ही सब्सक्रिप्शन लिया। भारत सरकार द्वारा सब्सक्रिप्शन न लिया गया हिस्सा 10,000 इक्विटी शेयर था, जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹10 थी, और जिनकी कुल राशि ₹1 लाख थी।

(ख) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक ही वर्ग है, जिसका सम-मूल्य (par value) ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक, अपने पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का हकदार है।

(ग) अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
वर्ष के आरम्भ में शेष	2,442,390,000	244,239.00	2,442,390,000	244,239.00
इस अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,442,390,000**	**244,239.00**	**2,442,390,000**	**244,239.00**

(घ) कंपनी के 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	धारण किए गए शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारण किए गए शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
भारत के माननीय राष्ट्रपति (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव और उनके नामितों के माध्यम से)	2,442,390,000	100.00%	2,442,390,000	100.00%

(च) रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के रूप में पूर्णतः प्रदत्त रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या।

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
	राशि (₹ लाखों में)	राशि (₹ लाखों में)	राशि (₹ लाखों में)	राशि (₹ लाखों में)	राशि (₹ लाखों में)
बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(छ) प्रवर्तकों की शेयरधारिता:

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयर प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयर प्रतिशत	
भारत के माननीय राष्ट्रपति (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव और उनके नामितों के माध्यम से)	2,442,390,000	100%	2,442,390,000	100%	Nil

नोट 15: अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
(क) आबंटन लंबित होने पर शेयर आवेदन राशि		
प्रारंभिक शेष	-	-
संवर्द्धन: अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
कटौती: जारी किए गए शेयर	-	-
जमा शेष	**-**	**-**
(ख) रिज़र्व और अधिशेष*		
प्रतिधारित कमाई		
लाभ-हानि विवरण में अधिशेष:		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(25,937.81)**	**1,179.09**
संवर्द्धन/कटौती: लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (संदर्भ: नोट 50)	(122,286.56)	(119,838.60)
वर्ष के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	**(148,224.37)**	**(118,659.51)**
संवर्द्धन: वर्ष का लाभ	(32,463.83)	(29,564.50)
संवर्द्धन: वर्ष के लिए अन्य समग्र आय से लाभ/(हानि)	0.12	(0.36)
वर्ष के अंत में शेष	**(180,688.08)**	**(148,224.37)**
कुल (क+ख)	**(180,688.08)**	**(148,224.37)**

***आरक्षित निधियों और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य:**

संचित आय कंपनी के अवितरित लाभों को दर्शाती है।

नोट 16: उधार

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
सुरक्षित		
सावधि ऋण	225,312.22	214,182.24
कुल	**225,312.22**	**214,182.24**

सावधि ऋण का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	एसबीआई से सावधि ऋण	हुड्को से सावधि ऋण
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
1 सावधि ऋण की स्वीकृत राशि	215,016.00	50,000.00
2. सावधि ऋण की प्राप्त राशि	214,182.24	15,000.00
3. सुरक्षा विवरण	परियोजना के चरण-1 की सभी चल और अचल संपत्तियों पर प्रथम वरीयता वाला 'पारी-पासू' प्रभार। इसके अतिरिक्त, ऋण राशि का 80% अथवा ₹1,38,100.00 लाख—इनमें से जो भी कम हो—उसे सुरक्षित करने के लिए ₹1,38,100.00 लाख की सरकारी गारंटी दी गई है।	परियोजना के चरण-1 की सभी चल और अचल संपत्तियों पर एसबीआई के साथ साझा आधार पर प्रथम श्रेणी का 'पारी-पासू' प्रभार। उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर बंधक। कुल सुरक्षा कवरेज 125% होगी।
4. पुनर्भुगतान की शर्तें	इसके अतिरिक्त, ऋण राशि का 80% अथवा ₹1,38,100.00 लाख—इनमें से जो भी कम हो—उसे सुरक्षित करने के लिए ₹1,38,100.00 लाख की सरकारी गारंटी दी गई है।	पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है। पुनर्भुगतान की पहली तिमाही किस्त 30.04.2026 को देय होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देय कुल किस्त निल (NIL) है।
6. ब्याज दर	6 महीने का एमसीएलआर	9.63% प्रति वर्ष
5. ऋण उपयोग	ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे लिया गया था।	

नोट 17: प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
कर्मचारी हितलाभों का प्रावधान		
ग्रेच्युटी	5.31	4.20
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	3.00	2.44
सवेतन अनुपस्थिति - अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश	10.32	6.80
कुल	**18.63**	**13.44**

नोट 18: उधार

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
सुरक्षित		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (विवरण के लिए नोट संख्या 16 देखें)	3,870.00	-
कुल	**3,870.00**	**-**

नोट 19: व्यापारिक देयताएं

कुल	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
लघु उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों की कुल बकाया राशियाँ (एजिंग के लिए टिप्पणी संख्या 45 देखें)	-	-
लघु उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशियाँ (एजिंग के लिए टिप्पणी संख्या 45 देखें)	1,034.54	-
कुल	**1,034.54**	**-**

19.1 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशियों का विवरण
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में परिभाषित कोई भी माइक्रो और स्मॉल स्केल बिज़नेस एंटरप्राइज ऐसा नहीं है, जिसका मूल राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के रूप में कंपनी पर कोई बकाया हो। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज से संबंधित उपरोक्त जानकारी केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई है, जिस सीमा तक कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की जा सकी है।

नोट 20: अन्य चालू वित्तीय देयताएँ

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
जमा/रिटेंशन राशि	110.93	18,497.36
पूंजीगत व्यय के लिए ऋणदाता	1,717.22	1,868.00
पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय के लिए ऋणदाता	660.08	854.70
उपार्जित खर्चे	12,904.53	175.56
उधार पर देय ब्याज	122.68	1,500.92
कर्मचारी संबंधित देयताएँ	2.92	4.65
कुल	**15,518.36**	**22,901.19**

नोट 21: प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
अधूरे/लंबित इपीसी कार्य के लिए प्रावधान*	12,738.86	-
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
सवेतन अनुपस्थिति - अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश	0.41	10.15
ग्रेच्युटी	4.07	4.07
कुल	**12,743.34**	**14.22**

ईपीसी के पूरे किए गए काम का कुल मूल्य, जो ₹2,03,858.30 लाख है, उसमें कुछ मदों के लिए ₹12,738.86 लाख का ऋणात्मक मूल्य शामिल है। यह ऋणात्मक मूल्य एम्प्लॉयर के इंजीनियर द्वारा किए गए आकलन के अनुसार काम के दायरे (scope) में हुई ऋणात्मक तब्दीली के कारण है; यह तब्दीली EPC अनुबंध में दिए गए मूल मूल्यों की तुलना में काम न किए जाने और/या मात्राओं या विशिष्टताओं में कमी के कारण हुई है। चूंकि वित्तीय विवरणों में किए गए काम के मूल्य को ऋणात्मक रूप में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए ₹12,738.86 लाख के ऋणात्मक मूल्य को किए गए काम के शुद्ध मूल्य से अलग कर दिया गया है, और किए गए काम का मूल्य ₹2,16,597.16 लाख (₹2,03,858.30 लाख + ₹12,738.86 लाख) माना गया है। परिणामस्वरूप, अधूरे/लंबित काम के लिए ₹12,738.86 लाख का प्रावधान किया गया है (नोट # 4.1 देखें)। इस मद पर अंतिम प्रभाव उस वर्ष में दर्ज किया जाएगा, जिस वर्ष ठेकेदार के साथ विवाद का निपटारा हो जाएगा।

नोट 22: अन्य चालू देयताएँ

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
वैधानिक देय		
देय कर (आयकर के अतिरिक्त)	133.64	104.80
देय श्रम उपकर	1.77	1.68
करों पर देय ब्याज	-	0.29
ईपीएफ/एनपीएस देय	1.38	1.02
कुल	**136.79**	**107.79**

नोट 23: परिचालन आय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाखों में)
लाइसेंस शुल्क (नोट संख्या 40 देखें)	2,120.63	777.24
इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क (नोट संख्या 40 देखें)	2,483.92	-
कुल	**4,604.55**	**777.24**

नोट 24: अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	
ब्याज आय				
बैंकों से ब्याज आय		214.23		94.03
उधार ली गई निधियों पर बैंक से प्राप्त ब्याज आय		-		65.86
ठेकेदार/अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज		-		333.10
सुरक्षा जमा पर ब्याज		138.93		136.52
आयकर रिफंड पर ब्याज		2.09		2.54
अन्य गैर-परिचालन आय				
गैर-परिचालन आय*	-		157.70	
कटौती:- सौधे तौर पर संबंधित खर्च	-	-	(157.70)	-
अन्य विविध आय		7.12		8.25
		362.37		**640.30**
कटौती: निर्माण के दौरान व्यय में हस्तांतरण				467.41
कुल		**362.37**		**172.89**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के सलाहकार द्वारा किसी अन्य सरकारी संस्था को प्रदान की गई सेवाओं का बिल कंपनी के माध्यम से जारी किया गया। चूंकि कंपनी द्वारा इन लेन-देनों पर कोई 'मार्कअप' (अतिरिक्त शुल्क) नहीं लगाया गया था, इसलिए इन्हें 'अन्य गैर-परिचालन राजस्व' के अंतर्गत 'शुद्ध आधार' पर रिपोर्ट किया गया है।

नोट 25: कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (₹ लाख में)
वेतन और मज़दूरी	84.87	44.09
भविष्य निधि और पेंशन निधि में अंशदान	9.63	5.38
अर्जित अवकाश एवं अर्ध-वेतन अवकाश व्यय हेतु अंशदान*	1.20	5.93
ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए अंशदान*	2.74	1.38
कुल	**98.44**	**56.78**

*अर्जित अवकाश और आधे वेतन वाले अवकाश के खर्च के लिए योगदान में, एक्चुअरियल मूल्यांकन के अनुसार नियमित कर्मचारियों के लिए ₹0 (पिछले वर्ष ₹5.83 लाख) का अवकाश नकदीकरण प्रावधान और प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों की विदेशी सेवा योगदान के लिए ₹1.20 लाख (पिछले वर्ष ₹0.10 लाख) शामिल हैं। ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन चिकित्सा लाभों के लिए योगदान में, नियमित कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष का खर्च ₹1.84 लाख (पिछले वर्ष ₹1.31 लाख) और प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ₹0.90 लाख (पिछले वर्ष ₹0.07 लाख) शामिल हैं।

नोट 26: वित्त लागतें

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (₹ लाख में)
सावधि ऋण पर ब्याज	19,321.68	8,051.74
सरकारी गारंटी शुल्क	1,381.00	673.08
अन्य उधार लागत	0.49	6.28
आयकर पर ब्याज	-	-
कुल	**20,703.17**	**8,731.10**

*₹101.72 लाख की वित्तीय लागत (चालू वित्त वर्ष के लिए ₹41.92 लाख और पिछले वित्त वर्ष के लिए ₹59.80 लाख) को चालू वर्ष में ऑपरेटर से "इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क" (Infrastructure charges) मद के तहत वसूलनीय दिखाया गया है (नोट # 23 और 40 देखें)।

नोट 27: मूल्यह्रास और अमूर्त संपत्ति ह्रास व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास*	19,824.97	15,703.39
अमॉर्टाइज़ेशन - उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियाँ #	-	-
अमॉर्टाइज़ेशन - अमूर्त संपत्तियाँ	0.04	0.03
कुल	**19,825.01**	**15,703.42**

*पुनर्कथन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित मूल्यह्रास को वित्तीय वर्ष 2024–25 में समायोजित किया गया है। अधिक विवरण के लिए, कृपया नोट संख्या 4.1 देखें।
₹1000 से कम की राशि

नोट 28: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
सीएसआर लागत	-	1.73
कुल	**-**	**1.73**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
I कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि		
इस वर्ष का आवश्यक खर्च	-	1.73
खर्च की जाने वाली सकल राशि	**-**	**1.73**
II बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान खर्च किए जाने हेतु अनुमोदित राशि	**-**	**1.73**

III क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	नकद में (₹ लाखों में)	अभी नकद भुगतान किया जाना शेष है (₹ लाखों में)	कुल (₹ लाखों में)
i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए	-	-	-

III ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	नकद में (₹ लाखों में)	अभी नकद भुगतान किया जाना शेष है (₹ लाखों में)	कुल (₹ लाखों में)
i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए	1.73	-	**1.73**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
IV संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
V वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
VI क) वर्ष के अंत में घाटे की राशि	**-**	**-**
ख) पिछले वर्षों की घाटे की राशियों का कुल योग;	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
ग) उपर्युक्त कमियों का कारण — एक टिप्पणी के रूप में	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
VII सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
"स्वच्छ भारत कोष" में योगदान	-	**1.73**

नोट 29: अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (नोट- 37 देखें)	5.18	1.00
आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की लागत	10.66	0.52
बैठक और सम्मेलन के खर्च	0.23	0.07
व्यावसायिक व्यय	201.56	9.59
विधि व्यय	97.45	9.53
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	0.41	0.98
मूल्यांकन सामिति शुल्क	-	2.70
किराया एवं ओवरहेड व्यय	-	72.00
सुरक्षा सेवाएँ	-	22.41
करों पर ब्याज	1.59	4.32
पानी और सीवरेज बिलों पर विलंब शुल्क	-	1.00
वाहन किराए के शुल्क	14.75	12.36
नॉलेज पार्टनर शुल्क	500.00	250.00
बिजली का खर्च	-	23.88
विज्ञापन व्यय	1.90	10.42
इंटरनेट लीज़ लाइन शुल्क	-	0.40
वेबसाइट संचालन और रखरखाव व्यय	1.70	0.99
लॉन के रखरखाव का खर्च	58.88	-
सड़क निर्माण व्यय	109.11	-
मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी व्यय (नोट # 47 और 50 देखें)	8914.82	9,685.33
संपत्ति कर/सेवा शुल्क (नोट # 35 देखें)	2481.66	-
ऑपरेटर से प्रतिपूर्ति योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क (नोट # 40 देखें)	2382.21	-
विविध व्यय	5.70	1.76
कुल	**14,787.81**	**10,109.26**

नोट 30: निर्माण के दौरान व्यय (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
(क) अन्य व्यय		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	385.74	76,176.79
	385.74	**76,176.79**
(ख) कटौती: अन्य आय से हस्तांतरण	-	467.41
कुल (क-ख)	**385.74**	**75,709.38**

नोट 31: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण
क. संबंधित पक्ष और उनके संबंध

i. सरकारी निकाय
यह कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसे केंद्र सरकार डीपीआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित करती है; इसके सभी शेयर सरकार के पास हैं (नोट 13 देखें)। इंड एएस 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो रिपोर्ट करने वाली संस्था और अन्य संस्थाओं को 'संबंधित पक्ष' माना जाएगा। कंपनी ने सरकारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं। जिन संस्थाओं के साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन होते हैं, उनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईआईसीडीसी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल (एनसीसीबीएम), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (एनआईडी), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक. (एनआईसीएसआई) आदि शामिल हैं (लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

सरकारी गैर-कार्यकारी निदेशक

1. श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (अध्यक्ष) (दिनांक 14 सितंबर, 2024 से प्रभावी)
2. श्री राजेश कुमार सिंह, पूर्व सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (अध्यक्ष) (20 अगस्त, 2024 तक)
3. डॉ. टी.वी. सोमनाथन, पूर्व सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (14 अगस्त, 2024 तक)
4. श्री अजय सेठ, पूर्व सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (13 सितंबर, 2021 से 30 जून, 2025 तक)
5. श्री बी. वी. आर. सुब्रमण्यम, सीईओ, नीति आयोग (20 फरवरी, 2023 से)
6. श्री राजीव सिंह ठाकुर, विशेष सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (27 दिसंबर, 2024 तक)
7. श्रीमती आरती भटनागर, पूर्व-विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (14 फरवरी, 2023 से 30 सितंबर, 2025 तक)
8. श्री सुरेंद्र कुमार बागड़े, अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (18 दिसंबर, 2024 तक)

अधिकारी :
1. सुश्री गुरनीत तेज, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (25 नवंबर, 2024 से)
2. श्री बालामुरुगन देवराज, प्रबंध निदेशक और सीईओ (30 अक्टूबर, 2024 तक)
3. श्री निखिल जैन, प्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
"4. सुश्री रिद्धि मदन गौर, कंपनी सेक्रेटरी, दिनांक 17 फरवरी, 2025 से प्रभावी
5. सुश्री नेहा धेमन, कंपनी सेक्रेटरी (29 मई, 2024 तक)"

ख. इस अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी)	नॉलेज पार्टनर शुल्क (कर सहित)	590.00	590.00
	किराया और उपरि लागत (टैक्स सहित)	-	84.96
	खर्चों की प्रतिपूर्ति (करों सहित)	-	9.33
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (एनआईडी)	लोगो डिज़ाइन शुल्क (कर सहित)	2.59	2.83
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए अनुदान	-	250.91
	वर्ष के दौरान डीएमआरसी द्वारा लौटाई गई अनुदान राशि	-	
	डीएमआरसी की ओर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य।	164.82	684.42
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	भारत सरकार - सरकारी गारंटी शुल्क	1,381.00	1,346.15
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक. (एनआईसीएसआई)	डेटा सेंटर सेवाओं के शुल्क	0.91	0.91

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	39.06	42.80
सेवानिवृत्ति लाभ	1.67	1.80
अन्य दीर्घकालिक लाभ	4.60	8.05

डी. बकाया राशियाँ

विवरण	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 तक (₹ लाखों में)
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड - देय	नॉलेज पार्टनर शुल्क, और किराया और ऊपरी लागत देय	132.50	190.82
सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद	देय पेशेवर शुल्क	35.35	35.35
	सुरक्षा जमा राशि	25.00	25.00
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	सरकारी गारंटी शुल्क	552.40	-
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	डीएमआरसी की ओर से ठेकेदार द्वारा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार हेतु किए गए कार्य से संबंधित।	241.94	77.12
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कीएमपी)	देय पारिश्रमिक	1.85	0.60

नोट 32: प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ / (हानि) (₹ लाखों में)	(32,463.83)	(29,564.50)
बेसिक EPS के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्याएँ)	2,442,390,000.00	2,442,390,000.00
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00
मूल ईपीएस (₹ में)	**(1.33)**	**(1.21)**
डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्याएँ)	2,442,390,000.00	2,442,390,000.00
डाइल्यूटेड ईपीएस (₹ में)	**(1.33)**	**(1.21)**

डाइल्यूटेड ईपीएस के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, बेसिक ईपीएस की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इस प्रकार मेल खाती है:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्याएँ)	2,442,390,000.00	2,442,390,000.00
डाइल्यूशन का प्रभाव		
शेयर विकल्प		
डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या)	**2,442,390,000.00**	**2,442,390,000.00**

नोट 33: आयकर व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 तक (₹ लाखों में)
चालू कर		
चालू आयकर प्रभार	-	-
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)		
अस्थायी भिन्नताओं के संबंध में	(17,983.64)	(4,087.78)
कुल	**(17,983.64)**	**(4,087.78)**

कर व्यय और भारत की कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 तक (₹ लाखों में)
कर-पूर्व लाभ / (हानि)	(50,447.51)	(33,652.16)
लागू कर दर के अनुसार कर	-	-
उन खर्चों का कर प्रभाव, जो कर योग्य लाभों के निर्धारण में कटौती योग्य नहीं हैं		
आयकर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय	-	-
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया कुल कर व्यय	**-**	**-**

नोट 34: अन्य समग्र आय

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 तक (₹ लाखों में)
ग्रेच्युटी का पुनर्मापन	0.16	(0.48)
ग्रेच्युटी के पुनर्मापन पर कर	(0.04)	0.12
कुल	**0.12**	**(0.36)**

नोट 35: आकस्मिक देयता और वचनबद्धताएँ

(a) आकस्मिक देयता

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
1	एमसीडी द्वारा जारी संपत्ति कर/सेवा शुल्क की मांग*	1,886.48	2,564.64
2	प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंसी के साथ ओवर-इनवॉइसिंग को लेकर विवाद	2,087.11	-

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने 13 नवंबर 2025 के पत्र के ज़रिए, ₹7,625.66 लाख (ब्याज को छोड़कर और 2% पेनल्टी सहित) की प्रॉपर्टी टैक्स की मांग की है। इसमें 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ₹4,984.34 लाख और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,641.32 लाख (ब्याज को छोड़कर और 2% पेनल्टी सहित) शामिल हैं, जो "SUNIYO योजना" के तहत हैं। कंपनी ने अपने टैक्स सलाहकार से सलाह करके, "SUNIYO योजना" के तहत 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए स्व-मूल्यांकन के आधार पर ₹4,636.06 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स/सेवा शुल्क चुकाया है। इसमें 20 अगस्त 2023 तक की अवधि के लिए ₹616.20 लाख, 21 अगस्त 2023 (यानी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख) से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ₹2,481.66 लाख, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,538.20 लाख शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए मांग की शेष राशि को एक आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

** प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंसी ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान दी गई सेवाओं के लिए ₹3,417.51 लाख (जीएसटी के साथ) के इनवॉइस जारी किए। कंपनी ने पीएमए के दावे के मुकाबले ₹1,330.40 लाख (जीएसटी के साथ) की स्वीकार्यता का अस्थायी आकलन किया है, जबकि बाकी विवादित रकम को एक आकस्मिक देयता के तौर पर दिखाया गया है।

(ख) कानूनी मामले - 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के विरुद्ध दायर उन कानूनी मामलों की स्थिति, जिनका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है, निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	केस संख्या	आवेदक	प्रतिवादी का विवरण	मामले का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	डबल्यूपी संख्या. 9405/	श्री मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड एवं अन्य	श्री मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे बनाम आईआईसीईसीएल एवं अन्य। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित है।	29.11.2022 के आदेश के अनुसार, डीडीए ने कोर्ट को बताया था कि 21.07.2022 के आदेश के पालन में सड़क निर्माण का जो काम बाकी है, उसे दो महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसी के मुताबिक, 21.07.2022 के आदेश का पालन करने के लिए डीडीए को 2 महीने का और समय दिया गया। इसके बाद यह मामला 23.03.2023, 11.10.2023, 06.12.2023, 02.02.2024, 29.05.2024, 21.11.2024, 18.02.2025, 22.05.2025 और 01.08.2025, 26.11.2025 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। लेकिन, समय की कमी के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च, 2026 है।
2	ओए संख्या. 495/2025	सुश्री नेहा धमन	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड एवं अन्य	आईआईसीसीएल के पूर्व कंपनी सेक्रेटरी ने, 24.05.2025 के 'स्पीकिंग ऑर्डर' के माध्यम से कंपनी से अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध, दिल्ली बेंच, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में ओए संख्या 495/2025 के तहत एक याचिका दायर की है।	ओए को दिनांक 17.11.2025 के अंतिम आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(ग) ठेकेदार के साथ विवाद

नई दिल्ली के द्वारका, सेक्टर 25 में स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक अनुबंध, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन आधार पर, ₹ 2,79,100 लाख की एकमुश्त कीमत पर, 30 जनवरी 2018 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर लिमिटेड और एम एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बीच निष्पादित किया गया था। अनुबंध के तहत निर्धारित कार्य का दायरा 20 अक्टूबर 2019 तक पूरा किया जाना था। इसके बाद, उक्त अनुबंध के निष्पादन और प्रदर्शन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हो गए, जिन्हें समाधान के लिए मध्यस्थता हेतु भेजा गया है। चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया में, दावेदार एल एंड टी ने अपना 'दावा विवरण' (स्टेटमेंट ऑफ क्लेम) प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लागू ब्याज के साथ ₹ 3,21,362.22 लाख की राशि की मांग की। प्रत्यर्थी आईआईसीसीएल ने अपने 'बचाव विवरण और प्रतिदावों' स्टेटमेंट ऑफ डेफेंस एंड काउंटरक्लेम्स के साथ जवाब दिया, और इसके विपरीत उसने लागू ब्याज के साथ ₹ 1,33,450.21 लाख की राशि की मांग की। 14 नवंबर 2024 को, एल एंड टी ने 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' की धारा 17 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका जवाब आईआईसीसीएल ने 9 दिसंबर 2024 को दिया। 25 अगस्त 2025 तक, इस मामले में सुनवाई और दलीलें पूरी हो चुकी हैं, और इस संबंध में न्यायाधिकरण का आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अब न्यायाधिकरण को मध्यस्था प्रक्रिया में आगे के कदम निर्धारित करने हैं।एल एंड टी द्वारा उठाए गए विवादों के कारण कंपनी पर आने वाली किसी भी देनदारी का निर्धारण मध्यस्थता कार्यवाही के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

(घ) प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
निष्पादित किए जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
पूंजी खाता	177.08	1,451.73

(च) अन्य प्रतिबद्धताएं

(i) परियोजना के चरण-1 की कुल स्वीकृत लागत ₹5,40,100.00 लाख (पिछले वर्ष- ₹5,40,100.00 लाख) है, जिसमें ₹19,700.00 लाख की वित्त लागत शामिल है।

(ii) कुल स्वीकृत लागत में से, सड़क संपर्क के विकास और परियोजना तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए एनएचएआई को ₹44,238.75 लाख और डीएमआरसी को ₹94,200.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। ईएसी की राय के आधार पर, इन व्ययों को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है (नोट संख्या 47 और 50 देखें)।

"(iii) 30 जनवरी, 2018 को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ नई दिल्ली के द्वारका, सेक्टर 25 में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक समझौता किया गया था। मूल कोट की गई कीमत ₹2,79,100 लाख थी। इसके बाद, 31 मार्च, 2025 तक काम के दायरे में ₹15,331.48 लाख (अतिरिक्त लागतों के लिए ₹15,752.54 लाख और लागत में कमी के लिए ₹421.06 लाख) के बदलाव जारी किए गए।

उपरोक्त के अलावा, ₹83,263.88 लाख की कुल नकारात्मक लागत वाले अधूरे/लंबित कार्य और बदलाव के आदेश वर्तमान में विवाद में हैं। इन विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा गया है, जिससे प्रभावी अनुबंध मूल्य निर्धारित करना असंभव हो गया है। परिणामस्वरूप, निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य, और जो पूंजी खाते में शामिल नहीं है, उसमें एल एंड टी के साथ ईपीसी अनुबंध का अनिष्पादित हिस्सा शामिल नहीं है। नियोक्ता के इंजीनियर ने 31 मार्च, 2025 तक किए गए कार्य का मूल्य ₹2,03,858.30 लाख निकाला, और पुस्तकों/रिकॉर्डों के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक ठेकेदार को किया गया कुल भुगतान ₹2,38,383.07 लाख है। ₹34,447.65 लाख की अंतर राशि (डीएमआरसी कार्यों से संबंधित ₹77.12 लाख के बकाया शेष के समायोजन के बाद) को पूंजी अग्रिम (नोट # 8 देखें) के रूप में दिखाया गया है, जो विवाद में है।"

नोट 36: लाभांश

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 5/2/2016 - नीति, दिनांक 27 मई, 2016 के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य है कि वह पीएटी का न्यूनतम 30% या अपनी नेट वर्थ का 5% वार्षिक लाभांश के रूप में भुगतान करे; इन दोनों में से जो भी राशि अधिक हो, उसका भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि यह राशि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश सीमा के भीतर हो।

कंपनी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के माध्यम से, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए डीआईपीएएम को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डीआईपीएएम ने अपने ओएम संख्या - F.No.4(30)(1)/2018-DIPAM-I दिनांक 2 मार्च, 2023 के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट की मंजूरी दी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

नोट 37: सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च, 2024 को (₹ लाखों में)
(क) लेखापरीक्षक*	2.00	1.00
(ख) लेखा परीक्षक (पिछले वर्ष)*	1.00	-
(ग) कराधान संबंधी मामलों के लिए *	1.50	-
(घ) अन्य सेवाओं के लिए*	-	-
(च) खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए*	0.68	-
कुल	**5.18**	**1.00**

उपर्युक्त शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है।

नोट 38: खंड रिपोर्टिंग

कंपनी नई दिल्ली के द्वारका में एक प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र के कार्यान्वयन और विकास के कार्य में लगी हुई है। इंड एएस 108 'सेगमेंट जानकारी' के संदर्भ में, यह एक एकल रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण के अनुसार राजस्व, कुल व्यय और शुद्ध लाभ, इस एकमात्र रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट के राजस्व, कुल व्यय और शुद्ध लाभ को दर्शाते हैं।

मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) ने केवल एक परिचालन खंड की पहचान की है, इसलिए किसी अलग प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 39: कर्मचारी लाभ

39.1 सेवानिवृत्ति लाभ
लाभ-हानि विवरण और तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवा-निवृत्ति पश्चात लाभों तथा दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांशित स्थिति निम्नलिखित है:-

(क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
दायित्व का प्रारंभिक वर्तमान मूल्य	8.27	16.95	6.28	14.25
ब्याज लागत	0.31	1.22	0.47	1.07
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
मौजूदा सेवा लागत	0.96	2.35	1.04	3.67
भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	(3.13)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(0.16)	(9.79)	0.48	1.09
दायित्व का समापन वर्तमान मूल्य	**9.38**	**10.73**	**8.27**	**16.95**

(ख) योजना परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-	-	-
नियोक्ता का योगदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का समापन उचित मूल्य	-	-	-	-

(ग) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	9.38	10.73	8.27	16.95
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
अवित्तपोषित स्थिति	(9.38)	(10.73)	(8.27)	(16.95)
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	**9.38**	**10.73**	**8.27**	**16.95**

(घ) लाभ एवं हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
पूर्व सेवा लागत			-	-
मौजूदा सेवा लागत	0.96	2.35	1.04	3.67
ब्याज लागत	0.31	1.22	0.47	1.07
अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध एक्चुअरियल (लाभ)/हानि	-	(9.79)	-	1.09
लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**1.27**	**(6.22)**	**1.51**	**5.83**

(ङ) अन्य समग्र आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन (लाभ)/हानि

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	-	-	-	-
दायित्व का पुनर्मापन	(0.16)	-	0.48	-
अन्य समग्र आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ)/हानि	**(0.16)**	**-**	**0.48**	**-**

(च) वर्ष के अंत में पीबीओ का चालू और गैर-चालू मदों में विभाजन।

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4.07	0.41	4.07	10.15
गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक समय में देय राशि)	5.31	10.32	4.20	6.80
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**9.38**	**10.73**	**8.27**	**16.95**

(छ) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

विवरण	31 मार्च, 2025 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
सेवा लागत	1.59	3.21	0.85	1.54
शुद्ध ब्याज लागत	0.64	0.73	0.60	1.22
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	**2.23**	**3.94**	**1.45**	**2.76**

(ज) भारित औसत के रूप में व्यक्त प्रमुख बीमांकिकीय मान्यता

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (अवित्तपोषित)
रियायती दर	6.79%	6.79%	7.22%	7.22%
आगामी वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)			

(झ) संवेदनशीलता विश्लेषण
ऊपर दिया गया सेंसिटिविटी एनालिसिस एक अनुमान में बदलाव पर आधारित है, जबकि बाकी सभी अनुमानों को स्थिर रखा गया है। असल में, ऐसा होने की

(₹ लाखों में)

परिवर्तन	धारणाओं में परिवर्तन	ग्रेच्युटी दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी के नकदीकरण पर प्रभाव
रियायती दर	+0.50%	(0.36)	(0.77)
	-0.50%	0.40	0.84
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	0.11	0.84
	-0.50%	(0.12)	(0.77)

(ञ) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	ग्रेच्युटी	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान
क)	0 से 1 वर्ष	4.07	0.41
ख)	1 से 2 वर्ष	0.17	0.33
ग)	2 से 3 वर्ष	0.16	0.32
घ)	3 से 4 वर्ष	0.16	0.31
ङ)	4 से 5 वर्ष	0.15	0.30
च)	5 से 6 वर्ष	0.15	0.30
छ)	6 वर्ष से आगे	4.52	8.76

नोट 40: इंड एएस 115 का प्रकटीकरण "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व"

व्यवस्था का स्वरूप
कंपनी ने वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 20 साल की अवधि के लिए प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर के संचालन और प्रबंधन के लिए एम/एस किनेक्सिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संचालन सेवा समझौता किया है। ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया।

परिचालक को संचालन सेवा अनुबंध ("ऑपरेशन सर्विसेज") में निर्धारित कार्य के दायरे को निष्पादित करने का अधिकार है, जिसमें संचालन अवधि के लिए परियोजना को संचालित करने और प्रबंधित करने का विशेष अधिकार, लाइसेंस और अधिकार शामिल है। ऑपरेटर बीमा दावों की आय सहित परियोजना से संबंधित सभी राजस्व, सभी धन और किसी भी अन्य राजस्व को जमा करेगा या जमा कराएगा।"

परिचालक वाणिज्यिक संचालन की तारीख से शुरू करके, कंपनी को प्रत्येक अनुबंध वर्ष के संबंध में, निम्नलिखित में से अधिक के बराबर राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है: (ए) समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा ("राजस्व शेयर"), जैसा कि उद्धृत किया गया है; और (बी) न्यूनतम वार्षिक गारंटी राशि। न्यूनतम गारंटी राशि छठे वर्ष से लागू होती है।

दरों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटर के प्रति कंपनी के कुछ दायित्व हैं ताकि उक्त सेवाएं प्रदान करने में उसके द्वारा किए गए खरीद, संचालन और प्रशासन खर्चों को कवर किया जा सके। परिचालक के साथ संचालन सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के लिए सेवा स्तर समझौते पर चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान इंडस्ट्रीज़ एएस 115 के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त/प्राप्य शुद्ध राशि के आधार पर की जाती है - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व। कंपनी परिचालक के प्रत्यक्ष खर्चों को वहन नहीं करती है लेकिन शुद्ध आधार पर राजस्व दर्ज करती है।

परिचालक ने खानपान, खाद्य और पेय पदार्थ सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया है। परिचालक और तीसरे पक्ष के बीच सहमत राजस्व मॉडल पर कंपनी द्वारा आपत्ति जताई गई है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार संचालन सेवा समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है और विवाद में है। इसका प्रभाव, यदि राजस्व पर कोई होगा, उस वर्ष तय किया जाएगा।

"इन्फ्रास्ट्रक्चर की सेवाओं, बिजली, पानी और सीवरेज शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अन्य लागतों के लिए सेवा स्तर के समझौतों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, प्रतिपूर्ति योग्य बिजली और पानी के बिलों को नोट संख्या 29 में ""अन्य व्यय" शीर्षक के तहत घटा दिया गया है और यह पुष्टि के अधीन है।

अन्य प्रतिपूर्ति योग्य खर्चों को आय और व्यय दोनों के रूप में सकल आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। "इन्फ्रास्ट्रक्चर" के रूप में प्रस्तुत सेवाओं की लागत पर कंपनी द्वारा कोई मार्कअप या लाभ मार्जिन लागू नहीं किया गया है।

राजस्व का पृथक्करण

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
लाइसेंस शुल्क*	2,120.63	777.24
इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क **	2,483.92	-
कुल	**4,604.55**	**777.24**

*कंपनी राजस्व का अपना हिस्सा लाइसेंस शुल्क के रूप में अर्जित करती है, जिसकी गणना स्वीकार्य वास्तविक खर्चों में कटौती के बाद प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर से ऑपरेटर के कुल राजस्व से की जाती है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क में चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए ₹2,185.44 लाख और पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए ₹64.81 लाख का समायोजन शामिल है।

**इन्फ्रास्ट्रक्चर के शुल्क में बिजली और पानी के बिल को छोड़कर, परिचालक से वसूली जाने वाली सेवाओं की लागत शामिल है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के शुल्क में चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए ₹1,999.02 लाख और पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए ₹484.90 लाख शामिल हैं।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
किसी विशिष्ट समय बिंदु पर	-	-
अवधि के दौरान	4,604.55	777.24
कुल	**4,604.55**	**777.24**

अनुबंध शेष

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
व्यापार प्राप्तियां	-	1,303.41
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	258.06	27.42
अनुबंध दायित्व	-	-

अनुबंध परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्ति	27.42	-
अनुबंध परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में हस्तांतरण और वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों में वृद्धि	230.64	27.42
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	**258.06**	**27.42**

अनुबंध के तहत देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयता	-	-
अनुबंध दायित्वों से राजस्व में हस्तांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वृद्धि	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध की देयता	-	-

नोट 41: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान और अन्य इक्विटी के रूप में मानी जाने वाली प्रतिधारित आय शामिल है।

नोट 42: वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक				31 मार्च, 2025 तक			
	वही मूल्य	परिशोधित लागत	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	पीएंडएल के माध्यम से उचित मूल्य	वही मूल्य	परिशोधित लागत	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	पीएंडएल के माध्यम से उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:								
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ								
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,656.06	1,656.06	-	-	1,656.06	1,656.06	-	-
चालू संपत्तियाँ								
व्यापारिक प्राप्य	258.06	258.06	-	-	1,330.83	1,330.83	-	-
नकद और नकद समतुल्य	3,579.07	3,579.07	-	-	7,859.05	7,859.05	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	127.50	127.50	-	-	139.41	139.41	-	-
वित्तीय देयताएँ:								
उधार	229,182.22	229,182.22	-	-	214,182.24	214,182.24	-	-
व्यापारिक देयताएं	1,034.54	1,034.54	-	-	-	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	15,518.36	15,518.36	-	-	22,901.19	22,901.19	-	-

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकद और नकद समकक्षों, अन्य चालू वित्तीय संपत्तियों, उधारों और अन्य देनदारियों का उचित मूल्य, उनके वहन मूल्यों के लगभग बराबर है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में वित्तीय संस्थानों से लिया गया टर्म लोन, व्यापारिक और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। कंपनी की मुख्य वित्तीय संपत्तियों में प्राप्तियाँ, नकद और नकद समतुल्य शामिल हैं। कंपनी की गतिविधियाँ इसे कुछ वित्तीय जोखिमों के संपर्क में लाती हैं; जैसे बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाज़ार के जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य, बाज़ार कीमतों में होने वाले बदलावों के कारण ऊपर-नीचे हो सकता है। बाज़ार जोखिम में ब्याज दर जोखिम भी शामिल होता है। बाज़ार जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय साधनों में व्यापारिक देयताएँ शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम
ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के भविष्य के कैश फ़्लो का उचित मूल्य, बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण ऊपर-नीचे हो सकता है। बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता मुख्य रूप से अतिरिक्त फंड को बैंक जमा में निवेश करने से जुड़ी है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, क्योंकि इन वित्तीय साधनों की पूरी अवधि के लिए ब्याज दरें तय होती हैं।

ग) ऋण जोखिम
ऋण जोखिम, कंपनी को होने वाले उस वित्तीय नुकसान का जोखिम है, जो तब होता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का दूसरा पक्ष अपनी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहता है; यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों से कैंपनी को मिलने वाली बकाया रकम (रिसीवेबल्स) से पैदा होता है। कंपनी को अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसमें बैंकों में जमा रकम और दूसरे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं।

घ) नकदी जोखिम
नकदी का जोखिम यह है कि कंपनी अपने वित्तीय वादों को समय पर पूरा नहीं कर पाएगी। इस खतरे को कम करने के लिए, कंपनी यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि उसके पास समय पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी हो। नकदी और धन की व्यवस्था की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है।

नोट 43: बैलेंस शीट की तारीख के बाद की महत्वपूर्ण घटनाएँ

All the material events after the balance sheet date have been recognised in Balance sheet.

Note 44: Additional regulatory information

(i) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है, जो मांग पर चुकाने योग्य हो या जिसके पुनर्भुगतान के लिए कोई शर्तें या अवधि निर्धारित न की गई हो।

(ii) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न तो प्रारंभ की गई है और न ही लंबित है।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूक करने वाला (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

(iv) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी ऐसी कंपनी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत हटा दिया गया है, और न ही ऐसी हटाई गई कंपनियों में कंपनी का कोई निवेश, प्राप्य या देय राशि है। इसके अलावा, कंपनी के शेयर किसी भी हटाई गई कंपनी के पास नहीं हैं।

(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है, जिसे कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़ा जाए।

(vi) कंपनी के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्थाओं की कोई भी योजना अनुमोदित नहीं की गई है।

(vii) कंपनी अपनी आय का समय पर खुलासा करने में नियमित है, और कर अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई भी अघोषित आय निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो लेखा-पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण के दौरान आय के रूप में समर्पित या घोषित किया गया हो।

(viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष में क्रिप्टो करेंसी या विज़ुअल करेंसी का न तो व्यापार किया है और न ही उसमें पैसा लगाया है।

(ix) कंपनी के पास कोई भी ऐसा चार्ज या सैटिस्फैक्शन नहीं है, जिसका आरओसी के साथ वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी पंजीकरण किया जाना शेष हो।

(x) कंपनी के पास ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है, जिसमें कंपनी ने बैलेंस शीट की तारीख पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए न किया हो, जिसके लिए वह उधार लिया गया था।

(xi) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों की किसी भी मद का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xii) कंपनी को बैंक के पास चालू संपत्तियों का विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं है; अतः, कंपनी द्वारा बैंक में जमा किए गए विवरण और लेखा-पुस्तकों के बीच मिलान (रीकन्साईलेशन) करना लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

(xiv) कंपनी के पास उन अचल संपत्तियों के कोइ स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड्स) नहीं हैं, जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

(xv) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिनमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को इस समझ के साथ कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी है कि वह मध्यस्थ:

(क) कंपनी की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी)

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई ज़मानत, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ देना।

(xvi) कंपनी को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) — जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं (फंडिंग पार्टी) — से इस समझ के साथ कोई भी फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना, या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोइ गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोइ व्यवस्था प्रदान करना,

(xvii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपात प्रकट किए गए हैं:

क्र. सं.	अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	%वैरिएन्स	अंतर का कारण (यदि अंतर 25% से अधिक हो)
(क)	चालू अनुपात (गुना में)	कुल चालू परिसंपत्तियां	कुल चालू देयताएँ	0.13	0.44	-70.45%	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू संपत्तियों में कमी के कारण
(ख)	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना में)	उधार	कुल इक्विटी	3.61	2.23	61.88%	पुनर्कथन के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य इक्विटी में कमी।
(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुने में)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.42	(0.36)	-216.65%	पुनर्कथन के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि में वृद्धि।
(घ)	इक्विटी पर रिटर्न अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की इक्विटी	(0.41)	(0.27)	51.85%	पुनर्कथन के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि में वृद्धि।
(च)	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (कितनी बार)	बिक्री	औसत इन्वेंट्री	एनए			
(छ)	व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात (कितनी बार)	शुद्ध उधार बिक्री	औसत प्राप्य खाते	एनए			
(ज)	व्यापार देयता आवर्त अनुपात (कितनी बार)	शुद्ध उधार खरीद	औसत व्यापारिक देय	1.29	-	128.60%	वर्ष के दौरान व्यापार देयताओं में वृद्धि के कारण।
(झ)	शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात (कितनी बार)	शुद्ध बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	(0.16)	(0.06)	166.67%	पुनर्कथन के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि में वृद्धि।
(i)	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	(7.05)	(38.04)	-81.46%	पुनर्कथन के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि में वृद्धि।
(j)	प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	(0.47)	(0.26)	80.77%	पुनर्कथन के कारण, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि में वृद्धि।
(त)	निवेश पर प्रतिफल (%)	आय	निवेश	एनए			

45 व्यापार प्राप्तियों/व्यापार बकाया की एजिंग निम्नलिखित है:-

क व्यापार प्राप्तियां

31 मार्च, 2025 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल वाली बकाया	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद – उत्तम माना गया	258.06	-	-	-	-	-	**258.06**
(ii) निर्विवाद – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद - ऋण-क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित - उत्तम माना गया	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	-	-
(vi) निर्विवाद - ऋण-क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल वाली बकाया राशि	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष 1 year	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद – उत्तम माना गया	27.42	1,303.41	-	-	-	-	**1,330.83**
(ii) निर्विवाद – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद - ऋण-क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित - उत्तम माना गया	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	-	-
(vi) निर्विवाद - ऋण-क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-

ख व्यापारिक बकाया

31 मार्च, 2025 तक:

3 वर्ष से अधिक

विवरण	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	1,034.54	-	-	-	1,034.54
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 तक:

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि के बाद की अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-

46 इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां' के अनुसार प्रकटीकरण

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इंड एएस – 117 बीमा अनुबंध और Ind AS 116 – लीज़ में संशोधन (जो बिक्री और लीज़-बैक लेनदेन से संबंधित हैं) अधिसूचित किए हैं; ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से कंपनी पर लागू होंगे। कंपनी ने इन नई घोषणाओं की समीक्षा की है और अपने मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि इसका उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख) जारी किए गए मानक/संशोधन, जो अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं

7 मई, 2025 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 21 - 'विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव' में किए गए संशोधनों को अधिसूचित किया। इन संशोधनों का उद्देश्य, जब मुद्राएँ आसानी से विनिमय योग्य न हों, तब उनकी विनिमय योग्यता का आकलन करने और विनिमय दरों का अनुमान लगाने के संबंध में अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने यह आकलन किया है कि उसके वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

47 (क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिए गए अनुदान का हिसाब

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के सप्लीमेंट्री ऑडिट के दौरान, 'प्रधान निदेशक (ऑडिट), उद्योग और कॉर्पोरेट मामले' के कार्यालय को दिए गए आश्वासन के अनुसार—जिसका विषय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 'एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन' का विस्तार करके उसे प्रोजेक्ट स्थल तक ले जाने के लिए जारी किया गया अनुदान था, कंपनी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को जारी किए गए इस अनुदान के लेखांकन व्यवहार (अकाउंटिंग ट्रीटमेंट) पर 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' की 'विशेषज्ञ सलाहकार समिति' (ईएसी) से राय मांगी थी। ईएसी ने 26 सितंबर, 2024 को भेजे गए एक ई-मेल के माध्यम से अपनी राय दी; यह राय इस धारणा पर आधारित थी कि कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी इस प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन कर सकती है। समिति की राय निम्नलिखित है:-

समिति का मानना है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार से कंपनी को ईसीसी में आने वाले ज़्यादा विज़िटर्स के रूप में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मेट्रो लाइन से वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा। हालाँकि, इससे ईसीसी के निर्माण कार्य में कोई मदद नहीं मिलती। कंपनी मेट्रो लाइन का विस्तार किए बिना भी ECC और प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्सों का निर्माण और संचालन कर पाएगी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि इस लागत, यानी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार, के बिना, किसी भी एसेट/प्रोजेक्ट का निर्माण या संचालन संभव नहीं था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर की गई लागत को निर्माण कार्य में मदद करने वाला या प्रोजेक्ट के एसेट्स को उस जगह और स्थिति में लाने वाला नहीं कहा जा सकता, जो उन्हें मैनेजमेंट के इरादे के अनुसार काम करने लायक बनाने के लिए ज़रूरी हो। इसके अलावा, दिए गए तथ्यों और दस्तावेज़ों से यह पता चलता है कि हालाँकि ऊपर बताया गया खर्च पूरे प्रोजेक्ट के डीपीआर का हिस्सा है, फिर भी यह एग्ज़िबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। इसलिए, समिति का यह विचार है कि ऊपर बताए गए खर्च को सीधे तौर पर प्रोजेक्ट को उस जगह और स्थिति में लाने से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता, जो उसे मैनेजमेंट के इरादे के अनुसार काम करने लायक बनाने के लिए ज़रूरी हो, जैसा कि इंड एएस 16 की ज़रूरतों के अनुसार अपेक्षित है, और इसलिए, ऐसे खर्च को प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक खर्च के रूप में तब पहचाना जाना चाहिए, जब वह किया जाए।

चूँकि मेट्रो लाइन का विस्तार इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक पूर्व शर्त थी, और आईटीएफजी बुलेटिन 11 में बताए गए इसी तरह के खर्चों को ध्यान में रखते हुए, ईएसी से 04 अक्टूबर, 2024 के ईमेल के ज़रिए अनुरोध किया गया कि वह इन खास तथ्यों के आधार पर समीक्षा करे और अपनी राय को अपडेट करके दे।

ईएसी ने 27 मई, 2025 के पत्र के ज़रिए कंपनी को सूचित किया कि कंपनी द्वारा जमा की गई बातें पहले ही विचाराधीन थीं और ऐसी कोई नई बात सामने नहीं आई है जो समीक्षा के अनुरोध के लिए तय मानदंडों को पूरा करती हो। इसलिए, पुनर्विचार/समीक्षा का कोई आधार नहीं बनता। तदनुसार, ईएसी ने इस मामले पर पहले दी गई अपनी राय को ही दोहराया।

इसके बाद, 30 जुलाई, 2025 के अपने पत्र के ज़रिए, कंपनी ने एक बार फिर ईएसी से अनुरोध किया कि वह पहले दी गई राय की समीक्षा करे और समिति के इस अनुमान पर पुनर्विचार करने की मांग की कि कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी ईसीसी और प्रोजेक्ट के अन्य हिस्सों का निर्माण और संचालन करने में सक्षम होगी।

ईएसी ने 5 दिसंबर, 2025 के पत्र के ज़रिए पहले दी गई अपनी राय को ही दोहराया। ईएसी का मानना है कि ऊपर बताए गए खर्च को सीधे तौर पर प्रोजेक्ट को उस स्थान और स्थिति तक लाने से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता, जो इंड एएस 16 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा सोचे गए तरीके से संचालन करने के लिए ज़रूरी है; इसलिए, ऐसे खर्च को 'लाभ और हानि विवरण' (स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफ़िट एंड लॉस) में जब भी वह होता है, एक व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की अंतिम राय के आधार पर, प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी) परियोजना के लिए एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार पर ₹94,200.00 लाख (31 मार्च, 2023 तक ₹93,099.85 लाख, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ₹935.33 लाख तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹164.82 लाख) के व्यय को लाभ-हानि विवरण में अभिलिखित किया गया है (संदर्भ: नोट संख्या 50)।

(ख) प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर परियोजना हेतु सड़क संपर्क के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किए गए भुगतान का लेखांकन संबन्धित हिसाब

महानिदेशक लेखा परीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य द्वारा दिनांक 13 मई, 2025 के डी.ओ. पत्र संख्या AMG-III/6(25)/Annual Accounts /IIC&EC(2023-24)/2025-26/66 के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार, जो परियोजना के लिए बाह्य संपर्क के विकास हेतु एनएचएआई को जारी अनुदान के लेखांकन संबन्धित हिसाब से संबंधित टिप्पणियों के अनुपालन के लिए थे, कंपनी ने दिनांक 29 जुलाई, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर परियोजना हेतु सड़क संपर्क के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किए गए भुगतान के लेखांकन हिसाब पर अभिमत मांगा।

ईएसी ने दिनांक 05 दिसंबर 2025 के पत्र के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की, जो इस प्रकार है:-

की गई चर्चाओं के आधार पर, उठाए गए मुद्दों पर समिति की यह राय है कि सड़क कनेक्टिविटी पर किए गए खर्च को सीधे तौर पर ईसीसी केंद्र को उस स्थान और स्थिति में लाने से जुड़ा हुआ नहीं माना जाना चाहिए, जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित होने के लिए आवश्यक है; और इसलिए, इसे किसी भी पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, इसे खर्च होने पर 'लाभ और हानि विवरण' में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर, प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर परियोजना हेतु सड़क संपर्क पर ₹44,238.75 लाख (31 मार्च, 2023 तक ₹26,738.75 लाख, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ₹8,750.00 लाख तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹8,750.00 लाख) के व्यय को लाभ-हानि विवरण में अभिलिखित किया गया है (संदर्भ: नोट संख्या 50)।

48 अन्य नोट

(i) कुछ लेनदारों/पक्षों/पूंजी अग्रिमों के खातों में शेष राशियां पुष्टि/मिलान के अधीन हैं। मिलान के बाद, यदि कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसे उसी वर्ष के खातों में शामिल किया जाएगा जिस वर्ष पुष्टि/मिलान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

(ii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 'कंपनी (खाते) संशोधन नियम, 2021' नामक एक अधिसूचना जारी की है, जो 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी, जो अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, उसे केवल ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करना चाहिए जिसमें प्रत्येक लेन-देन का 'ऑडिट ट्रेल' रिकॉर्ड करने की सुविधा हो; इसके अतिरिक्त, खातों की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक बदलाव का एक 'एडिट लॉग' भी बनना चाहिए, जिसमें बदलाव की तारीख भी दर्ज हो, और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस ऑडिट ट्रेल को किसी भी स्थिति में बंद (डिसेबल) न किया जा सके। कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, उसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा मौजूद है, और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए सभी संबंधित लेन-देनों के लिए इस सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की यह राय है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

49 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, समझने में आसानी के लिए पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

50 पिछली अवधि के समायोजन/त्रुटियों का सुधार

कंपनी ने पिछली अवधि की शुरुआत की स्थिति के अनुसार एक तीसरी बैलेंस शीट प्रस्तुत की है, क्योंकि त्रुटियों के सुधार का विवरण में दी गई जानकारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

"31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, विशेषज्ञ सलाहकार समिति की 05 दिसंबर 2025 की अंतिम राय के आधार पर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी के विकास पर किए गए खर्च को, जिसे पहले मूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया था, अब लाभ और हानि विवरण में डाल दिया गया है। पहले किए गए लेखांकन व्यवहार के परिणामस्वरूप, पिछली अवधियों में मूर्त संपत्तियों का मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था और उनसे संबंधित मूल्यह्रास भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था।

इसके अलावा, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए चालू वित्तीय वर्ष में 'स्थगित कर परिसंपत्तियों' का प्रावधान किया है। यह प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के उस 'अशोषित मूल्यह्रास' के कारण किया गया है, जिसका प्रावधान पिछले वर्ष अनजाने में छूट गया था।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' के अनुसार, इन त्रुटियों को पिछली अवधि(यों) के वित्तीय विवरणों की प्रभावित मदों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करके ठीक किया गया है। तुलनात्मक आंकड़ों को इस प्रकार संशोधित किया गया है, मानो ये त्रुटियां कभी हुई ही न हों।

संबंधित पिछली अवधि(यों) के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर उपर्युक्त संशोधन के प्रभाव को नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:"

(i) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	पूर्व में प्रतिवेदित	समायोजन	पुनः प्रस्तुत अनुसार
व्यय			
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	18,857.89	3,154.47	15,703.42
अन्य व्यय	423.92	(9,685.34)	10,109.26
कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव	**19,281.81**	**(6,530.87)**	**25,812.68**
आस्थगित कर	(4.75)	4,082.91	(4,087.66)
वर्ष के लाभ पर प्रभाव	**19,277.06**	**(2,447.96)**	**21,725.02**

(ii) 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट

(लाख रुपये में)

विवरण	पूर्व में प्रतिवेदित	समायोजन	पुनः प्रस्तुत अनुसार
परिसंपत्ति			
सकल ब्लॉक - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	460,216.87	(129,523.94)	330,692.93
मूल्यह्रास	(18,863.18)	3,154.47	(15,708.71)
शुद्ध ब्लॉक - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**441,353.69**	**(126,369.47)**	**314,984.22**
आस्थगित कर	21.97	4,082.91	4,104.88
कुल	**441,375.66**	**(122,286.56)**	**319,089.10**
देयताएं			
अन्य इक्विटी	(25,937.81)	(122,286.56)	(148,224.37)
कुल	**(25,937.81)**	**(122,286.56)**	**(148,224.37)**

(ii) 1 अप्रैल 2023 की बैलेंस शीट

(लाख रुपये में)

विवरण	पूर्व में प्रतिवेदित	समायोजन	पुनः प्रस्तुत अनुसार
परिसंपत्ति			
पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	386,335.24	(119,838.61)	266,496.63
आस्थगित कर	17.10	-	17.10
कुल	**386,352.34**	**(119,838.61)**	**266,513.73**
देयताएं			
अन्य इक्विटी	1,179.09	(119,838.61)	(118,659.52)
कुल	**1,179.09**	**(119,838.61)**	**(118,659.52)**

(iii) 31 मार्च 2024 के नकदी प्रवाह पर प्रभाव

(लाख रुपये में)

विवरण	पूर्व में प्रतिवेदित	समायोजन	पुनः प्रस्तुत अनुसार
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(1,172.28)	9,494.52	(10,666.80)
निवेश गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(60,873.44)	(9,494.52)	(51,378.92)

(iv) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएस पर प्रभाव

विवरण	प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएस पर असर	(0.10)

संलग्न समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397N

ह/-
अजय रस्तोगी
पार्टनर
एम. संख्या - 084897

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से और उनकी ओर से

ह/-
अमरदीप सिंह भाटिया
अध्यक्ष
डीआईएन- 10776570

ह/-
गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन - - 07047188

ह/-
निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
अनिंद्य भट्टाचार्य
वित्त निदेशक

ह/-
ऋद्धि मदान गौड़
कंपनी सचिव